यूनियन सृजन

वर्ष - 9, अंक -3, मुंबई, जुलाई-सितंबर 2024

भाषा एवं साहित्य विशेषांक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 14.11.2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष - 9, अंक - 3, मुंबई, जुलाई-सितंबर, 2024

संरक्षक

ए. मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रधान संपादक

चन्द्र मोहन मिनोचा
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादकीय सलाहकार

गिरीश चंद्र जोशी
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.)

जी.एन.दास
महाप्रबंधक

कार्यकारी संपादक

विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)

संपादन सहयोग

एम. एस. ठाकुर
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

जागृति उपाध्याय
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

भाषा एवं साहित्य विशेषांक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

अनुक्रमणिका

- माननीय गृह मंत्री जी का संदेश 1-2
- परिदृश्य 3
- संपादकीय 4
- लुप्तप्राय भाषाएँ - भारत के संदर्भ में 5-7
- अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन 8-9
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विभाग की शब्दावली 10-11
- कार्यालयीन भाषा और साहित्यिक भाषा 12-13
- हिंदी भाषा का बदलता रूप 14
- कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला 15
- बिहार की लोक भाषाएँ 16-17
- गढ़वाली - एक विलुप्त होती लोक भाषा 18-19
- भाषा संरक्षण पहल 20-21
- काव्य सृजन - बेटियाँ 22
- कारोबार विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान 23
- जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ 24-25
- मैं देवनागरी बोल रहीं हूँ 26-27
- लिपि की यात्रा - चित्र लिपि से इमोजी तक 28-30
- सरल हिंदी : व्यावहारिक हिंदी 31
- सेंटर स्प्रैड - केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का हिंदी दिवस समारोह -2024 32-33
- नई भाषा कैसे सीखें? 34-35
- काव्य सृजन - भारत का युवा 35
- अभिव्यक्ति : सहज बनाम एआई समर्थित 36-37
- काव्य सृजन - राजभाषा सम्मेलन 37
- डिजिटल युग में संप्रेषण के नए साधन 38-39
- भारतीय लोककथाएँ 40-42
- काव्य सृजन - पर्यावरण 42
- साहित्य और समाज का परस्पर संबंध 43-45
- मराठी के प्रमुख साहित्यकार 46-48
- राजभाषाई निरीक्षण 49
- ऊर्जा एवं चेतना के कवि- पं. सोहन लाल द्विवेदी 50-51
- साझात्कार - श्री ब्रजेश कानूनगो 52-54
- राजभाषा पुरस्कार/समाचार 55-63
- आपकी नज़र में 64

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank | union.srijan@unionbankofindia.bank
Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

यूनियन सृजन में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरू नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहरी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2024

(अमित शाह)

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! राजभाषा की हीरक जयंती के अवसर पर 'भाषा एवं साहित्य विशेषांक' के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है.

वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के उत्कृष्ट एवं नवीन प्रयासों के फलस्वरूप आशीर्वाद संस्था द्वारा बैंक को 'उत्कृष्ट' राष्ट्रीयकृत बैंक और श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं) को "राजभाषा गौरव" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. मेरा मानना है कि राजभाषा कार्यान्वयन केवल भाषा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि बैंक के कारोबार विकास एवं ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व का विषय है. मेरा विश्वास है कि हम ग्राहकों के साथ उनकी अपनी भाषा में वार्तालाप करेंगे तो उनकी आवश्यकताओं को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उन्हें उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर पाएंगे.

इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंक ने 'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष' कार्यक्रम के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों को स्थानीय भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत तमिल, मलयालम, तेलुगू, बांग्ला तथा असमिया में पुस्तिका के प्रकाशन के साथ-साथ अं.का., बेंगलूरु तथा मेंगलूरु में कन्नड भाषा, अं.का., विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम एवं हैदराबाद में तेलुगू भाषा तथा क्षे.का., त्रिवेन्द्रम में मलयालम भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि बैंक के स्टाफ इस कार्यक्रम के मूल प्रयोजन के अनुरूप प्रशिक्षण का लाभ उठाएंगे और ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित करने में सफल होंगे.

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से नराकास, मऊ को 'नराकास राजभाषा सम्मान' का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है. इस उपलब्धि के लिए मऊ के क्षेत्र प्रमुख, राजभाषा अधिकारी तथा उनकी टीम को हार्दिक बधाई. हमारे बैंक के 28 कार्यालय नराकास के संयोजक हैं. मैं आशा करती हूँ कि शेष संयोजक कार्यालय भी क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ के इस अनुकरणीय उपलब्धि से प्रेरणा लेंगे और भारत सरकार के नराकास सम्मान तथा क्षेत्रीय पुरस्कारों में बैंक का गौरवशाली स्थान सुनिश्चित करेंगे.

पुरस्कारों की श्रृंखला को जारी रखते हुए बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका यूनियन धारा को आशीर्वाद संस्था से श्रेष्ठ गृह पत्रिका तथा यूनियन सृजन को पीआरसीआई से क्षेत्रीय गृह पत्रिका श्रेणी में रजत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. इस उपलब्धि का श्रेय गृह पत्रिकाओं के जानकार लेखकवर्ग को जाता है, जो दोनों पत्रिकाओं में गुणवत्तापूर्ण लेख, कविता आदि का योगदान देते हैं. साथ ही गृह पत्रिकाओं के संपादक मंडल द्वारा इनकी रोचकता में वृद्धि हेतु अथक प्रयास किए जाते हैं. बैंक की गृह पत्रिकाओं के आगामी अंकों में भी नवीनता और रोचकता सुनिश्चित करने और स्वयं अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाने के लिए मैं आप सभी पाठकों से आग्रह करती हूँ कि पठन-पाठन की संस्कृति को अपनाएं.

बैंक अपने सामाजिक दायित्वों को अत्यंत महत्व देता है. हमने संवहनीय विकास में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए 'गो ग्रीन' का संकल्प लिया है. यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि अपने दैनिक कार्य शैली में परिवर्तन का आह्वान है, आगामी पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की प्रतिज्ञा है. इसी दायित्व को दर्शाते हुए हम कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स साझेदारी में शामिल होने वाले पहले भारतीय बैंक बने हैं. हरित पहल के अंतर्गत हमने हरित और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए रु.20,000 करोड़ से अधिक बजट आवंटित किया है. सामाजिक दायित्व के अंतर्गत बैंक निरंतर आधार पर कई धर्मार्थ कार्य करता है. इसी की एक कड़ी के रूप में प्रौढ़ शिक्षा पहल 'यूनियन साक्षर' के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के कार्यक्षेत्र में उन्नाव जिले में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. शीघ्र ही अन्य स्थानों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा.

आइए राजभाषा की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में प्रण लें और हम सब हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को अपना आधार बनाते हुए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करें.

शुभकामनाओं सहित,

(ए. मणिमेखलै)
एमडी एवं सीईओ

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

भाषा और साहित्य मानव संस्कृति के आवश्यक पहलू हैं. इन्हीं के माध्यम से हम अपने अस्तित्व, परिवेश, समाज और पूरी दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं. अपनी धारणाओं और संकल्पों को आकार देने और एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने हेतु हम भाषा का सहारा लेते हैं और इन संकल्पनाओं का वर्चस्व अनंत काल तक बनाए रखने हेतु साहित्य के विभिन्न विधाओं को अपना माध्यम बनाते हैं.

भारत की भाषा संपदा समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है. देश की 22 भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है. हाल में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है. जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 19569 मातृभाषाएं दर्ज हुई हैं, जिन्हें परिमार्जित करने के बाद मातृभाषाओं की संख्या 1369 निर्धारित की गई है, जिन्हें 121 समूहों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि कई भाषाएं लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं. लुप्त तथा लुप्तप्राय भाषाओं के पुनरुद्धार हेतु भारत सरकार ने फरवरी 2014 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तत्वावधान में लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के माध्यम से वर्तमान में 117 लुप्तप्राय भाषाओं के शब्दकोश, व्याकरण संरचना और इन भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान भंडार को प्रलेखित और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है.

भारत की भाषा संपदा को जीवंत रखने और अगली पीढ़ी को इन भाषाओं का उत्तराधिकार सौंपना हमारा कर्तव्य है. अत: क्षेत्रीय भाषाओं की संवहनीयता तथा संरक्षण के प्रति हमें संवेदनशील बनना होगा और इन भाषाओं के प्रति हमारी अगली पीढ़ी की आसक्ति को सिंचित करना होगा. क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के बीच की दूरी को पाटने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है. इस अनुभाग के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में तथा हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा मिलेगा. भारत सरकार द्वारा विकसित भाषिणी ऐप के माध्यम से हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से लिखित एवं मौखिक अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है.

साहित्य से समाज के मानवीय पक्ष का अनावरण होता है. एक ओर समाज साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है तो दूसरी ओर समाज साहित्य से प्रभावित भी होता है. समाज में हो रहे क्रमगत परिवर्तन, बदलते मूल्य आदि का आभास तत्कालीन साहित्य से मिलता है. इतना ही नहीं साहित्य, भाषा विशेष की सांस्कृति, रीति-रिवाज, ज्ञान भंडार और प्रचलित मान्यताओं की कुंजी है. भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य भंडार से हमें न केवल अथाह सृजनात्मकता का परिचय मिलता है बल्कि कई विषयों के संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है. संक्षेप में, भाषा और साहित्य मानव अभिव्यक्ति, संचार, संस्कृति और व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य हैं.

राजभाषा की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 'यूनियन सृजन' के 'भाषा एवं साहित्य' विशेषांक में इन्हीं विशेषताओं को संजोने का प्रयास किया गया है. इस अंक में भारतीय भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, भाषा संरक्षण की आवश्यकता, भाषा का बदलता रूप, लिपि की यात्रा, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, संप्रेषण, अभिव्यक्ति आदि पहलुओं के संबंध में लेख शामिल किए गए हैं. इस अंक को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में हमारे लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और संपादकीय सलाहकारों के अमूल्य मार्गदशन से इसका आकर्षक कलेवर तैयार हुआ है.

हमें विश्वास है कि 'यूनियन सृजन' का 'भाषा एवं साहित्य' विशेषांक आपको पसंद आएगा. 'यूनियन सृजन' की धरोहर को समृद्ध बनाने की दिशा में आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी.

भवदीया,

(गायत्री रवि किरण)

लुप्तप्राय भाषाएँ–भारत के संदर्भ में

जीव-जंतु कीट-पतंग वनस्पतियाँ मरती हैं, क्या कभी आपने सुना है या सोचा है कि भाषाएँ भी मरती हैं? शायद नहीं सुना होगा क्योंकि कोई स्वयंसेवी संस्था या कोई मशहूर कलाकार या कोई बड़ी शख्सियत या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति विलुप्तप्राय जीव-जंतु और वनस्पतियों को बचाने के लिए जिस प्रकार का अभियान करते हुए देखे जाते हैं वैसे अभियानों का इस विषय के संदर्भ में सर्वथा अभाव दिखता है. यही नहीं हम अपने परिवेश की हर सजीव वस्तु के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं या सजग रहते हैं किंतु अपनी भाषा या अपनी बोली को लेकर कभी नहीं सोचते कि इसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अत: इस आलेख के माध्यम से प्रत्येक पाठक को मेरी चेतावनी है कि यदि आप अपनी भाषा के स्वास्थ्य को लेकर सजग नहीं हैं और आपकी भाषा यदि मर जाती है तब यह ध्यान रखिए कि केवल यह भाषा ही नहीं अपितु आपकी भाषा बोलने वालों के पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक-संस्कृति, परंपरा और पहचान भी मिट जाएगी. अत: स्पष्ट है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि यह अपने भाषा-समूह की पहचान और उनके समग्र इतिहास तथा उनकी सांस्कृतिक विविधताओं और जीवंत परंपराओं का आधार स्तंभ भी है. भाषा के मरने की विभीषिका व्यापक है. मानव एक समय में पाशविक था तथा उसके अंदर मानवता का विकास शनै: शनै: चरणबद्ध तरीके से हुआ है. इस प्रक्रिया में भाषाओं का बड़ा योगदान है. भाषाएँ इस क्रमिक विकास की थाती को अपने अंदर सँजोए हुए हैं. किसी भी भाषा का मरना मानवता की एक अपूरणीय क्षति है.

भाषा अचानक नहीं मर जाती, यह अपने ही भाष-भाषी समुदाय से अपेक्षित होने पर धीरे-धीरे मरती है. जब किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या कम होने लगती है और नई पीढ़ी उस भाषा में रुचि नहीं रखती है तब एक समय ऐसा आता है कि इसके बोलने वालों की संख्या नगण्य हो जाती है. भाषा की यही स्थिति मरणासन्न स्थिति होती है. यह एक गंभीर स्थिति है, विश्व की लगभग 35% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या लगातार घट रही है या ये भाषाएँ गंभीर विलुप्त होने की स्थिति की ओर बढ़ रही हैं. सामान्य रूप से लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, और जैसे ही किसी भाषा को बोलने और जानने वाला अंतिम व्यक्ति मर जाता है, यह भाषा मृत-भाषा के दस्तावेज़ में दर्ज हो जाती है.

यूनेस्को के एक अध्ययन के अनुसार विश्व की संकटग्रस्त भाषाओं का एटलस 2011 के अनुसार संकटग्रस्त भाषाओं की संख्या भारत (197) में सबसे अधिक है क्रमश: अमेरिका (191) और ब्राज़ील दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. बहुत से भाषाविदों का यह मत है कि यदि उचित उपाय नहीं किए गए तो इस सदी के अंत तक लगभग 2500 भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी.

भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ और भाषाओं का एकमात्र प्रमाणिक आंकड़ा हमें भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त होता है. इस जनगणना के अनुसार भारत में कुल 19,569 मातृभाषाएँ दर्ज की गई हैं. यह संभव नहीं है कि इन सब कि प्रमाणिकता सिद्ध हो सके की संग्रहित आंकड़ों में दोहराव नहीं है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है. अत: इन आंकड़ों को परिमार्जित करते हुए लगभग 1369 युक्तिसंगत मातृभाषाओं का आंकड़ा हमें 2011 की जनगणना से प्राप्त होता है. तथा 1474 मातृभाषाएं जिन्हें वर्गीकृत करना संभव नहीं था उन्हें एक साथ रखते हुए अन्य-भाषा समूह के अंतर्गत रखा गया. आगे 1369 वर्गीकृत भाषाओं को, जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 या उससे अधिक दर्ज की गई थी, पुन: बड़े समूहों में एकीकृत किया गया जिससे 121 भाषा समूह प्राप्त हुए. इसी 121 भाषा समूह में से 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया और शेष 99 गैर अनुसूचित भाषाएँ हैं.

भारत में भाषाई स्थिति

भारत बहुसंस्कृति वाला एक बहुभाषी देश है. उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक देखें तो हमें अपने देश में अनेक विविध संस्कृतियाँ, परिपाटियाँ, रीति-रिवाज और बोली एवं भाषाएँ मिलती हैं. जनगणना के दौरान हजारों मातृभाषाएं दर्ज हुईं और उनमें से संविधान सम्मत 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है. एथ्नोलॉग के अनुसार इन 22 भाषाओं में से छ: भाषाएँ विश्व में बोले जाने वाली शीर्ष की 20 भाषाओं की सूची में आती हैं. इनमें हिंदी (608.8 मि.) बांग्ला (278.2 मि.), उर्दू (237.9 मि), मराठी (99.3 मि.), तेलुगू (95.8 मि.), तमिल (86.7 मिलियन) बोलनेवालों की संख्या के साथ क्रमश: तीसरे, दसवें, सोलहवें, सतरहवें, और बीसवें स्थान पर हैं. यह आँकड़ा उत्साहजनक नहीं है और न ही इससे सहमत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है. विश्व में जहाँ पड़ोसी देशों में सीमावर्ती स्थानों में पूरी भिन्नता दिखती है, हमारे देश में विविधताओं के मध्य भी

एक समानता दिखाई देती है. यह समानता खानपान, रहन-सहन, पूजा-पाठ आदि के साथ-साथ भाषा और बोली में भी दिखाई देती है. यदि हम अपनी 22 राजभाषाओं पर गौर करें तब पाते हैं कि एक भाषा एक राज्य में बहुसंख्यक है वहीं पर कई राज्यों में वही भाषा अल्पसंख्यक भी है. अर्थात दो सीमावर्ती राज्य जिनकी अलग-अलग राजभाषाएँ हैं वहाँ सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात राज्य की सीमा के दोनों ओर लगभग 100 किलोमीटर तक लोग दोनों राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग करते हैं. ऐसी स्थिति में चाहे जितनी भी प्रमाणिकता का दावा हो एथ्नोलॉग द्वारा प्रस्तुत ये आंकड़े भ्रामक ही लगते हैं.

भारत सरकार ने 1971 की जनगणना के समय यह निर्धारित किया था कि जिन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम होगी उन्हें दर्ज नहीं किया जाएगा. परिणामत: यूनेस्को ने भारत में ऐसी सभी भाषाएँ जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है उन्हें जोखिमयुक्त या मरणासन्न भाषा की श्रेणी में रख लिया है. यूनेस्को द्वारा जारी विश्व भाषाओं का एटलस हमारे देश में लगभग 197 भाषाओं को खतरे की स्थिति में दर्शाता है वहीं पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने शोध में गणेश देवी ने लगभग 780 भाषाओं को दर्ज किया है और उनमें से 600 भाषाओं को गंभीर संकट की स्थिति में बताया है. यूनेस्को के एटलस ऑफ वर्ड्स लैंग्वेजेस में भाषाओं के खतरे की स्थिति को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित स्थितियों का वर्णन मिलता है-

1. **सुरक्षित स्थति** - जब बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा वह भाषा बोली जाती है.

2. **असुरक्षित स्थिति** - सभी वर्गों के साथ-साथ अधिकांश बच्चों द्वारा वह भाषा बोली जाती है किंतु उनके प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है.

3. **गंभीर स्थिति** - बच्चे इस भाषा को नहीं सीखते किंतु उनके माता-पिता और उनकी ऊपर वाली पीढ़ी द्वारा उस भाषा का प्रयोग किया जाता है.

4. **अति गंभीर स्थिति** - केवल दादा-दादी वाली पीढ़ी इस भाषा का उपयोग करती है माता -पिता समझ लेते हैं किंतु अपने बच्चों के साथ इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं.

5. **नाजुक स्थिति** - दादा-दादी की पीढ़ी में भी कुछ लोगों द्वारा कभी-कभी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है.

6. मृत स्थिति या लुप्त-भाषा - जब इस भाषा को कोई बोलने वाला शेष न हो.

इससे संबंधित पूरी जानकारी यूनेस्को की वेबसाइट https://en.wal.unesco.org/countries/india/languages पर उपलब्ध है. हमारे देश में जोखिम की स्थिति वाली भाषाओं का ब्यौरा भी इस वेबसाइट पर दर्ज है. इसका अवलोकन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि ये भाषाएँ विशेषकर वृहद अंडमान भाषा समूह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भाषाएँ तथा देश के अन्य भागों में आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भाषाएं हैं. जैसे अरुणाचल प्रदेश में "ना" भाषा को बोलने वालों की संख्या अब 500 से भी कम बची है वहीं पर अंडमान में "होंगे" भाषा को बोलने वालों की संख्या दहाई से भी कम बची है. इसी प्रकार मुदली-गढ़वा (आन्ध्रप्रदेश), मोयोन, चीरू, चितु, चौथे (मणिपुर), एराभल्लान, मुडुगा (केरल), जानशुंग, कनसी (हिमाचल प्रदेश), दारलोंग (त्रिपुरा), अतोंग (मेघालय), बावचिम(मिज़ोरम), बिरहोर (झारखंड) जैसी अनेक भाषाएँ अति गंभीर या नाजुक स्थिति में हैं. इनको बचाने के तत्काल उपाय किए जाने चाहिए अन्यथा ये भाषाएँ हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी.

भाषा संरक्षण क्यों करें ?

1. **पहचान की भावना-** भाषा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पहचान की जीवनधारा होती है. यह भाषा-भाषी समूह में अपनत्व एवं एकता के सूत्र का संचार करती है.

2. **सीखने की क्षमता पर प्रभाव-** विभिन्न शोधों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सीखने में सहज महसूस करता है तथा सीखे हुए ज्ञान को सरलता से अपने जीवन में उतार पाता है.

3. **ज्ञान का भंडार-** प्रत्येक भाषा एक स्थानीय व्यवस्था में विकसित होती है, अत: यह उस स्थानीय व्यवस्था की अद्वितीय प्रणाली स्थानीय ज्ञान परंपरा को अपने अंदर सहेजती और संजोती है साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है.

4. **अनेकता में एकता-** भारत राष्ट्र जिसका मूल सिद्धांत अनेकता में एकता है. यह अनेकता हमें भाषा, धर्म, भोजन आदि के रूप में मिलती है अर्थात यदि भाषा संकट में आएगी तब हमारी एकता स्वत: प्रभावित होगी.

5. **जैव-विविधता-** यह एक प्रमाणित तथ्य है कि आदिवासी समाज जैव-विविधता की रक्षा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है एवं जैव-विविधता को संरक्षित रखने की पद्धति उसकी भाषा में संरक्षित होती है. अत: जैव-विविधता एवं भाषाई-विविधता एक दूसरे की पूरक हैं. स्वभावत: भाषा के संकट में आने से जैव-विविधता प्रभावित होगी.

भाषा संरक्षण के उपाय

भाषा संरक्षण एक बहुस्तरीय विषय है इसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सबकी समान भागीदारी आवश्यक है. अत: भाषा संरक्षण का प्रयास निम्नलिखित स्तरों पर हो सकता है -

1. **व्यक्तिगत स्तर एवं सामाजिक स्तर** - भाषा संरक्षण में सबसे महती भूमिका व्यक्ति एवं समाज की है. व्यक्ति को अपनी भाषा के उपयोग में जब तक गौरव महसूस नहीं होगा वह उससे नहीं जुड़ेगा. व्यक्ति और समाज को यह समझना होगा कि उनकी मातृभाषा ही उनकी पहचान है. इस भावना के साथ उन्हें अपने आसपास उपस्थित अन्य बहुप्रचलित भाषा को स्वीकारने के साथ-साथ अपने घरेलू, धार्मिक, आस्थायुक्त संस्कारों में अपनी भाषा का प्रयोग दृढ़ता से जारी रखना होगा. अन्यथा कोई भाषा कितनी भी सशक्त हो वह देर-सवेर मरणासन्न स्थिति में चली जाएगी.

2. **सरकारी स्तर पर-** सरकारी स्तर पर भाषा संरक्षण हेतु किये गए उपाय अत्यंत कारगर एवं प्रभावी होते हैं, जो निम्न प्रकार से संभव हैं-

क. **रोजगार की संभावना-** कहते हैं कि किसी भाषा को बचाए रखना है तो उस भाषा-भाषी समुदाय को उसकी भाषा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए. किसी भाषा को संरक्षित रखने का यह अचूक और सबसे कारगर उपाय है.

ख. संवैधानिक व्यवस्था-

i. **राजभाषा का दर्जा-** ऐसा पाया गया है कि किसी भाषा को जब राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है तब उसका विकास स्वमेव स्थायी हो जाता है. हमारे देश में वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है. देश के अंदर अन्य भाषाओं की अपेक्षा इन भाषाओं की स्थिति सुदृढ़ है.

ii. **संविधान की धारा 29-** भारतीय संविधान की धारा 29 के अनुसार समुदायों का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी भाषा का संरक्षण कर सके.

iii. **संविधान की धारा 350(क)** - इस धारा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उचित व्यवस्था करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक भाषा समूह का प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करे.

iv. **संविधान की धारा 350 (ख)** - इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय की संवैधानिक सुरक्षा की जांच करेगा एवं राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा. राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं संबंधित राज्यों को प्रेषित करेंगे.

v. **संकटग्रस्त भाषाओं के रक्षण एवं संरक्षण की योजना** (SPPEL) - यह भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसके अंतर्गत 170 भाषाएँ जिनके बोलने वालों की संख्या 10 हजार या उससे कम है उनके लिए व्याकरण, शब्दकोश, उनके स्थायी स्थानीय भाषा क्षेत्र को चिह्नित किए जाने के प्रयास के साथ शुरू किया गया है. इसकी निगरानी केंद्रीय भाषा संस्थान, मैसूर, कर्नाटक द्वारा की जाती है.

vi. **केंद्रीय भाषा संस्थान** - इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1969 में मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत की गयी थी. अब यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को भाषा संबंधी परामर्श प्रदान करता है. मुख्य रूप से यह संस्थान अल्पसंख्यक भाषाओं एवं आदिवासी भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करता है.

3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

भाषाओं के लुप्त होने की विभीषिका वैश्विक है. अतः भाषाओं के संरक्षण का कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है जैसे -

क. **यूनेस्को द्वारा विश्व भाषाओं का एटलस-** यूनेस्को ने विश्व भाषाओं का एटलस वर्ष 1996 में जारी किया, जिसे वर्ष 2001 और 2010 में अद्यतन किया गया. यह एटलस विश्व की भाषाओं के स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन का एक प्रमाणिक दस्तावेज है.

ख. **स्थानीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक-** भाषाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यूनेस्को ने 2022-2032 की अवधि को स्थानीय भाषाओं हेतु अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है.

ग. अन्य उपाय

i) जनगणना के दौरान सचेतन रूप से अपनी मातृभाषा को दर्ज करवाना.

ii) सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी संसाधनों में अपनी भाषा का प्रयोग करना.

iii) भाषा संवर्धन से जुड़ें व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थानों को प्रश्रय, पहचान एवं सहयोग प्रदान करना.

भाषा किसी भी समुदाय की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है. यह एक माध्यम है जिसके द्वारा उनके ज्ञान, रीति-रिवाज, विश्वास और परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है. ऐसी स्थिति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत जैसा देश, जिसकी आत्मा "विविधता में एकता" की अवधारणा से स्पंदित होती है, उसे अपने को जीवंत बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संरक्षित करने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए. आइए हम सभी मिलकर अपनी भाषाओं को समृद्ध करने के लिए सामूहिक प्रयास करें और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुचाएं.

अम्बरीष कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक (मा.सं.)
कें.का., मुंबई

अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे."

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं. विविधता से भरे इस देश में भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी प्रमुख हिस्सा है. भारतीय संविधान में भाषा के महत्व को पहचानते हुए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन इन्हीं प्रावधानों का हिस्सा है, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का विकास और उसका उचित स्थान सुनिश्चित करना है.

भारतीय संविधान और भाषा नीति :

भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कई अनुच्छेद शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है. संविधान में भाषा से संबंधित कई प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा नीति को स्पष्ट किया गया है. अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है.

हालांकि, संविधान निर्माताओं ने यह भी समझा कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, केवल एक भाषा पर जोर देना व्यावहारिक नहीं होगा. इसीलिए, संविधान में अन्य भारतीय भाषाओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 351 के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास और उसे संघ की राजभाषा बनाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

अनुच्छेद 351 का परिचय :

अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार को दिशा-निर्देश देता है. इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को देश के सभी हिस्सों में एक संप्रेषणीय भाषा के रूप में स्थापित करना है. अनुच्छेद 351 के अनुसार, यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करे. यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से हिंदी के विकास और उसे एक राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है. हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाएगी. अनुच्छेद 351 के अनुसार, हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह देश के सभी हिस्सों की भाषाओं और संस्कृतियों को समाहित कर सके. इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी को राष्ट्र की एक समन्वयक भाषा के रूप में विकसित करना है, जो भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच एक सेतु का काम कर सके. अनुच्छेद 351 के तहत, यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि यह देश के सभी हिस्सों में समझी और बोली जा सके.

अनुच्छेद 351 की मुख्य बातें :

1. हिंदी का विकास: सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व कर सके.

2. अन्य भारतीय भाषाओं का समावेश: हिंदी के विकास में भारत की अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश किया जाए, ताकि वह एक समृद्ध और व्यापक भाषा बने, जो सभी भारतीयों द्वारा आसानी से समझी जा सके.

3. संस्कृत का प्रभाव: हिंदी भाषा के विकास में विशेष रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि संस्कृत भारतीय भाषाओं की जड़ है और उससे हिंदी को अधिक समृद्ध और व्यवस्थित किया जा सकता है.

राजभाषा कार्यान्वयन की भूमिका :

राजभाषा कार्यान्वयन का अर्थ है भारतीय संविधान में दिए गए भाषा संबंधी प्रावधानों को धरातल पर लागू करना. भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा मान्यता दी गई है. इस संदर्भ में राजभाषा कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना है.

राजभाषा कार्यान्वयन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है. इसके तहत हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न नियम और नीतियाँ बनाई गई हैं. राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में मुख्य रूप से हो.

इसके अलावा, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं. सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कार्यशालाएँ, हिंदी शिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूक किया जा सके.

शिक्षा में हिंदी का प्रयोग :

शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया गया है. इससे नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी है. इसके साथ ही, टेक्नोलॉजी में भी हिंदी को एक प्रमुख स्थान दिया गया है, जिससे हिंदी में डिजिटल सामग्री का विकास हो रहा है.

अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियाँ :

हालांकि अनुच्छेद 351 के क्रियान्वयन और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस दिशा में कई चुनौतियाँ भी हैं. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और कई राज्यों में हिंदी का प्रचलन सीमित है.

दूसरी चुनौती यह है कि हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी है. हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की गति अपेक्षित नहीं है.

तीसरी चुनौती यह है कि कई बार राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयासों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार से क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा हो सकती है. इस प्रकार, हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों में बाधाएँ भी आती हैं.

अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन का भविष्य :

अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हिंदी के विकास के साथ-साथ अन्य भाषाओं का भी संरक्षण और संवर्धन हो.

राजभाषा कार्यान्वयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हिंदी को देश के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से स्थापित किया जाता है. इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान की भावना बनी रहे. हिंदी के विकास के लिए सरकारी स्तर पर और भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वह देश के सभी हिस्सों में स्वीकार्य हो सके.

इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाना चाहिए. डिजिटल युग में, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा सकता है. हिंदी सॉफ़्टवेयर, हिंदी अनुवाद उपकरण, और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर हिंदी को और भी अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है.

निष्कर्ष :

अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन भारतीय भाषा नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इनका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का विकास और उसे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है. हालाँकि, हिंदी के विकास के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ सामने हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है.

अंततः, भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना ही अनुच्छेद 351 और राजभाषा कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और समन्वय की भावना को बनाए रखना आवश्यक है.

जितेंद्र सिंह वर्मा
अं. का., गांधीनगर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विभाग की शब्दावली

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की अहम भूमिका है. यह रोजगार सृजन, नवाचार, निर्यात और अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है. एमएसएमई से संबंधित उद्यमों को विनिर्माण उद्यमों और सेवा प्रदाता उद्यमों के तहत तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनको भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है.

सूक्ष्म उद्यम : ऐसे उद्यम जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में वास्तविक निवेश 1 करोड़ रु. से अधिक न हो और कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 5 करोड़ से अधिक न हो.

लघु उद्यम: ऐसे उद्यम जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में वास्तविक निवेश 10 करोड़ से अधिक न हो और कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 करोड़ से अधिक न हो.

मध्यम उद्यम: ऐसे उद्यम जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में वास्तविक निवेश रु. 50 करोड़ से अधिक न हो और कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 250 करोड़ से अधिक न हो.

बैंक में एमएसएमई से संबंधित शब्दों से परिचित कराने हेतु एमएसएमई विभाग में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों एवं पदबंधों के हिंदी अर्थ तथा उनके हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य प्रयोगों का संकलन दिया गया है ताकि एमएसएमई विभाग में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सहज रूप में व्यवहार में लाया जा सके.

दैनिक कार्य में उपयोग हेतु शब्दावली

Abeyance	स्थगन/प्रास्थगन
Acquisition	अधिग्रहण
Amalgamation	समामेलन
Annexure	अनुबंध
Application	आवेदन
Auction	नीलामी
Bonafide Payment	वास्तविक भुगतान
Bullet Repayment	एकबारगी चुकौती
Business	कारोबार
Business Correspondent	कारोबार प्रतिनिधि
Clarification	स्पष्टीकरण
Cluster Specific Schemes	क्लस्टर विशिष्ट योजनाएं
Collateral security	समर्थक/संपार्श्विक जमानत/प्रतिभूति
Commendation Certificate	प्रशस्ति प्रमाणपत्र
Commercial Area	वाणिज्यिक क्षेत्र
Competent Authority	सक्षम प्राधिकारी
Complaint	शिकायत
Compliance	अनुपालन
Concession	रियायत
Concurrence	सहमति
Concurrence	सहमति
Credit Guarantee Scheme	ऋण गारंटी योजना
Credit Monitoring	ऋण निगरानी
Defaulter	चूककर्ता
Delegation	प्रत्यायोजन
Depreciation	मूल्यह्रास
Digital Penetration	डिजिटल पहुंच
Disbursement	संवितरण
Domestic Trade	आंतरिक व्यापार
Due Diligence	समुचित सावधानी
Economic Appraisal	आर्थिक मूल्यांकन
Employment	रोजगार
Empowerment	सशक्तिकरण
Entrepreneur	उद्यमी
Entrepreneurship	उद्यमशीलता
Equipment Procurement Contract	उपस्कर खरीद संविदा
Existing Borrower	मौजूदा उधारकर्ता
Export promotion	निर्यात संवर्धन
Extant guidelines	मौजूदा/ वर्तमान दिशानिर्देश
Extension	विस्तार
Fair Competition	स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
Financial assistance	वित्तीय सहायता
Financial Commitment	वित्तीय वचनबद्धता

Financial Statement	वित्तीय विवरण
Fiscal Deficit	राजकोषीय घाटा
Frequently Asked Questions (FAQs)	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
Functionary	पदाधिकारी
Hassle Free Loan	झंझट रहित ऋण
Immediate Effect	तत्काल प्रभाव
Implementation	कार्यान्वयन
Incremental Credit	वृद्धिशील ऋण
Incremental Growth	वृद्धिशील संवृद्धि
Innovation	नवाचार
Inspection	निरीक्षण
Interest Subvention	ब्याज सहायता/ अनुदान
Joint Venture	संयुक्त उद्यम
Lending Automation System (LAS)	उधार स्वचालन प्रणाली (लेस)
Letter of Indemnity	क्षतिपूर्ति पत्र
Lock-in period	अवरुद्धता अवधि
Mass Production	बड़े पैमाने पर उत्पादन
Memorandum of Understanding (MOU)	सहमति ज्ञापन (एमओयू)
Mobilization	जुटाना/ संग्रहण
Modification	आशोधन
New to Bank Customer (NTB)	बैंक के नए ग्राहक
Niche Products	विशिष्ट उत्पाद
No Objection Certificate	अनापत्ति प्रमाणपत्र
Non-Agriculture purpose	गैर-कृषि प्रयोजन
Norms	मानदंड/ मानक
Outreach Campaign	जनसंपर्क अभियान
Peer Banks	समकक्ष बैंक
Performance	कार्य-निष्पादन
Performance Recognition	कार्यनिष्पादन मान्यता
Personal Guarantee	वैयक्तिक गारंटी
Physical Verification	प्रत्यक्ष सत्यापन
Pricing	मूल्य निर्धारण
Processing Charge	प्रसंस्करण प्रभार
Procurement	खरीद
Procurement	खरीद
Procurement Management	खरीद प्रबंधन
Promotion	संवर्धन
Proposal	प्रस्ताव
Quality Control	गुणवत्ता नियंत्रण
Quality Proposal	गुणवत्तायुक्त प्रस्ताव
Reappraisal	पुनर्मूल्यांकन
Regulatory Body	विनियामक निकाय
Reimbursement	प्रतिपूर्ति
Repayment Tenure	चुकौती अवधि
Requisite Documents	अपेक्षित दस्तावेज
Sanction	मंजूरी/ संस्वीकृति
Self Help Group (SHG)	स्वयं सहायता समूह
Spurious Gold	खोटा/नकली सोना/ स्वर्ण
Standard Operating Procedure	मानक परिचालन प्रक्रिया
Standardized Format	मानकीकृत प्रारूप
Straight Through Processing (STP)	स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)
Structural Liquidity	संरचनात्मक चलनिधि
Supplier	आपूर्तिकर्ता
Technology Upgradation	प्रौद्योगिकी उन्नयन
Terms and Conditions of Service	सेवा शर्तें
Turnover	कुल कारोबार, व्यापारवर्त
Undertaking	1. उपक्रम 2. वचनपत्र 3. वचनबंध
Unorganized Sector	असंगठित क्षेत्र
Valuation	मूल्यांकन/मूल्य-निर्धारण
Verification	सत्यापन
Working Capital	कार्यशील पूंजी

नारायण सिंह
एम.एस.एम.ई. विभाग
कें.का., मुंबई

कार्यालयीन भाषा और साहित्यिक भाषा

अपने भाव, विचार, अनुभूति और आवश्यकता को व्यक्त करने, विचार विनिमय और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मौखिक या लिखित रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है. मौखिक रूप से भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है तो लिखित रूप से उन ध्वनियों को लिपियों के माध्यम से व्यक्त करने की व्यवस्था है.

भाषा का स्वरूप

सामाजिक परिवेश, लोकाचार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, रूचि, मनोस्थिति और कार्य संस्कृति के अनुरूप भाषा के स्वरूप या शैली में परिवर्तन होता है. शब्दों का चयन, वाक्य संरचना, उपसर्गों, प्रत्ययों और पदबन्धों का प्रयोग, स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग और मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किसी भाषा की शैली को निर्धारित करता है. सामान्यत: भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से बातचीत अर्थात परस्पर विचार विनिमय एवं अपने भाव, विचार व अनुभूति को व्यक्त करने तथा कार्यालय, न्यायालय, शिक्षा और व्यापार में आपसी संवाद या सम्प्रेषण तथा साहित्य सृजन के लिए होता है.

जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के कार्यालय में दैनिक काम-काज अर्थात् प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य तौर पर किया जाता है, उसे कार्यालयीन भाषा कहा जाता है. भारत के संदर्भ में राजभाषा हिंदी के वर्तमान स्वरूप को कार्यालयीन भाषा या हिंदी भाषा का कार्यालयीन स्वरूप कहा जा सकता है. इसी प्रकार जिस भाषा में साहित्य का सृजन किया जाता है अर्थात किसी भाषा में किसी साहित्य की रचना के लिए भाषा के जिस स्वरूप या शैली का प्रयोग किया जाता है, उसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है.

कार्यालयीन भाषा

सरकारी काम काज के लिए किसी भी भाषा के जिस स्वरूप या शैली का प्रयोग किया जाता है, उसे कार्यालयीन भाषा के नाम से जाना जाता है. भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में दैनिक काम - काज के लिए राजभाषा हिंदी को अपनाया गया है. ध्यातव्य है कि इसके लिए देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है जब कि शब्दों के प्रयोग के मामले में उदारता बरती गई है अर्थात आवश्यकतानुसार अंग्रेजी, अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग की अनुमति दी गई है. चूँकि हिंदी भाषा की उत्पति संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी भाषा की प्रकृति, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास और व्याकरण संस्कृत भाषा का ही अनुकरण है, अतएव यह भरसक प्रयास होना चाहिए कि संस्कृत के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाए. तथापि प्रचलित और प्रासंगिक होने पर देशज तथा विदेशज शब्दों को अपनाया जा सकता है. पदबन्ध, समास, अलंकार इत्यादि का प्रयोग कार्यालयीन भाषा शैली के अनुरूप नहीं है. लंबे वाक्यों का प्रयोग या कई वाक्यों को जोड़कर एक साथ लिखने से भाषा जटिल और दुरूह हो जाती है तथा निहितार्थ में अवरोध उत्पन्न होता है जब कि अर्थगम्यता या अर्थबोधता कार्यालयीन भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है.

इसी प्रकार भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में देवनागरी लिपि के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अर्थात आर्यभट्ट द्वारा विकसित दाशमिक प्रणाली (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9) को मान्यता प्रदान किया गया है. हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज विश्व में सबसे अधिक प्रयोग भारत की अंक प्रणाली का ही किया जाता है. कैथी लिपि, रोमन लिपि या किसी भी अन्य लिपियों के अंक प्रणाली का उपयोग भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में नहीं किया जाता है. तथापि, वर्गीकरण और उपवर्गीकरण की स्थिति में सुस्पष्टता के लिए सीमित मात्रा में रोमन लिपि के अंकों का प्रयोग किया जाता है.

साहित्यिक भाषा

साहित्य समाज का दर्पण होता है और किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी वहाँ के साहित्य से ही मिलती है. किसी भी भाषा की जिस शैली में वहाँ साहित्य का सृजन किया जाता है, उसे ही साहित्यिक भाषा के रूप में अभिहीत किया जाता है. संस्कृत साहित्य की तरह हिंदी साहित्य भी पहले पूर्णत: पद्यात्मक था किंतु धीरे-धीरे यह गद्यात्मक होते चला गया. साहित्यिक भाषा में अर्थ से अधिक भाव को महत्व दिया जाता है. चाहे किसी कहानी/ कथा की प्रस्तुति हो या किसी विचार या ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थ से अधिक महत्व साहित्यिक सौंदर्य को दिया जाता है. पदबंध, संधि, समास, रस, अलंकार, मिथक, किंवदंती, लोकोक्ति और मुहावरा इत्यादि के प्रयोग द्वारा साहित्य को रोचक, मनोरंजक और पठनीय बनाया जाता है. उच्च कोटि के साहित्य की यह पहचान है कि कम से कम शब्दों में, बोधगम्यता और सुंदरता के साथ विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है. "चाँद की चटकीली चाँदनी ने चूड़ावत चकोर के चित्त को चंचल कर दिया." हाड़ा रानी के यौवन और सौंदर्य की ओर आसक्ति के कारण युवराज चूड़ावत के रण क्षेत्र में जाने के अंतर्द्वंद को चित्रित करने के लिए इससे अधिक सशक्त वाक्य नहीं हो सकता है. इसी प्रकार "मैं सुकुमारी नाथ वनजोरू, तुम्हीं उचित ताप मोह कहाँ भोगु" में वनगमन हेतु सीता की मनोव्यथा या "स्मृति बड़ी निष्ठुर है; अगर प्रेम ही जीवन का सत्य है तो यह संसार ज्वालामुखी है." में देवसेना की व्याकुलता को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ हुआ है. इसी प्रकार कथा प्रसंग, घटना, स्थल, अवसर, आलंबन और उपादान के अनुरूप शब्दों का चयन और क्रम तथा वाक्यों का निर्माण किया जाता है. प्रेम की

अनुभूति या शृंगार रस में मधुर ध्वनि वाले शब्दों का और युद्ध या प्रतिशोध के समय या वीर रस में कर्कश और ओजपूर्ण ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है. इसी प्रकार परिवेश के अनुरूप संवाद का प्रयोग किया जाता है. इसीलिए मैला आँचल, गोदान और देहाती दुनिया में स्थानीय शब्दों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है. जबकि कामायनी, उर्वशी और अंधा युग में संस्कृत-निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है.

कार्यालयीन भाषा और साहित्यिक भाषा में तुलना

भाषा और लिपि में एकरूपता होते हुए भी कार्यालयीन भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर होता है. जहां कार्यालयीन भाषा में अर्थ की प्रधानता होती है अर्थात कथ्य का अर्थ सुस्पष्ट होता है, जब कि साहित्यिक भाषा में अर्थ से अधिक महत्व भाव और साहित्यिक सौंदर्य को दिया जाता है. कार्यालयीन भाषा केवल गद्यात्मक होती है और वह भी प्रकारांतर से निबंधात्मक होती है, जिसका विस्तार नियम, विनियम, नियमावली, प्रपत्र, परिपत्र, ज्ञापन, सूचना, अधिसूचना, कार्यवृत्त इत्यादि तक ही सीमित होता है, जब कि साहित्यिक भाषा गद्यात्मक और पद्यात्मक - दोनों होती है और यह लेख, कहानी, कथा, काव्य, कविता, गीत, नाटक, एकांकी, घटना, यात्रा वृतांत, संस्मरण, समाचार इत्यादि का महासागर होती है. कार्यालयीन भाषा में लेखक या रचनाकार के ज्ञान का पता चलता है जबकि साहित्यिक भाषा में रचनाकार की रचनात्मकता, कलात्मकता और भावुकता परिलक्षित होती है. जहां कार्यालयीन भाषा में रचनाकार के विचार, अनुभूति, सोच, दर्शन और व्यक्तित्व की छाया कार्यालयीन भाषा में नहीं होती हैं, वहीं साहित्यिक भाषा में रचनाकार के विचार, अनुभूति, सोच, दर्शन और व्यक्तित्व की छाया स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है. जहां कार्यालयीन भाषा में पदबंध, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, अलंकार और लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचा जाता है, वहीं साहित्यिक भाषा में इनकी बहुलता होती है. जहां कार्यालयीन भाषा में लेखन या कृति के लिए रचनाकार को जानकार या अपने विषय या क्षेत्र में प्रवीणता होती आवश्यक है, वहीं साहित्यिक भाषा में इसके लिए रचनाकार को भाषाई ज्ञान के साथ-साथ संवेदनशील होना आवश्यक है.

निष्कर्ष

इसमें काई दो राय नहीं है कि भाषा मानव की सबसे बहुमूल्य सामाजिक संपत्ति है और मानव जगत के लिए सबसे बड़ा वरदान. आज मानव के पास ज्ञान, विज्ञान, कला और वांग्मय का जो अकूत भंडार है, वह भाषा के कारण ही संभव हो पाया है. भाषा के कई रूप होते हैं जिसमें कार्यालयीन भाषा और साहित्यिक भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है. कार्यालयीन भाषा जहाँ कार्यालय के काम-काज और अभिलेखन तथा प्रलेखन को आसान बनाती है, वहीं साहित्यिक भाषा ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के साथ ही साथ मानव जीवन के समस्त रूपों, परिस्थितियों और विविधताओं से हमें अवगत करवाती है.

ओम प्रकाश बर्णवाल
क्षे. का., तिरुपति

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय को 'ख' क्षेत्र में 'द्वितीय' पुरस्कार प्रदान किया गया है. दिनांक 22.08.2024 को श्री जगजीत कुमार, निदेशक(राभा), वित्तीय सेवाएँ विभग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मासं एवं राजभाषा). श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़, श्री संजीव कुमार, क्षेत्र प्रमुख, चंडीगढ़, श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा).

हिंदी भाषा का बदलता स्वरूप

संस्कृत से लेकर पाली, पाली से लेकर प्राकृत, प्राकृत से लेकर अपभ्रंश, अपभ्रंश से लेकर खड़ी बोली और खड़ी बोली से लेकर आज की आधुनिक हिंदी लगातार परिवर्तन को अपनाते हुए अपनी साख को लगातार बढ़ा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज हिंदी का बड़ा फलक फैला है. गूगल का आभार मानिए जिसने हिंदी के कंप्यूटर प्रयोग को लगातार उपभोक्ताओं के लिए सरल बनाने का काम किया है. यही नहीं हिंदी भाषी समाज जो विदेशो में लगातार बढ़ रहा है, साहित्य, उद्योग तथा सामजिक उत्सवों के जरिए भाषा के प्रचार-प्रसार में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है. हिंदी साहित्य के लगभग ग्यारह, बारह सौ वर्षों के इतिहास में भारतीय समाज ने कई रंग बदले. यह बदलाव भावनाओं, विचारों, रहन-सहन के स्तर, लोक-व्यवहार, सामाजिक बनावट और सोच के स्तर के साथ ही साथ बदलते राजनीतिक ढ़ाँचे, भौतिक विकास तथा वैश्विक आदान-प्रदान के कारण हुआ. इन परिवर्तनों का प्रभाव भारतीय-जीवन की दिशा और दशा को कितना और किस प्रकार पड़ा है, इसको केवल समय-समय पर बदलते हुए हिंदी साहित्य के स्वरूप को देखकर समझा जा सकता है.

किसी भी भाषा के स्वरूप में कई कारणों से बदलाव आते हैं. भारत में हिंदी भाषा के स्वरूप में आए हुए बदलावों पर यदि दृष्टि डालें तो सबसे पहला कारण यहाँ के शासन-तन्त्रों को माना जा सकता है. अनेक वर्षों तक मुगलों आदि का शासन भारत में रहा फलस्वरूप ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब देशों की भाषाओं ने हिंदी के स्वरूप को विकसित किया. तत्पश्चात्, अंग्रेजी हुकूमत के काल में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव हिंदी-भाषियों पर पड़ा.

हिंदी की आंचलिक बोलियों को भी हिंदी में पहचान मिली है. वहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रभाव भी देख सकते हैं:

थोड़ा टॉक टाइम, पूरी कीमत का रिचार्ज कूपन, थोड़ी वैलिडिटी यही जिंदगी है अब जो एस एम एस बन कर रह गई.

भूमंडलीकरण का गहरा प्रभाव भी हिंदी के स्वरूप को बदल रहा है. आज मैडोना जैसी गायिका कबीर के दोहे गा रही हैं तो वहीं भारत में 'वैलेंनटाइन डे' मनाया जा रहा है. अखबारों की सुर्खियाँ कुछ इस तरह की देखी जाती हैं :

"यूथ ने वैलेंनटाइन डे पर जमकर किया इन्ज्वाय" आम बोलचाल की हिंदी कुछ इस तरह की भी सुनने में आती है - 'दिमाग का दही', 'मैंने तेरे को मिस किया', आज महानगरीय जीवन की भाषा का कुछ ऐसा स्वरूप भी दिखाई पड़ा है. वास्तव में इसे कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? पर हाँ इसे प्रोत्साहित भी नहीं किया जा सकता.

अब बात करते हैं आज के सोशल मीडिया में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप की. वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषा का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और जन भाषा के रूप में वह तेजी से उभर रही है उसके भिन्न-भिन्न तेवर और भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं. वह साहित्यिक, लोकभाषिक, आंचलिक, क्षेत्रीय, महानगरीय, ग्रामीण, वैश्विक रूपों में आ रही है. वहीं, बालकों की हिंदी, स्त्रियों की हिंदी, लेखकों की हिंदी, राजनीतिज्ञों की हिंदी, किसानों की हिंदी, व्यापारियों की हिंदी और धार्मिक जगत की हिंदी के रूप में भी उभर रही है. पर साथ ही नियम और अंकुश के अभाव में बेलगाम भी हो रही है. गाली-गलौच, भद्दापन, अश्लीलता, अभ्रदता भी सोशल मीडिया की हिंदी का एक कड़वा सच है. आमने-सामने का समाज एक शारीरिक-भाषा और परस्पर लिहाज़ की भाषा का भी प्रयोग करता था पर यहाँ इस मंच पर ऐसा नहीं है. यह एक मुक्त मंच है.

कहते हैं, "परिवर्तन प्रकृति का नियम है", इस संसार में कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है. यही परिवर्तन शायद हिंदी भाषा में भी देखा गया है. कहने को हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, पर शायद यह वहीं तक सीमित रह गई है. जहां एक ओर हिंदी के प्रयोग में लगातार इस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कई अन्य भाषाओं के शब्दों को भी हिंदी ने अपने में समां लिया है. अब चाहे वह उर्दू हो, फारसी या फिर अंग्रेज़ी. यही नहीं बहुत से लोग जो इसका प्रयोग करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं हैं.

यह सच है कि हिंदी भाषा का आधार संस्कृत है. पर समय के साथ हिंदी में और भी कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने लगा है. उर्दू, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, अरबी और न जाने कितनी ही भाषाओँ के शब्दों का प्रयोग हिंदी के रूप में होने लगा है. शायद आपको इस बात की जानकारी न हो पर कई शब्द जैसे कि दोस्त, इंसान, इशारा, सियासत और न जाने ऐसे और कितने शब्द जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लगातार करते हैं, वे शब्द हिंदी के हैं ही नहीं.

बाकि अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में अंग्रेजी के भी कई शब्दों का प्रयोग आमतौर पर होने लगा है. हिंदी और अंग्रेजी के इस मिश्रित प्रयोग को 'हिंगलिश' के नाम से भी जाना जाता है. जहाँ लोग हिंदी के साथ अंग्रेजी के भी कई शब्दों का प्रयोग आमतौर पर करते हैं.

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 83 प्रतिशत लोग हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं. इस सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि अधिकांश लोग हिंदी को देवनागरी लिपि की बजाय सेमन लिपि में पढ़ना सहज समझते हैं. जहाँ एक ओर इस परिवर्तन से हिंदी के महत्व में कमी आयी है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के लोगों में आधुनिकता का संकेत भी देती है. समय के साथ लोग हिंदी के बदलते रूप को अपनाने लगे हैं.

समय के साथ भाषा बदलती है और इसके रूप भी बदलते हैं. हिंदी भाषा का स्वरूप भी बदल रहा है.

कुलदीप कुमार
क्षे. का., कानपुर

केंद्रीय कार्यालय के तत्वावधान में विभिन्न केंद्रों में आयोजित तीन दिवसीय

कम्प्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला

दिनांक 18.07.2024 से 20.07.2024 स्थान - बैंगलूरु

दिनांक 29.08.2024 से 31.08.2024 स्थान - मुंबई

दिनांक 01.08.2024 से 03.08.2024 स्थान - गुरुग्राम

दिनांक 29.07.2024 से 31.07.2024 स्थान-मंगलूरु

दिनांक 12.08.2024 से 14.08.2024 स्थान - लखनऊ

दिनांक 24.07.2024 से 26.07.2024 स्थान-भुवनेश्वर

दिनांक 12.08.2024 से 14.08.2024 स्थान - हैदराबाद

दिनांक 18.07.2024 से 20.07.2024 स्थान - भोपाल

दिनांक 12.08.2024 से 14.08.2024 स्थान - विशाखपट्टणम

बिहार की लोक भाषाएँ

बिहार, भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है. इस राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों में यहाँ बोली जाने वाली विभिन्न बोलियाँ भी शामिल हैं. बिहार की भाषाएँ और बोलियाँ उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब हैं. यहाँ बिहार राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे.

1. बिहारी भाषाएँ: परिचय

बिहार राज्य की प्रमुख भाषाएँ और बोलियाँ 'बिहारी' भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं. इस भाषा परिवार में मुख्यत: तीन भाषाएँ शामिल हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली. ये भाषाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं और उनके विभिन्न उपभेद भी हैं. बिहारी भाषा परिवार की भाषाएँ हिंदी भाषा के करीब हैं, और इनमें कई समानताएँ हैं, परंतु इनकी विशिष्टताओं और अलग-अलग सांस्कृतिक पहचान के कारण इन्हें स्वतंत्र भाषाओं के रूप में पहचाना जाता है.

भोजपुरी

भोजपुरी भाषा उत्तर भारत के भोजपुरी क्षेत्र की प्रमुख भाषा है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है. यह भाषा लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत, पाली, और प्राकृत भाषाओं से मानी जाती है. बृजभाषा, अवधी और मगही से भी काफी निकटता है. इस लेख में, हम भोजपुरी भाषा के इतिहास, उसकी संरचना, उसके साहित्य, और उसकी वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा करेंगे.

भोजपुरी भाषा का इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा है. संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई और कालांतर में पाली और प्राकृत के प्रभाव में भोजपुरी का विकास हुआ. मध्यकालीन भारत में भोजपुरी का प्रयोग बहुत व्यापक था और यह भाषा लोगों के बीच संवाद का मुख्य साधन थी. भोजपुरी भाषा में कई प्राचीन ग्रंथ और लोकगीत भी मिलते हैं, जो इस भाषा की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं.

भोजपुरी भाषा की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण इसका सरल और सुलभ स्वभाव है. भोजपुरी भाषा में व्याकरणिक नियम सरल हैं और इसमें शब्दों का उच्चारण भी अपेक्षाकृत आसान है. इसके अलावा, भोजपुरी की ध्वनियाँ भी बहुत ही स्वाभाविक और सहज हैं, जिससे यह भाषा लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई.

भोजपुरी भाषा केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक पूरे सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने का प्रतीक है. इस भाषा में हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, और हमारी जीवनशैली की झलक मिलती है. भोजपुरी समाज में भाषा का प्रयोग केवल संवाद के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है.

हाल के वर्षों में भोजपुरी सिनेमा और गीतों ने इस भाषा को नई पहचान दिलाई है. भोजपुरी फिल्मों की लोकप्रियता ने इस भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके अलावा, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी भोजपुरी भाषा का प्रचार-प्रसार हो रहा है.

मगही

मगही भाषा, जिसे 'मगधी' भी कहा जाता है, बिहार के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बोली जाती है. यह भाषा मगध क्षेत्र की प्राचीन भाषा रही है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है. मगही की लिपि भी देवनागरी है, और यह भाषा पाली और संस्कृत से काफी प्रभावित है.

मगही का साहित्यिक योगदान भी महत्वपूर्ण है. बौद्ध धर्म के प्रसार में मगही का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि यह पाली भाषा से निकटता रखती है. मगही भाषा में आज भी पारंपरिक लोकगीत, कहानियाँ, और नाटक प्रचलित हैं, जो इस भाषा की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान करते हैं.

मैथिली

मैथिली भाषा बिहार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है. यह भाषा अपने समृद्ध साहित्य, शास्त्र, और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है. मैथिली, प्राचीन काल से ही एक समृद्ध साहित्यिक भाषा रही है. इस भाषा में 'विद्यापति' जैसे कवियों की रचनाएँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं.

मैथिली को 2003 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई. मैथिली की लिपि 'तिरहुता' है, लेकिन वर्तमान समय में यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. इस भाषा में पारंपरिक गीत, जैसे 'समदाउन', 'विदापत', और 'चैतावर', इसकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करते हैं.

2. अन्य बोलियाँ और उपभाषाएँ

बिहार में भोजपुरी, मगही, और मैथिली के अलावा कई अन्य बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जो विशेष क्षेत्रों में प्रचलित हैं. इनमें अंगिका, वज्जिका, बज्जिका, और कई अन्य उपभाषाएँ शामिल हैं. ये बोलियाँ बिहार की भाषाई विविधता को और समृद्ध बनाती हैं.

अंगिका

अंगिका भाषा बिहार के भागलपुर, मुंगेर, और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है. यह भाषा अंग प्रदेश की प्राचीन भाषा मानी जाती है. अंगिका का साहित्यिक इतिहास भी समृद्ध है, और इसमें कई लोककथाएँ और गीत प्रचलित हैं.

वज्जिका

वज्जिका, जिसे 'बज्जिका' भी कहा जाता है, तिरहुत और चंपारण क्षेत्रों में बोली जाती है. यह बोलियाँ मगही और मैथिली के बीच की भाषा मानी जाती है. वज्जिका में भी कई लोकगीत और कहावतें प्रचलित

हैं, जो इसके सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करते हैं.

3. बिहार की बोलियों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

बिहार की बोलियाँ न केवल भाषाई पहचान का प्रतीक हैं, बल्कि ये वहाँ के समाज, संस्कृति, और इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा हैं. इन बोलियों के माध्यम से ही बिहार के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं.

बिहार की बोलियाँ समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं. ये बोलियाँ लोकगीत, लोकनृत्य, त्यौहारों, और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध बनाती हैं. बिहार के विभिन्न त्योहारों जैसे छठ, होली, दीपावली आदि के गीतों में इन भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसके अलावा, विवाह और अन्य सामाजिक अनुष्ठानों में भी इन बोलियों का विशेष स्थान होता है.

साहित्यिक योगदान

बिहार की बोलियों में साहित्य का विशेष योगदान है. मैथिली का साहित्यिक इतिहास विशेष रूप से समृद्ध है, जिसमें विद्यापति जैसे कवियों की रचनाएँ प्रमुख हैं. भोजपुरी और मगही में भी कई लोककथाएँ, गीत, और नाटक प्रचलित हैं, जो इनके साहित्यिक महत्व को दर्शाते हैं.

भाषाई संरक्षण और संवर्धन

बिहार की बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं. मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा, विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा इन बोलियों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कार्य किया जा रहा है.

4. बिहार की बोलियों के समक्ष चुनौतियाँ

बिहार की बोलियों के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं, जो इनके अस्तित्व और विकास के लिए खतरा पैदा करती हैं.

संरक्षण और संवर्धन के उपाय

बिहार की बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं. इनमें शिक्षा में इन बोलियों का समावेश, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित करना, और सरकारी नीतियों के माध्यम से इनका संरक्षण शामिल है.

निष्कर्ष

बिहार राज्य की बोलियाँ उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं. भोजपुरी, मगही, मैथिली, और अन्य स्थानीय बोलियाँ न केवल भाषाई विविधता को प्रकट करती हैं, बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं. इन बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनकी समृद्धि और महत्ता को समझ सकें. बिहार की बोलियों का संरक्षण न केवल एक भाषाई आवश्यकता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है.

पवन कुमार झा
क्षे. का.- गाजीपुर

दिनांक 14 एवं 15 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन में वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मऊ को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से नराकास राजभाषा सम्मान के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. पुरस्कार माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय एवं सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार श्रीमती अंशुली आर्या द्वारा प्रदान किया गया, जिसे क्षेत्र प्रमुख श्री शिव कुमार शुक्ला एवं श्री किशोर कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.) द्वारा प्राप्त किया गया.

गढ़वाली – एक विलुप्त होती लोक भाषा

गढवाली, उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में बसे एक छोटे से राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली एक मीठी सी बोली या भाषा है, जो कि लगभग पच्चीस लाख लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती है. गढ़वाली बोली है या भाषा यह अपने आप में अलग विषय है. उत्तराखंड के अलावा यह भारत के विभिन्न हिस्सों में गढ़वाल क्षेत्र के प्रवासी लोगों द्वारा भी बोली जाती है. देश की 197 संकटग्रस्त भाषाओं में गढ़वाली भी एक है, संकटग्रस्त भाषा वह होती है जो कि बहुत ही कम उपयोग में लाई जाती है और आगे आने वाली पीढ़ी को अंतरित नहीं हो पाती है. जब तक भाषा का महत्व नहीं पता होगा नई पीढ़ी भी उसे अपनाने में संकोच करेगी.

गढ़वाली भाषा का इतिहास : गढ़वाली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, गढ़वाल नाम से पूर्व इस भूभाग का नाम केदारखंड था, माना जाता है कि सोलहवीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने छोटे छोटे गढ़ों का एकीकरण किया और इन गढ़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा और यहाँ बोली जाने वाली भाषा गढ़वाली कहलाई. गढ़वाली इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, माना जाता है कि मध्य इंडो आर्यन काल में व्याप्त प्राकृत भाषाओं में से एक खस प्राकृत इसका उद्गम स्रोत है तथा इसकी लिपि देवनागिरी है. इसके सबसे पहले बोले जाने के साक्ष्य दसवीं शताब्दी में शाही मुहर, शिलालेख आदि के रूप में पाए गए हैं, जिसका एक उदाहरण सन् 1455 के लगभग देवप्रयाग में राजा जगतपाल के मंदिर अनुदान अभिलेख में देखा जा सकता है. ज़्यादातर गढ़वाली साहित्य लोक साहित्य जैसे कि जागर, पंवाड़े, लोक गाथा के रूप में संरक्षित रहा है हालांकि अट्ठारवीं शताब्दी के बाद से इसको लिखित साहित्य के रूप में भी संरक्षित किया गया है. गढ़वाली की सबसे पुरानी पाण्डुलिपि एक कविता, "रंच जुडया जूडिगे घिमसान जी" जो कि पंडित जयदेव बहुगुणा जी ने सोलहवीं शताब्दी में लिखी थी, के रूप में हमें मिलती है. गढ़वाली भाषा को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप से बोला जाता है अत: इसकी कुछ उप भाषाएँ भी हैं, जैसे कि नागपूर की नागपुरया, श्रीनगर की सिरनगरया, बधाण की बधाणी, राठ की राठी, दशोली की दशोल्या, सलाण की सलाण्या, गढ़वाल और कुमाऊँ की सीमा पर बोली जाने वाली मझ-कुम्मईया, आदि.

गढ़वाली साहित्य : वर्ष 1820 के आस पास ईसाई मिशनरी ने बाइबल (न्यू टेस्टामेंट) का अनुवाद गढ़वाली में करवाया था. अमेरिकी मिशनरियों ने भी वर्ष 1876 में "गोसपेल ऑफ मैथ्यू" का गढ़वाली अनुवाद प्रस्तुत किया. उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में गढ़वाली लिखित साहित्य में गढ़वाल के कवियों और लेखकों का अच्छा योगदान रहा, जिनमें प्रमुख रूप से सत्यशरण रतूड़ी, चंद्रमोहन रतूड़ी, बलदेव प्रसाद शर्मा, तारदत्त गैरोला आदि ने कविताओं के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई. स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्र चेतना को जगाने का काम भी गढ़वाली कवियों ने किया, जिनमें भगवती शरण शर्मा, भगवती प्रसाद पांथरी, घनानन्द घिल्डियाल आदि की प्रमुख भूमिका रही .

स्वतंत्रता के बाद गढ़वाली साहित्य को और गति मिलने लगी, पद्य और गद्य के साथ-साथ नाटक, निबंध, गढ़वाली व्याकरण, भाषा कोश, लोकोक्ति कोश आदि के क्षेत्र में भी कार्य होने लगे. हरिदत्त भट्ट "शैलेश" जी की पुस्तक 'गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य' के द्वारा गढ़वाली भाषा के बारे में विस्तार से जान सकते हैं. 2018 तक केवल हिंदी और गढ़वाली शब्दकोश उपलब्ध थे लेकिन 2018 में रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल के द्वारा प्रकाशित पहला हिंदी-गढ़वाली-अँग्रेजी शब्दकोश हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुई.

गढ़वाली ध्वनियाँ : भौगोलिक परिवेश का असर भाषा पर किस तरह होता है यह हमें गढ़वाली भाषा में दिखता है, जैसे कि आम तौर पर पहाड़ों में लोगों के घर दूर-दूर होते हैं, तथा खेतों में भी जब लोग काम करते हैं तो सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण उन्हें दूर-दूर से एक दूसरे से बातें करनी होती है, जिसकी वजह से लोग शब्दों को ज़ोर देकर बोलने लगे जो धीरे-धीरे भाषा का ही हिस्सा हो गया. गढ़वाली के स्वर कुछ इस प्रकार हैं -

अ, अऽ, आ, आऽ, इ, इऽ, ई, उ, उऽ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

उदाहरण के लिए गढ़वाली में घर शब्द घऽर, घौर, घैर आदि रूपों में उच्चारित होता है. बल देने के लिए दीर्घ ध्वनियों को अधिक दीर्घ करने की प्रवृति गढ़वाली भाषा में मिलती है जैसे कि

भलि नौनि (अच्छी लड़की) भल्लि नौनि (बहुत अच्छी लड़की).

ऐसे ही ण का उच्चारण भी गढ़वाली में भिन्न है, गढ़वाली में कहीं-कहीं शब्द के मध्य और अंत में प्रयोग होने वाला 'न' 'ण' हो जाता है जैसे कि विनाश - बिणास, पानी - पाणी, रानी - राणी आदि.

गढ़वाली की व्यंजन ध्वनियों में 'ळ' एक विशिष्ट ध्वनि है, यह वैदिक ध्वनि है और पालि में भी 'ळ', 'ळह', है. ळ के उच्चारण से शब्दों में जो अंतर आता है उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

खाल (चमड़ा)	खाळ (तालाब)
छाल (पेड़ की छाल)	छाळ (धोना)
ढ़ोल (वाद्ययंत्र)	ढ़ोळ (डालो)

इस प्रकार हमने देखा कि गढ़वाली का अपना व्याकरण है, अपनी पहचान है, जो इसे विशेष बनाते हैं. हालांकि गढ़वाल के अलग-अलग क्षेत्रों में गढ़वाली भाषा में औच्चारणिक भिन्नता है, इनमें से किसी एक का चयन करके मानक बनाने की जरूरत है. सभी भाषाएँ कठिन से सरल होने की ओर अग्रसर होती हैं ताकि वे जनमानस की भाषा बन सकें. आज गढ़वाली भाषा के लेखक भी सरलता की तरफ बढ़ रहें हैं, जिससे पढ़ने वालों को भी आसानी हो रही

है. आज नए जमाने के गीत भी बन रहे हैं, जिनमें सरल शब्दों का उपयोग बढ़ रहा है और रैप जैसी नई गायन शैली भी अपनाई जा रही है. सोशल मीडिया के जमाने में रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से गढ़वाली और इसके जैसी और भाषाओं को विश्व में सभी जगहों पर सुना जा रहा है और लोग इन भाषाओं को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं.

गढ़वाली भाषा का महत्व : किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित करने का काम वहाँ की लोक भाषा ही कर सकती है, अगर किसी क्षेत्र का इतिहास, भूगोल, और राजनीति के बारे में जानना हो तो वहाँ के लोक साहित्य के द्वारा जाना जा सकता है. गढ़वाली में इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

निम्न पंक्तियों में गढ़वाल के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थानों और पांडवों के गढ़वाल आने का उल्लेख है :

पंच बद्री पंच केदार पंच प्रयाग इखी छन, पंच पंडोव भी एनी इखी, बाह हमारा धन धन

(अर्थ : यहीं पाँच बद्री और पाँच केदार यहीं पर हैं, हमारा भाग्य भी अच्छा है क्योंकि पाँच पांडव भी यहीं आए थे)

एक और उदाहरण इस प्रकार है :

ठंडों रे ठंडों मेंरा पहाड़े की हवा ठंडी, पाणी ठंडों,

एन ऊच हियूं हिवाल ठंडों - ठंडों,

निस गंगा जी को छाल ठंडों ठंडों.

(अर्थात् : मेरे पहाड़ों की हवा ठंडी है, यहाँ के हिमालय के पहाड़ ठंडे हैं, नीचे गंगा जी का पानी ठंडा है)

उपर्युक्त पंक्ति में गढ़वाल के मौसम, वहाँ के पहाड़ और नदी के बारे में बताया गया है, जो वहाँ के भूगोल को दर्शाता है)

इसी प्रकार तीलू रौतेली, रामी बौराणी आदि लोक कथाओं से गढ़वाल क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती.

निष्कर्ष : भारत की संकट ग्रस्त और विलुप्त होती लोक भाषाओं को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, जिसको बचाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकार या लोक कलाकारों की ही नहीं अपितु हर एक नागरिक की है. सभी नागरिकों को अपनी लोक भाषा का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों में करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान अंतरित करना चाहिए. गढ़वाली भाषा के संरक्षण की जरूरत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों से पलायन होने के कारण लोग शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिससे इस भाषा की उपयोगिता और कम हो रही है. अत: आज के समय में जरूरी है कि इसके साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए और राज्य सरकार अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल करें, जिससे कि शहर के विद्यार्थी भी गढ़वाली भाषा को जान सकें और इसका प्रचार-प्रसार हो सके.

शैलेन्द्र डबराल
यू एल ए, गुरुग्राम

आशीर्वाद संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के उत्कृष्ट एवं नवीन प्रयासों के फलस्वरूप 'उत्कृष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक', श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक(मा. सं.) को 'राजभाषा गौरव' पुरस्कार और बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका यूनियन धारा को 'श्रेष्ठ गृह पत्रिका' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. दिनांक 27.09.2024 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) तथा श्रीमती गायत्री रवि किरण, संपादक एवं मुख्य प्रबंधक(राजभाषा), यूनियन धारा एवं यूनियन सृजन.

भाषा संरक्षण पहल

भारत में आधिकारिक भाषाओं का संरक्षण एक जटिल और गहरा मुद्दा है, जो देश के विविध सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक परिदृश्य में फैला हुआ है. भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ और इसके विशाल भूगोल में बोली जाने वाली सैकड़ों बोलियाँ हैं. यह भाषाई बहुलता भारतीय पहचान का एक मूलभूत हिस्सा है, लेकिन यह आधुनिक दुनिया में इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास से संबंधित चुनौतियाँ भी लेकर आती है. वैश्वीकृत दुनिया में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक भाषाओं को संरक्षित करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता को पहचाना है.

भारत की भाषाई विविधता दुनिया में सबसे समृद्ध है. भारत की बहुभाषावाद की जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं, जिसमें वेद, उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ और संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाओं में लिखे गए विभिन्न महाकाव्य शामिल हैं. पूरे इतिहास में, विभिन्न क्षेत्रों में भाषाएँ विकसित हुईं, फली-फूलीं और सह-अस्तित्व में रहीं, जिससे विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक पहचान बनी. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, अंग्रेजी प्रशासन, शिक्षा और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई, जिससे अंग्रेजी शिक्षा तक पहुँच रखने वालों और स्वदेशी भाषाओं में शिक्षित लोगों के बीच विभाजन पैदा हो गया. 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार को देश की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान बनाने की चुनौती से जूझना पड़ा.

1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने इस विविधता को प्रबंधित करने के लिए आधार तैयार किया. देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया था, और अंग्रेजी को तब तक सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में काम करना था जब तक कि हिंदी को पूरे देश में पर्याप्त रूप से अपनाया नहीं जाता. हालाँकि, भारत का भाषाई परिदृश्य इतना विविध था कि इस योजना का विरोध हुआ, खासकर हिंदीतर भाषी राज्यों में.

संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जिनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है. ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं. इन भाषाओं को संरक्षित करने की सरकार की पहल उनके ऐतिहासिक महत्व और भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में उनकी भूमिका की मान्यता पर आधारित है.

भारत में भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का एक मजबूत संवैधानिक आधार है. संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने. हालाँकि, यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि हिंदी के विकास से अन्य भाषाओं के विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए.

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, जिसमें इंडो-आर्यन, द्रविड़ियन और तिब्बती-बर्मन जैसे विभिन्न भाषाई परिवारों की भाषाएँ शामिल हैं. समय के साथ, इस अनुसूची में भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो भारत की भाषाई विविधता की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है.

संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है. शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय भाषा संरक्षण प्रयासों में शामिल रहे हैं. भारतीय भाषाओं में अनुसंधान और विकास के समन्वय के लिए 1969 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) की स्थापना की गई थी. यह लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण पर काम करता है और शिक्षा और प्रशासन में आधिकारिक भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देता है.

सरकार ने अलग-अलग भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई भाषा अकादमियाँ भी स्थापित की हैं. ये अकादमियाँ भाषा संसाधन विकसित करने का काम करती हैं, जैसे शब्दकोश, व्याकरण की किताबें और महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद. वे साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं एवं भाषा सीखने को बढ़ावा देते हैं और इन भाषाओं के इतिहास और विकास पर शोध का समर्थन करते हैं.

हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी ने भारत की आधिकारिक भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के आगमन ने भाषा संरक्षण के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. सरकार ने निजी उद्यमों के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं.

उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान ने भारतीय भाषाओं में मशीन

अनुवाद, वाक् पहचान और ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान (ओसीआर) जैसी भाषाई तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया है. ये तकनीकें भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के निर्माण को सक्षम बनाती हैं और इसे अधिकतम दर्शकों तक पहुँचाती हैं.

वर्ष 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) का उद्देश्य अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में ज्ञान-आधारित पाठों का अनुवाद करना है, ताकि ज्ञान की कमी को पूरा किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक संसाधन कई भाषाओं में उपलब्ध हों. मिशन भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों की एक मानक शब्दावली बनाने पर भी काम करता है, जिससे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों में इन भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करके भाषा संरक्षण में योगदान दिया है. भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और पॉडकास्ट ने लोकप्रियता हासिल की है, जिससे लोगों को आधुनिक संदर्भ में अपनी भाषाई विरासत से जुड़ने का मौका मिला है. इसके अलावा, भाषा सीखने के लिए मोबाइल ऐप, जैसे कि तमिल, तेलुगु या बंगाली में पाठ देने वाले ऐप, उपयोगकर्ताओं को अपनी मूल भाषा सीखने और उससे जुड़ने के सुलभ तरीके प्रदान करते हैं.

शिक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, जहां भाषा संरक्षण के प्रयास केंद्रित हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुभाषावाद के महत्व को पहचानती है. शिक्षा के शुरुआती चरणों में यह छात्रों को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखने की आवश्यकता पर जोर देती है. इस नीति का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को मजबूत करना है.

त्रि-भाषा सूत्र, जो 1960 के दशक से भारत की शिक्षा नीति का हिस्सा रहा है, छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है. हालाँकि इस नीति को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्तर की सफलता के साथ लागू किया गया है, फिर भी यह बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

एनईपी 2020 भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री के निर्माण की भी वकालत करता है. इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में ई-लर्निंग सामग्री और संसाधनों का विकास शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को उनकी मातृभाषा में शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो सके. नीति उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को भी बढ़ावा देती है, जिसका लक्ष्य अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली बनाना है.

अनेक पहलों और नीतियों के बावजूद, भारत में आधिकारिक भाषाओं के संरक्षण के लिए कई चुनौतियाँ हैं. प्राथमिक चुनौतियों में से एक अंग्रेजी का प्रभुत्व है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में और उच्च शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन के क्षेत्रों में. अंग्रेजी को अक्सर ऊपर की ओर बढ़ने वाली भाषा के रूप में देखा जाता है, और कई माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, भले ही उनकी मूल भाषाओं की कीमत पर ऐसा करना पड़े.

भारत में शहरीकरण और प्रवास की तेज़ गति ने भी क्षेत्रीय भाषाओं के पतन में योगदान दिया है. शहरों में, जहाँ अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, वहाँ अक्सर हिंदी या अंग्रेज़ी को आम भाषा के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है. इससे युवा पीढ़ी के बीच क्षेत्रीय भाषाओं का धीरे-धीरे क्षरण हुआ है.

एक और चुनौती है कि कई भारतीय भाषाओं में मानकीकरण की कमी है. जबकि हिंदी, बंगाली और तमिल जैसी भाषाओं में अच्छी तरह से स्थापित लिपियाँ और व्याकरणिक संरचनाएँ हैं, अन्य, विशेष रूप से छोटे समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में मानकीकृत लेखन प्रणाली नहीं हो सकती है. इससे इन भाषाओं में शैक्षणिक और डिजिटल संसाधन बनाना मुश्किल हो जाता है.

आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का संरक्षण विशेष रूप से जोखिम भरा है. इनमें से कई भाषाएँ लिखित नहीं हैं और मौखिक रूप से आगे बढ़ाई जाती हैं, जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा बना रहता है. पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य पहलों के माध्यम से इन लुप्तप्राय भाषाओं को प्रलेखित करने और संरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.

साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और विभिन्न राज्य भाषा अकादमियाँ जैसी सांस्कृतिक संस्थाएँ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ये संस्थाएँ साहित्यिक उत्सव, पुरस्कार समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं जो भारत की भाषाई विरासत की समृद्धि का जश्न मनाते हैं. वे भारतीय भाषाओं में रचनाएँ भी प्रकाशित करते हैं, जिससे लेखकों, कवियों और विद्वानों को अपनी भाषाओं के विकास में योगदान देने के लिए एक मंच मिलता है.

नागरिक समाज संगठन और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी भाषा संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रहे हैं. इनमें से कई संगठन क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने, भाषा संसाधन विकसित करने और शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में सीमांत भाषाओं को शामिल करने की वकालत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं.

भाषा संरक्षण पहल की सफलता के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक है. भाषा केवल संचार का साधन नहीं है; यह संस्कृति, इतिहास और पहचान का भंडार है. समुदायों को अपनी भाषाई विरासत पर गर्व होना चाहिए और अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए. इसे स्थानीय साहित्य, संगीत, रंगमंच और भाषा से जुड़ी अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने के माध्यम से हासिल किया जा सकता है.

भारत की आधिकारिक भाषाओं का संरक्षण देश की सांस्कृतिक विविधता और पहचान को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है. संवैधानिक प्रावधानों, शिक्षा नीतियों और तकनीकी पहलों के माध्यम से भारत सरकार ने इन भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. हालाँकि, वैश्वीकरण, शहरीकरण और अंग्रेजी के प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतियों के लिए निरंतर और अभिनव प्रयासों की आवश्यकता है.

तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में, भाषा संरक्षण के लिए नए रास्ते प्रदान करती है, जिससे लोगों के लिए अपनी मूल भाषाओं में संसाधनों तक पहुँचना आसान हो जाता है. शिक्षा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि भावी पीढ़ियाँ अपनी मातृभाषाओं में धाराप्रवाह हों, साथ ही अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी कुशल हों.

अंततः, भारत की आधिकारिक भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है. एक साथ काम करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी भाषाई विरासत न केवल संरक्षित रहे बल्कि आधुनिक दुनिया में भी पनपती रहे.

अशिष कुमार
क्षे. का., पुणे मेट्रो

बेटियाँ

बेटियाँ फूल हैं, कली हैं, क्यारी हैं,
बेटियाँ आँगन की तितली सी प्यारी हैं.
खिलखिलाहट से सबको, खिला सी जाती हैं,
गुल पिता के चमन में खिला जातीं हैं बेटियाँ,
सो के सीने पे हर दिन, सुला जाती हैं,
ये बेटियाँ एक दिन पिता को, रुला जातीं हैं.
ले के खुशिया गगन से ये आती हैं,
बन के रिमझिम धरा को रिझाती हैं.
गोद धरती का भरना, पढ़ा जाती हैं
मान अम्बर का ऐ से बढ़ा जातीं हैं.
सो के सीने पे हर दिन, सुला जाती हैं,
ये बेटियाँ एक दिन पिता को, रुला जातीं हैं.
खुशिया हैं सुकून हैं माँ -बाप की परछाई हैं बेटियाँ
दर्द जितने भी हो मुस्कुराकर मिटा जाती है बेटियाँ,
घूंट अमृत का ऐसे पी जाती हैं बेटियाँ
सो के सीने पे हर दिन, सुला जाती हैं ,
ये बेटियाँ एक दिन पिता को, रुला जातीं हैं.
रीत जग की ये सारी निभाती हैं,
छोड़ आँगन ये बाबुल का जाती हैं.
सो के सीने पे हर दिन, सुला जाती हैं ,
ये बेटियाँ एक दिन पिता को, रुला जातीं हैं.

धबि राम सिंह
क्षे.का., कोल्लम, केरल

कारोबार विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान

क्षेत्रीय भाषा का विचार मन में आते ही हमें सबसे पहले भारतीय ग्रामीण परिवेश, रहन-सहन, बोली और वहां की सभ्यता व संस्कृति का एक विशेष चित्र मस्तिष्क पटल पर दिखने लगता है. भारत में हर दो किलोमीटर पर बोली बदल जाती है. जब कोई बोली एक बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्रीय भाषा का रूप लेती है. क्षेत्रीय भाषा विशेष तौर पर किसी राज्य अथवा किसी प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है जिसका भारतीय मानवीय जीवन में बहुत महत्त्व है. घर से लेकर दूसरे स्थान पर यात्रा करने, बाजार जाने, खरीददारी करने, किसी सुविधा का लाभ उठाने और जीवन में हर कदम पर कोई कार्य करने में क्षेत्रीय भाषा का बहुत महत्त्व है.

कारोबार विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा महत्त्व है. क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से किसी भी कारोबार को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है. बैंकिंग उद्योग में भी क्षेत्रीय भाषाएं बहुत बड़ा योगदान देती हैं. बैंक में तो लिपिक कर्मचारियों की भर्ती भी किसी प्रदेश की भाषा के अनुसार ही की जाती है जैसे गुजरात में गुजराती भाषा का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाती है. इसी तरह पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली आदि क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है जिसका खासतौर पर उद्देश्य यही रहता है कि किसी शाखा में आये हुए ग्राहक को आसानी से क्षेत्रीय भाषा या बोली में बैंकिंग सेवाएँ मिल सकें. लिपिक वहां के स्थानीय निवासी की भाषा आसानी से समझ सकतें हैं और ग्राहक को कम समय में बेहतरीन सुविधा दे सकते हैं. इस तरह क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय में काफ़ी तरक्की कर सकता है एवं ग्राहकों को सही समय पर सही सुविधा सही स्थान पर उपलब्ध करवा सकता है. किसी भी कारोबार के विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है.

1. उपभोक्ताओं व ग्राहकों को समझाने में आसानी - क्षेत्रीय भाषा के द्वारा विक्रेता या व्यवसायी अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद आसानी से समझा सकता है. भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा से वंचित है. बहुत से ग्राहक हिंदी या अंग्रेजी समझने में कठनाई महसूस करते हैं ऐसे में क्षेत्रीय भाषा में वह विक्रेता अथवा व्यवसायी की बात अच्छे ढंग से समझ सकता है.

2. क्रेता एवं विक्रेता के बीच मधुर संबंध बनते हैं - जब कोई भी व्यवसायी क्षेत्रीय भाषा में ग्राहक से लेन-देन करता है तो एक अलग तरीके का अपनापन महसूस करता है. यही अपनापन ग्राहक को व्यवसायी की ओर आकर्षित करता है.

3. बिक्री /सेवा में बढ़ोतरी - जब व्यवसायी या विक्रेता एवं ग्राहक के बीच संबंध मधुर बनते हैं तो ये मधुर संबंध ही किसी कारोबार के विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं. मधुर संबंधों एवं ग्राहक की सम्पूर्ण संतुष्टि से व्यवसायी को अपने उत्पाद बेचने में बेहद मदद मिलती है. बैंकिंग के परिदृश्य में देखा जाए तो हम साधारण सुविधाओं के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों को क्रॉस बिक्री के माध्यम से अन्य कई उत्पाद बेच सकते हैं. ग्राहक आसानी से हमारी बात मान लेता है और हम अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं.

4. ग्राहकों में विश्वास बढ़ता है - क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से ग्राहकों में किसी भी व्यवसायी या कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ता है. यह पक्का विश्वास ही कारोबार के विकास को नई उंचाइयां प्रदान करता है. कभी-कभी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से ग्राहक अपनी कंपनी या विक्रेता भी बदल लेता है.

5. कारोबार में वृद्धि - ग्राहक की संतुष्टि एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से बने मधुर संबंधों से किसी भी कम्पनी अथवा व्यवसाय का कारोबार तेजी से बढ़ता है. कारोबार में आये हुए उछाल से कम्पनी मजबूत बनती है. उसकी आधारभूत संरचना में सुधार आता है.

6. व्यवसायी या कंपनी की साख बढ़ती है - जैसे-जैसे कारोबार में वृद्धि होती है तो वैसे-वैसे कम्पनी का लाभांश भी बढ़ता जाता है. किसी भी कारोबार अथवा कम्पनी का टर्न ओवर बढ़ने से उस कम्पनी की साख बढ़ती जाती है. अच्छी साख बाजार में उस व्यवसायी की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में मददगार होता है.

7. कंपनी या कारोबार का आकार बढ़ता है - क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने से किसी भी कारोबार के आकार में वृद्धि होती है. अगर क्षेत्रीय भाषा के आधार पर कोई भी कम्पनी या उद्यमी अपने आकार को बढ़ाते हुए अपनी शाखाएं या स्टोर्स देश या प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में खोलता है तो कम्पनी का आकार विशाल बनता है और कम्पनी एक बड़ी कम्पनी के रूप में स्थापित होती है. बैंक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में खुली हुई हैं. इन शाखाओं को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलीयों के हिसाब से खोला गया है जिससे ग्राहकों को आसानी से बैंकिंग सेवाएँ मिल सकें. यह भी ध्यान में रखा जाता है कि वहां पर नियुक्त किए हुए कर्मचारियों में से कुछ वहां के स्थानीय हों या उस संबंधित क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखते हों.

8. ग्राहकों को उत्पाद की संपूर्ण जानकारी क्षेत्रीय भाषा में मिल जाती है - अगर कोई कम्पनी या उद्यमी अपने उत्पादों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करती है तो ग्राहक को उत्पाद को जानने में आसानी रहती है. क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से ग्राहक अपना भ्रम मिटा सकता है. जब ग्राहक क्षेत्रीय भाषा में उत्पाद पर छपे हुए विवरण को पढ़ता है तो उसे वह उत्पाद लेने लायक लगता है.

9. दूरगामी परिणाम निकलते हैं - कारोबार में अगर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अच्छे ढंग से किया जाए तो इसके बहुत दूरगामी एवं सकारात्मक परिणाम निकलते हैं. कारोबार का स्वरूप बदल जाता है. राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान बनती है. धीरे-धीरे कम्पनी का लाभ बढ़ता जाता है. ग्राहकों में संतुष्टि बढ़ती जाती है. ग्राहकों की संख्या में इजाफा होता है. इन सभी कारकों के फलस्वरूप कारोबार की प्रकृति भी विश्व स्तरीय पहचान बनाने में सफल होती है.

10. बाजार में पकड़ मजबूत होती है - अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से कारोबार बढ़ता जाता है, साथ ही कंपनी अथवा व्यवसायी की पकड़ पूरे बाजार में मजबूत होती जाती है. बाजार में अच्छी पकड़ होती है तो कोई भी कारोबार कभी भी पिछड़ नहीं सकता है. इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक उद्यमी अथवा व्यवसायी के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का कितना महत्व है. अत: हमें राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कारोबार एवं निजी जीवन में उनका प्रयोग भी करना चाहिए.

एन. के. शर्मा
क्षे. का., जयपुर

जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ

जनसंचार का अर्थ है सूचना, विचार और जानकारी को व्यापक रूप से प्रसारित करना, ताकि समाज के बड़े हिस्से तक यह पहुँच सके. यह समाज के लोगों के बीच संवाद स्थापित करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में जनसंचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं. इस संदर्भ में, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व और उनकी भूमिका विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है.

1. हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता

भारत में संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, और यह देश के अधिकांश हिस्सों में समझी और बोली जाती है. हिंदी न केवल उत्तर भारत में बल्कि कई अन्य राज्यों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है. इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषाएँ भी भारत के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जैसे बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगू, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं का अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख स्थान है.

क्षेत्रीय भाषाओं की यह विशेषता है कि वे स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जनजीवन के साथ जुड़ी होती हैं. इन भाषाओं में जनसंचार करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है.

2. जनसंचार में हिंदी का महत्व

हिंदी जनसंचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरी है. समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, और अब इंटरनेट पर भी हिंदी में सामग्री का व्यापक प्रसारण होता है. हिंदी भाषा में प्रकाशित और प्रसारित सामग्री अधिकतर जनसाधारण तक आसानी से पहुंचती है, जिससे सूचना और विचारों का व्यापक प्रसार संभव हो पाता है.

टेलीविजन और सिनेमा में हिंदी का प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है. हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों का देशभर में व्यापक दर्शक वर्ग है. इसके अलावा, रेडियो और डिजिटल मीडिया में भी हिंदी का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे यह साबित होता है कि जनसंचार में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण है.

3. क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका

क्षेत्रीय भाषाएँ जनसंचार में स्थानीय लोगों तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम हैं. ये भाषाएँ स्थानीय जनता की भावनाओं, चिंताओं, और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करती हैं. उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा में समाचार और कार्यक्रम, बंगाल में बंगाली भाषा में, और महाराष्ट्र में मराठी भाषा में संचार करना अधिक प्रभावी होता है.

क्षेत्रीय भाषाओं में जनसंचार के माध्यम से न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है, बल्कि यह स्थानीय व्यापार, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होता है. क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री प्रसारित करने से समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से जानकारी पहुँचाने में मदद मिलती है.

4. डिजिटल युग में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ

डिजिटल युग में जनसंचार के माध्यमों में भारी बदलाव आया है. इंटरनेट, सोशल मीडिया, और मोबाइल एप्लिकेशन्स के जरिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक प्रयोग हो रहा है. आजकल लोग अपने मोबाइल फोन पर ही समाचार, वीडियो, और सोशल मीडिया पोस्ट हिंदी और अपनी मातृभाषा में देख और पढ़ सकते हैं.

इससे क्षेत्रीय भाषाओं की पहुंच और प्रभाव भी काफ़ी बढ़ गया है. डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने से यह सुनिश्चित होता है कि लोग अपनी पसंदीदा भाषा में सूचना प्राप्त कर सकें.

5. क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण में भूमिका

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ न केवल संचार के साधन हैं, बल्कि ये एक समाज की सांस्कृतिक धरोहर और पहचान का भी प्रतीक हैं. जब जनसंचार के माध्यम से इन भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो यह स्थानीय परंपराओं, लोककथाओं, और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने में मदद करता है.

उदाहरण के लिए, आंचलिक साहित्य, लोकगीत, और पारंपरिक नृत्य व नाटकों का प्रसार जब स्थानीय भाषाओं में किया जाता है, तो यह न केवल स्थानीय संस्कृति को जीवित रखता है, बल्कि नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में भी सहायक होता है. इसके अलावा, यह सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि भारतीय समाज की एक विशेषता है.

6. लोकतंत्र में भागीदारी

जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं

का प्रयोग लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है. जब सरकारी नीतियों, योजनाओं, और कानूनों के बारे में जानकारी स्थानीय भाषाओं में दी जाती है, तो अधिकतम लोग इसे समझ पाते हैं और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं.

चुनाव के समय, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार-प्रसार करना आवश्यक होता है ताकि सभी मतदाताओं को सटीक जानकारी मिल सके और वे सूचित निर्णय ले सकें. क्षेत्रीय भाषाओं में जनसंचार जनता को सत्ता के प्रति जवाबदेह बनाता है और एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण करता है.

7. शिक्षा और साक्षरता में योगदान

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में जनसंचार का महत्व शिक्षा और साक्षरता में भी देखा जा सकता है. भारत में साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण सामग्री और शैक्षणिक कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हों.

विभिन्न शैक्षणिक प्रसारण, रेडियो कार्यक्रम, और ऑनलाइन कोर्स जब स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, तो इससे अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोग आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाएँ बोलते और समझते हैं, वहां हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने से साक्षरता दर में सुधार होता है.

8. आर्थिक विकास में सहायक

जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग आर्थिक विकास में भी योगदान कर सकता है. स्थानीय व्यापारिक विज्ञापन, रोजगार सूचनाएँ, और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जब स्थानीय भाषाओं में दी जाती है, तो यह लघु व्यवसायों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाता है. उदाहरण के लिए, यदि किसान अपनी भाषा में कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वे अपने उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं. इसी तरह, स्थानीय उद्योगों और सेवाओं के विज्ञापन स्थानीय भाषाओं में करने से व्यवसायों को स्थानीय बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है.

9. मीडिया में क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में, मीडिया के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार तेजी से हुआ है. क्षेत्रीय भाषाओं के टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, और समाचार पत्र बढ़ते जा रहे हैं. ये माध्यम न केवल स्थानीय समाचार और घटनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि मनोरंजन, शिक्षा, और सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

डिजिटल मीडिया के विकास के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री की मांग बढ़ रही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग अब अपनी भाषा में जानकारी और मनोरंजन प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व और भी बढ़ गया है.

निष्कर्ष

जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये भाषाएँ न केवल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक सूचना और ज्ञान के प्रसार का माध्यम भी हैं. आज के युग में, जब संचार के माध्यम तेजी से बदल रहे हैं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है. यह जरूरी है कि हम इन भाषाओं को प्रोत्साहित करें और इन्हें जनसंचार के हर क्षेत्र में और अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग में लाएँ, ताकि संचार का दायरा और भी व्यापक हो सके.

जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है. ये भाषाएँ समाज की आत्मा और पहचान को जीवित रखती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि संचार का हर माध्यम लोगों तक उनकी भाषा में पहुँचे.

हालाँकि जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं. डिजिटल सामग्री के अनुवाद और स्थानीयकरण की कमी एक बड़ी चुनौती है.

इसके बावजूद, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार और विकास की संभावनाएँ अपार हैं. सरकार और निजी संस्थानों द्वारा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री के उत्पादन और प्रसारण को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके साथ ही, युवाओं में भी हिंदी और अपनी मातृभाषा में सामग्री देखने और पढ़ने की रुचि बढ़ रही है.

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ और भाषाएँ एक साथ मिलकर रहती हैं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में जनसंचार का महत्व और भी बढ़ जाता है. यह न केवल समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य करता है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता, और समृद्धि को भी बढ़ावा देता है. इस प्रकार, जनसंचार में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग वास्तव में समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यावश्यक है.

राजेश के
क्षे.का., तिरुवनंतपुरम

मैं देवनागरी बोल रही हूँ

मैं देवनागरी बोल रही हूँ! कुछ व्यक्ति विशेष के लिए, मैं ज्ञात विषय वस्तु हूँ, तो कुछ के लिए कौतूहल भरा प्रश्न. कौन हूँ मैं? आइए आज अपनी विकास की गाथा से आपका परिचय करवाती हूँ.

मैं देवनागरी, एक लिपि के रूप में जानी जाती हूँ. वह रचना, जिसमें आप अपने शब्दों को, अपने भावों को, मूर्त रूप प्रदान करते हैं, लिपि कहलाती है.

प्रकृति ने जीवन को उच्चारण की क्षमता देकर अनुग्रहित किया. उच्चारण के बाद मुख से प्रस्फुटित ध्वनियों का सार्थक समूह भाषा कहलाया. सभ्यता के विकास क्रम में, भाषा के संग्रहण की अवश्यकता ने लिपि को जन्म दिया. लिपि के कुल में जन्मी, मैं देवनागरी एक गौरवान्वित नाम हूँ, जिसने भारत की कई भाषाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है.

मूलत: उच्चारित ध्वनियों के अर्थपूर्ण स्वरूप को, भाषा के रूप में परिभाषित किया गया. इस उच्चारित भाषा को जीवमात्र सुनकर मस्तिष्क की सहायता से, इसका निहित अर्थ ग्रहण करता है. उच्चारित भाषा, शब्दों का समूह होती है एवं शब्द अक्षरों से मिलकर बने होते हैं. इन्हीं अक्षरों के रेखीय निरूपण को लिपि कहा जाता है.

भाषा के अक्षरों को लिपिबद्ध करने की दो पद्धतियाँ हैं, चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक.

प्रतीकात्मक लिपि वर्ण प्रधान लिपि है, जिसकी कुल तीन शाखाएं हैं, पहली ध्वन्यात्मक, रोमन भाषा की जननी कहलाई, दूसरी वर्णात्मक जिसकी कुल परम्परा में मुझ देवनागरी का आविर्भाव हुआ, तीसरी संश्लिष्ट, अरबी भाषाओं के लिए लिपि के रूप में उभर कर जन-मानस के सामने आई.

मानव के भाषा को लिपिबद्ध करने के प्रयासों के प्राथमिक नामों में चीन की चित्रात्मक लिपि प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक प्रसांगिक बनी हुई है, परन्तु चीन से मेरा क्या सम्बन्ध ! मैं तो आर्यवर्त अर्थात भारत में जन्मी पली बढ़ी. भारत की लिपियों की कहानी में प्राचीनतम लिपि, सिन्धु सभ्यता की लिपि, जिसका अर्थ वर्तमान में अज्ञात है. इसी क्रम में भारत के आविर्भाव के साथ ही सभ्यता के विकास क्रम में दो लिपियों का विकास हुआ, "ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्ठी लिपि."

खरोष्ठी लिपि के प्रमाण पांचवी सदी के बाद लुप्तप्राय हो गए, लेकिन परवर्ती इतिहास, ब्राह्मी को भारत की अन्य बहुत सी लिपियों की जननी प्रमाणित कर चुका है. श्रीगौरी शंकर ओझा जी लिखते हैं कि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ... इतना ही कहा जा सकता है कि ब्राह्मी अपनी प्रोढ़ अवस्था एवं पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है, इसका किसी बाह्य स्त्रोत एवं प्रभाव से उद्भव सिद्ध नहीं होता.

ब्राह्मी लिपि, चीनी लिपि की भाँति चित्रात्मक न होकर, वर्णात्मक स्वरूप को धारण करती है. इसमें दो मूल प्रकार के वर्ण हैं स्वर एवं व्यंजन. दोनों ही प्रकार के वर्ण के साथ स्वर का मात्रा रूप में सुसज्जित होना इसे शब्द की संज्ञा देता है.

कालांतर में भारत में अनेक भाषाएँ जन्मी. संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली एवं उनके विकास क्रम की गाथा के संग्रहण हेतु पल्लवित हो रही थी मैं ब्राह्मी की पुत्री "देवनागरी".

मैं उल्लेख करना चाहूंगी, कि लेखन की पद्धति, भाषा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. चित्रलिपि में एक शब्द से अन्य शब्दों के निर्माण की गुंजाइश नहीं होती, इसी कारण चीनी भाषा के शब्द रूप बदलने में अक्षम है, जो कि चीनी भाषा को पूर्णत: अश्लिष्ट भाषा के रूप में प्रमाणित करते हैं. इसी क्रम में, मुझ देवनागरी की विशिष्ठता, संस्कृत भाषा में भाव, स्वभाव, स्वाभाविक, अस्वाभाविक जैसे संबंध शब्दों के निर्माण से, संस्कृत को विशिष्ठ बनाती है. मेरे लेखन के साथ ध्वनि का तालमेल अन्य लिपियों की तुलना में मुझे श्रेष्ठ बनाता है. जिस भाषा में उच्चारण एवं लेखन का अपवाद रहित संबंध होता है उसे ही तो वैज्ञानिक लिपि होने की उपमा से गौरवान्वित किया जाता है. मेरे इसी स्वभाव के कारण विश्व ने मुझे एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में जाना.

ब्रह्म ज्ञान का वेदों के रूप में संग्रहण करने के कारण मेरी जननी ब्राह्मी कहलाई. सुदीर्घ काल तक ब्राह्मी ने संस्कृत भाषा का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात इसका दायित्व मुझे दिया. कालांतर में, मैं देवनागरी ही संस्कृत की लिपि के रूप में पहचानी जाने लगी.

मेरा नामकरण देवनागरी होने के पीछे कई किवदंतिया हैं.

- बौद्धग्रन्थ ललित विस्तार ने मुझे नाग लिपि के आधार पर देवनागरी नाम दिया .
- गुजरात के नागर ब्राह्मणों के सर्वप्रथम प्रयोग के कारण मुझे देवनागरी होने की संज्ञा प्राप्त हुई.
- नगरों में विकसित होने के कारण मैं देवनागरी कहलाई.
- देवों की नगरी काशी में मेरे प्रचार प्रसार ने मुझे देवनागरी नाम दिया .
- दक्षिण के विजयनगर के राजाओं ने मुझे नंदिनागरी नाम से पुकारा.
- तांत्रिक उपासनाओं के देवनगरम यंत्र के बीच प्रतिष्ठापित होने के कारण देवनागरी नाम से जानी जाने लगी .
- देववाणी संस्कृत के लेखन के कारण देवनागरी कहलाना मुझे सार्वाधिक भाया.

मेरी गौरव गाथा का महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया, जब भारत के संविधान में घोषणा की गई कि "देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी." इसके साथ ही टंकण, मुद्रण, कम्प्युटर जैसे नए क्षेत्रो में मेरा प्रवेश होना सुनिश्चित था. नए क्षेत्रो में प्रवेश के साथ ही गई कठिनाईयों का सामना करने हेतु, मुझे अपने मानकीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी.

1950 में मुझे राजभाषा घोषित किए जाने से पूर्व ही विद्वानों द्वारा मुझमें सुधार प्रयास प्रारंभ

कर दिए गए. काका कालेलकर समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1941, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1947, नागरी प्रचारिणी 1953 इनमें से प्रमुख है.

राजभाषा घोषित होने के पश्चात भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1967 में परिवर्धित देवनागरी नामक प्रकाशन में, हिंदी वर्णमाला एवं वर्तनी को अंतिम प्रमाणित रूप दिया. उक्त सुधार आंदोलनों की सिफारिशों को नहीं माना गया. केवल 1953 की सुधार समीति की सिफारिश "ख, ध, भ, छ" को मानक घोषित किया गया. इस प्रकार मैं देवनागरी, हिंदी भाषा के अपने वर्तमान स्वरूप में आप सभी के समक्ष आई.

एक श्रेष्ठ लिपि होने के चार गुण कहे जाते हैं, "एकरूपता, सरलीकरण, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता." लिपि के यह चारों गुण मुझमें पूर्व काल से ही समाहित थे, परन्तु परिवर्तित होते युग के साथ परिस्थितियां परिविर्तित हुईं. मुद्रण, टंकण तक तो मेरी सुंदरता, सुघढ़ता प्रासंगिक थी परन्तु कम्प्यूटरीकरण के साथ तालमेल हेतु मुझमें मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी.

कंप्यूटर पर मेरे मूल स्वरूप में, हिंदी भाषा को ले जाने के लिए इनपुट प्रणालियों की आवश्यकता ने मुझमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस कराई. लेकिन मेरे शुभचिंतक विरासत में प्राप्त मेरे मूल स्वरूप को परिवर्तित करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है. हिंदी भाषा में प्रासंगिक बने रहने हेतु मुझे मानकीकरण की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए उर्दू के विशेष ध्वनियों के उच्चारण हेतु देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों के साथ नुक्ते का प्रयोग करते हुए क़, ख़, ग़, ज़, फ़, इसी प्रकार संस्कृत के हलंत का भी हिंदी में कोई स्थान नहीं है.

मानकीकरण के क्रम में, अन्य हिंदीतर भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों के सफल प्रतिनिधित्व हेतु 2024 में निम्नलिखित ध्वनियों को मानक देवनागरी वर्णमाला में स्थान दिया गया है:

मैं देवनागरी इस बात को महसूस करती हूँ, कि लिपि की वैज्ञानिकता निरपेक्ष हो ही नहीं सकती यह भाषाई आधार पर अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करती है. जैसे कि संस्कृत भाषा में, हिंदी की अपेक्षा अधिक वर्ण ध्वनि का सामंजस्य है. लिपि का भाषा से अप्रत्यक्ष संबंध सदैव रहेगा, क्योंकि उच्चारण की प्रत्येक विशेषता को लिपि में नहीं दर्शाया जा सकता. कुछ भाषाओं में वर्ण सामंजस्य कम होता है, तो कुछ में अधिक. मुझ पर निर्भर भाषाओं से मेरा अत्यधिक सामंजस्य होने के कारण ही मुझे वैज्ञानिक लिपि माना गया.

मैं देवनागरी भारत की अनेकों भाषाओं को लिपिबद्ध करने, उनकी साहित्य सभ्यता को आप तक पहुचाते हुए गौरवान्वित हूँ. साथ ही युग परिवर्तन के साथ स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण हेतु अपने मानकीकरण के लिए भी पूर्ण रूप से कटिबद्ध भी हूँ.

प्रज्ञा अग्रवाल
अं. का., भोपाल

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

परिवर्धित देवनागरी, देवनागरी वर्णमाला का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक चिह्न (विशेषक चिह्न) जोड़े गए हैं. परिवर्धित चिह्नों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थभेदकता की स्थिति में संबंधित भाषा की ध्वनियों का लेखन संभव हो सके.

देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाने के लिए यह अपेक्षित है कि देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक चिहनों का विकास किया जाए. अत: विभिन्न भाषाओं के भाषा-विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 'परिवर्धित देवनागरी' का विकास किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ-साथ कश्मीरी, बांग्ला, मराठी, ओडिआ तथा असमिया भाषाओं के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के साथ-साथ सिंधी और उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया.

देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों के लिए कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है, अर्थात् जो ध्वनियाँ हिंदी भाषा में स्वनिमिक (Phonemic) स्तर पर विद्यमान नहीं हैं, उनके लिए ही विशेषक चिह्न निर्धारित किए गए. उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं कश्मीरी में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' उपलब्ध हैं किंतु देवनागरी में वे स्वनिमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं.

अनेक भारतीय भाषाओं की वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला के समान है परंतु भाषा विशेष में कुछ वर्षों का उच्चारण सामान्य हिंदी के उच्चारण से भिन्न है. यह भाषाओं के ध्वन्यात्मक व्यतिरेक (Phonetic Contrast) का विषय है. - *विशेष जानकारी https://cdnbbsr.s3waas.gov.in से प्राप्त की जा सकती है.*

स्वर वर्ण			
अ	आ	इ	ई
उ	ऊ	ऋ	ए
ऐ	ओ	औ	
अनुस्वार एवं विसर्ग			
अं	अः		

व्यंजन वर्ण				
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	
क्ष	त्र	ज्ञ	श्र	
उत्क्षिप्त व्यंजन			ड़	ढ़
विशिष्ट व्यंजन			ळ	

लिपि की यात्रा – चित्र लिपि से इमोजी तक

मानव सभ्यता का विकास भाषा और संचार के विकास के साथ जुड़ा हुआ है. भाषा, लिपि और अन्य संचार माध्यमों के विकास ने मानव को अपने विचारों, भावनाओं, और जानकारी को साझा करने में सक्षम बनाया है. इस संदर्भ में, चित्रात्मक लिपियों से लेकर आधुनिक समय के इमोजी तक की यात्रा, संचार के विभिन्न रूपों में होने वाले परिवर्तनों की एक आकर्षक कहानी है. यह कहानी दर्शाती है कि कैसे संचार के साधनों ने समय के साथ विकसित होकर नई तकनीकों और सामाजिक आवश्यकताओं को अपनाया है.

लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग. ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती है. लिपि मनुष्य समाज के लिए एक वरदान है. लिपि भाषा को स्थायित्व देती है. लिपि के बिना, कई भाषाएं विलीन हो चुकी होतीं और हम उनका नाम तक नहीं जान पाते. लिपि के माध्यम से, हम अपने विचारों और भावों को सुरक्षित रख सकते हैं एवं समाज का अनुभवजन्य ज्ञान लिखकर संचित कर सकते हैं.

लिपि का उद्भव: लिपि के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद रहा है. अनेक विद्वान लिपि का जन्म भारतवर्ष को मानते हैं जबकि पश्चिमी चिंतक यह तर्क देते हैं कि संसार की सभी भाषाओं और उसे रूप प्रदान करने वाली लिपि का जन्मदाता पश्चिम है.

विद्वानों का एक वर्ग लिपि के सृजनकर्ता ब्रह्मा को मानता है. उनका कथन है और प्रबल मान्यता यही है कि भारत में लिपि के सृजनकर्ता और कोई नहीं केवल 'ब्रह्मा' हैं.

विद्वानों का दूसरा वर्ग इस मान्यता के विरोध में है. वह परंपरागत मान्यता का खंडन करते हुए विकासवाद के सिद्धांत को प्रमुख मानता है. उनके मतानुसार, "भाषा की भांति लिपि भी मनुष्य की बुद्धि द्वारा अर्जित संपत्ति है और हमें इसी सिद्धांत पर लिपि का मूल्यांकन करना चाहिए."

आज भी विवाद है किंतु परंपरावादी और तर्क प्रस्तुत करने वाले विद्वानों के विचारों को आत्मसात करते हुए हम इतना कह सकते हैं कि लिपि का उद्भव भाषा के विकास के बाद ही हुआ है, जब मनुष्य ने भाषा को लिपिबद्ध कर उसे दृश्य रूप प्रदान करने की कला का ज्ञान अर्जित किया. भाषा और लिखने की कला ही मनुष्य को प्रत्यक्ष रुप से पशु से पृथक करती है. मनुष्य को जब अपनी वाणी का संग्रह करने की इच्छा हुई तभी लिपि का श्रीगेणश हुआ. भाषा की तरह लिखने की कला की उत्पत्ति भी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हुई होगी. लिपि ही एक ऐसा साधन है जो हमारी प्राचीन उपलब्धियों को सुरक्षित रखती है. भाषा भाव प्रकाशन का मौखिक साधन है तो लिपि अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम है. लिपि ही वह सशक्त एवं सार्थक माध्यम है जिसके द्वारा भाषा को समय और स्थान की सीमा से पार पहुँचाया.

लिपि के विकास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं -

1. चित्र लिपि - लिपि के विकास का प्रथम चरण चित्रलिपि है. मनुष्य ने भाव को चित्रांकन रूप देने का साहस जब भी किया, चित्र लिपि उसकी सहायक बनी. वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या कार्यों या विचारों को व्यक्त करने वाले छोटे चित्रों का प्रयोग किया गया. मिस्र, चीन और मेसो- (मध्य) अमेरिका में चित्र-लेखन के विभिन्न रूप विकसित हुए. सिंधु घाटी में, प्रतीकों के साथ संयुक्त चित्रों का प्रयोग करते थे - एक ऐसी प्रणाली जिसे आज के विशेषज्ञ अभी भी नहीं समझ पाए हैं. ये लेखन प्रणालियाँ, जिनमें क्यूनिफ़ॉर्म भी शामिल थी, जटिल थीं और बहुत कम लोग इन्हें सीखने में कामयाब रहे.

2. भावमूलक लिपि - भावमूलक लिपि चित्र लिपि का विकसित रूप है. चित्र लिपि में सिर्फ वस्तुओं को व्यक्त करते थे, परंतु भावलिपि में ये चित्र भावों को भी व्यक्त करते हैं.

चित्र लिपि में किसी भी चित्र के माध्यम से केवल उसका अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे सफेद गोले का अर्थ चाँद होता है. वहीं भावमूलक लिपि में किसी भी चित्र में छिपा भाव स्पष्ट होता है, जैसे - चाँद का चित्र प्रेम, रोशनी तथा शीतलता का प्रतीक भी है. इसी प्रकार चित्र लिपि में कान का चित्र सिर्फ कान को ही दर्शाता है, परंतु भावमूलक लिपि में कान का अर्थ सुनना भी होता है. भावमूलक लिपि के उदाहरण चीन, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमरीका आदि में मिलते हैं. इस लिपि के माध्यम से बड़े-बड़े एवं विभिन्न पत्र व्यवहार भी होते है.

मनुष्य के भावपूर्ण संकेत लिपियों के विकास क्रम में आकार और अक्षरों में परिवर्तित हुए. इस प्रकार अक्षरों से शब्द एवं शब्दों से वाक्य बनने की प्रक्रिया चलती रही और भाषाओं की रचना होती गई. ये भाषाएँ आज संप्रेषण का माध्यम बनकर समाज की विभिन्न इकाइयों को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहीं हैं.

3. ध्वनिमूलक लिपि - यहां पहुंचकर लिपि की अवस्था अंतिम पड़ाव तक पहुंची. हम मानते हैं लिपि के अंतर्गत ध्वनि के छोटे-छोटे खंडों को जब व्यवस्थित किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है, यही ध्वनि चिह्न जब लिखित भाषा में प्रस्तुत हुए तो ध्वन्यात्मक अथवा ध्वनिमूलक लिपि सामने आई. ध्वनिमूलक लिपि के दो रूप हैं एक अक्षरात्मक (देवनागरी लिपि) और दूसरा वर्णात्मक लिपि (रोमन लिपि).

1. अक्षरात्मक लिपि में ध्वनिसमूह या अक्षर लिपि की इकाई होती है. इसके सभी चिह्न या अक्षर, एक सुर से बोले जाते हैं. देवनागरी अक्षरात्मक लिपि का सर्वोत्तम नमूना है.

2. वर्णात्मक लिपि वर्ण अलग-अलग ध्वनि के पृथक-पृथक प्रतीक हैं. वर्णात्मक लिपि का सर्वोत्तम उदाहरण रोमन लिपि है.

अत: इस प्रकार मानव ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए चित्रों से लिपि,

लिपि से अक्षर और अक्षर से वाक्यों का सफर तय किया.

मानव भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं 1) मौखिक 2) लिखित. लिखित रूप में भाषा किसी वस्तु (जैसे- कागज, कपड़ा, पत्थर, ताम्रपत्र, भोजपत्र आदि) पर अंकित दृश्य - प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होती है तथा हम इसे अपनी आँखो के द्वारा ग्रहण करते हैं. मानव समझ की उत्पत्ति एवं विकास के साथ, धीरे-धीरे लेखन के कई प्रकार विकसित हो गए. उत्कीर्ण-लेखन, हस्तलेखन, मुद्रित-लेखन के उपरान्त जैसे-जैसे समाज आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ संचार के कई माध्यमों की उत्पत्ति हुई जैसे समाचार पत्र, रेडियो, दूरसंचार, दूरदर्शन, कंप्यूटर इत्यादि जिसके फलस्वरूप डिजिटल-लेखन की उत्पत्ति हुई.

डिजिटल लेखन, डिजिटल डिवाइस पर होने वाला लेखन है. इसमें वर्ड प्रोसेसर और संलेखन सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया रचना, संचार रणनीति, और नई भाषाओं का ज्ञान शामिल है. डिजिटल लेखन के कुछ रूप हैं - समाचार रिपोर्ट, ईमेल, ब्लॉग पोस्ट, ट्वीट, प्रेस विज्ञप्ति, सोशल स्निपेट, ई-बुक्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग. आधुनिक मानव समाज के लेखन के तरीकों में अवश्य बदलाव आ गया है किन्तु लिपि का स्वरूप आज भी वही है. लिखित रूप में भावों की अभिव्यक्ति भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा की जा रही है परंतु भाषा आज भी वही है. हम डिजिटल टूल्स के माध्यम से संसार में व्याप्त किसी भी भाषा में लिखित संचार कर सकते हैं. हम इंटरनेट पर सामान्य संदेश के माध्यम से अपनी शारीरिक भाषा और बोलने के तरीके को स्पष्ट तरीके से संप्रेषित नहीं कर सकते. इसी कमी को पूरा करने के लिए आज के युग में इमोजी बहुत प्रचलित है.

इमोजी क्या है ?

इमोजी भावमूलक लिपि का ही आधुनिक रूप है जिसका प्रयोग हम अपनी मन:स्थिति एवं भाव को दर्शाने के लिए करते हैं. इसका प्रयोग प्रमुखत: आधुनिक रूप से संवाद स्थापित करने वाले विभिन्न ऐप्स जैसे-

व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैप इत्यादि पर होता है.

इमोजी की शुरुआत जापान में हुई. इमोजी एक जापानी शब्द है, जिसमें 'ए' (चित्र) और 'मोजी' (वर्ण या अक्षर) का संयोजन होता है, अर्थात् 'चित्र अक्षर'. 1990 के दशक में, जापान की मोबाइल कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को और अधिक मजेदार और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के लिए इमोजी का विकास किया. इन चित्रलिपियों का प्रयोग लोग अपनी भावनाओं, विचारों, और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए करने लगे.

पहले इमोजी सरल थे - जैसे हंसी, रोना, दिल, तारे, सूरज आदि. लेकिन समय के साथ इनका दायरा विस्तृत होता गया. अब हजारों इमोजी उपलब्ध हैं, जो न केवल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वस्तुएं, क्रियाएं, स्थान, मौसम, भोजन और यहां तक कि विविध संस्कृतियों और जातीयताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं.

इमोजी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में face with tears of joy के नाम से जोड़ा गया. 2015 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का word of year भी इमोजी ही था. विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है.

सर्वप्रथम इमोजी के कीबोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्पल कंपनी ने प्रस्तुत किया था. इमोजी की प्रसिद्धि तो इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आज हर एक मोबाइल फोन में इमोजी का कीबोर्ड उपलब्ध है तथा लोगों द्वारा इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है. बढ़ती प्रसिद्धि के साथ इमोजी के विभिन्न प्रकारों का भी विकास हुआ.

* वर्ष 1999 में इमोजी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था. उस वक्त इसके वास्तविक सेट में सड़क जाम, मौसम, प्रौद्योगिकी और समय का चिह्न था.

*2010 में यूनिकोड ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया तथा इसमें उन्होंने खुशी गुस्सा, आँसू, क्रोध, बिल्लियों के चेहरे वाले इमोजी को जोड़ा.

*2015 में इमोजी में विविधता को अद्यतन किया गया, जिसमें पांच नए त्वचा के रंग एवं समलैंगिक जोड़ों को भी शामिल किया गया.

*2016 के अद्यतन में एकल पिता, ध्वज एवं वजन उठाती युवती का इमोजी रूप शामिल किया गया. वर्तमान में 3633 इमोजी यूनिकोड स्टैन्डर्ड में हैं.

आज इमोजी का प्रयोग वैश्विक संचार का अभिन्न हिस्सा बन गया है. सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, और यहां तक कि पेशेवर संचार में भी इमोजी का प्रयोग आम हो गया है. इमोजी ने संचार को संक्षिप्त, सरल और भावनात्मक रूप से गहन बना दिया है.

इमोजी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह एक सार्वभौमिक भाषा बन गई है. भाषा की बाधाओं के बावजूद, लोग इमोजी के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं. यह दृश्य भाषा एक ऐसा साधन बन गयी है जो सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक सीमाओं को पार करती है.

इमोजी का भविष्य भी उज्ज्वल दिखता है. जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इमोजी भी विकसित हो रहे हैं. अब एनिमेटेड इमोजी, जीआईएफ, और 'मेमोजी' जैसे व्यक्तिगत इमोजी का भी प्रयोग हो

रहा है. साथ ही, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे नए क्षेत्रों में भी इमोजी का प्रयोग हो रहा है, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को और भी ज्यादा सजीव रूप से व्यक्त कर सकते हैं.

इमोजी का प्रभाव केवल संचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है. इमोजी ने हमें एक नया माध्यम दिया है जिससे हम अपनी पहचान, संस्कृति, और मान्यताओं को व्यक्त कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, त्वचा के विभिन्न रंगों वाले इमोजी या लिंग-तटस्थ इमोजी जैसे विकल्प, समाज में विविधता और समावेश को प्रकट करते हैं.

साथ ही, इमोजी ने एक नई प्रकार की भाषा का निर्माण किया है. युवा पीढ़ी में, इमोजी के माध्यम से बातचीत करना एक सामान्य बात हो गई है. इमोजी न केवल शब्दों को बदलते हैं, बल्कि वे भावनाओं को भी सजीव बनाते हैं. इसके बावजूद, कुछ आलोचकों का मानना है कि इमोजी के अत्यधिक प्रयोग से भाषा की गहराई और उसकी जटिलता खो सकती है.

इमोटिकॉन्स: यह एक नया शब्द है, जिसका अर्थ है- भावनात्मक चिह्न. सोशल मीडिया पर आजकल इमोटिकॉन्स भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं. यह उन चिन्हों को कहा जाता है जिसमें अक्षर, विराम चिह्न और अंक का प्रयोग सचित्र चिह्न बनाने के लिए होता है. यह सामान्यत: भावना को दर्शाने के लिए होता है.

निष्कर्ष: लिपि की यात्रा चित्र से इमोजी तक मानव सभ्यता की एक अद्वितीय यात्रा है. यह यात्रा दर्शाती है कि कैसे समय के साथ, संचार के साधनों ने तकनीक, समाज और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाया है. प्रारंभिक चित्रात्मक लिपियों से लेकर आधुनिक इमोजी तक, हर चरण में भाषा और संचार के नए रूपों का आविष्कार हुआ है.

इमोजी ने हमें यह सिखाया है कि संचार केवल शब्दों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दृश्य माध्यमों का भी महत्वपूर्ण स्थान है. भविष्य में, इमोजी और भी उन्नत और विविध रूपों में विकसित हो सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संचार के इन नए रूपों ने मानव सभ्यता को और भी करीब लाने में अपना अभिन्न योगदान दिया है.

कीर्ति वर्मा
क्षे. का., गाजीपुर

पाँच नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति

क्या आप जानते है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच नई भाषाओं को "शास्त्रीय" भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी है, जिससे देश की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची में विस्तार हो गया है. वर्तमान में 6 भाषाओं के अलावा **मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली** को भी इस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है.

शास्त्रीय भाषा क्या है? वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने भाषाओं की प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को "शास्त्रीय भाषा" के रूप में नामित करना शुरू किया. भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएँ देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं तथा अपने समुदायों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का प्रतीक हैं. सर्वप्रथम तमिल को वर्ष 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ. तत्पश्चात संस्कृत(2005), तेलुगु एवं कन्नड़(2008), मलयालम(2013), उड़िया(2014) को क्रमश: वर्ष 2005, 2008, 2008, 2013, 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ.

शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष दो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार शामिल हैं. साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है.

भारतीय भाषा अनुभाग

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया. अनुभाग का मुख्य कार्य है हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र का भावानुवाद देश की सभी भाषाओं में करना, साथ ही, सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में करना. हीरक जयंती के उपलक्ष में भारतीय भाषा अनुभाग के उद्देशयों को साझा करते हुए उन्होंने कहा "हम सब जिस छोटे से बीज के बोए जाने के साक्षी बने हैं, वह आने वाले वर्षों में एक वटवृक्ष बन कर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केन्द्र बनेगा. भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र का भावानुवाद देश की सभी भाषाओं में करेगा. भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग के पूरक के रूप में कार्य करेगा. राजभाषा का प्रचार-प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी सभी स्थानीय भाषाओं को मज़बूत न करें और राजभाषा का इनके साथ संवाद स्थापित न करें. हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कभी स्पर्धा नहीं हो सकती क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है. हिंदी और स्थानीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं और इसीलिए भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं के बीच संबंध को और मज़बूत किया जाएगा."

सरल हिंदी : व्यावहारिक हिंदी

भारत जैसे बहुभाषी देश में राजभाषा हिंदी का महत्व अत्यंत व्यापक है. संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया है, और यह मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है. हालांकि, हिंदी के इस सांविधिक दर्जे के बावजूद, इसे व्यवहारिक रूप से सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में कई चुनौतियाँ हैं. हिंदी को व्यवहारिक रूप से सरलतम बनाकर अधिकाधिक प्रयोग में लाने के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा और प्रशासनिक स्तर पर अनेक प्रयासों की आवश्यकता है. हिंदी को सरल बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसका व्यापक प्रयोग अभी तक देश के सभी हिस्सों में नहीं हो सका है. विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में हिंदी के प्रयोग में विभिन्नता देखने को मिलती है.

तकनीकी और प्रशासनिक भाषा का जटिल होना हिंदी के व्यावहारिक प्रयोग की राह में सबसे बड़ी बाधा है. सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास होते हैं, लेकिन उसकी भाषा शैली तकनीकी और जटिल होती है. इससे आम जनता के लिए हिंदी को समझना और प्रयोग करना कठिन हो जाता है. हिंदी भाषी व्यक्ति भी तकनीकी जटिलता के कारण अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग कम करता है. इसी प्रकार हिंदी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे सरल बनाना आवश्यक है. उच्च शिक्षा में हिंदी का प्रयोग सीमित होता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों में अंग्रेज़ी का अधिक प्रभाव है. यदि हिंदी को इन क्षेत्रों में सरल और समझने योग्य रूप में पेश किया जाए, तो यह ज्यादा प्रभावी हो सकती है.

हम एक बहुभाषी समाज में निवास करते हैं. भारत में विभिन्न क्षेत्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ और बोलियाँ हैं. ऐसे में हिंदी को एक सरल और संपर्क भाषा के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि यह अन्य भाषाओं के साथ सहजता से घुल-मिल सके और सभी भारतीयों द्वारा समझी जा सके.

सरल हिंदी का प्रयोग संचार को सुगम और व्यापक बनाएगा. जब भाषा सरल होती है, तो लोग आसानी से उसे समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं. यह सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुँचाने में मददगार साबित हो सकती है. हिंदी को सरल रूप में प्रस्तुत करने से देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी स्वीकृति बढ़ेगी. यह विभिन्न भाषाई समूहों के बीच एक सेतु का काम करेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलेगा.

व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्र में विकास: आज के दौर में हिंदी का प्रयोग व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है. सरल हिंदी को अपनाने से इन क्षेत्रों में भी इसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है. ग्राहक सेवा, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में हिंदी के सरलतम रूप से ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है.

सरल हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय

सरल भाषा में सरकारी दस्तावेज़ और सूचना: सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों में जटिल और कठिन शब्दावली के बजाय सरल और सुबोध हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए. इससे आम जनता सरकारी नीतियों और योजनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेगी. द्विभाषिक प्रारूपों में हिंदी के प्रारूपों को सरल और सुगम बनाना भी कार्यालयीन हिंदी को व्यावहारिक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है.

शिक्षा प्रणाली में सुधार: शिक्षा में हिंदी को और अधिक व्यवहारिक और सुलभ बनाने के लिए पाठ्यक्रमों को सरल हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. उच्च शिक्षा में भी विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों को सरल हिंदी में उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे छात्र आसानी से विषयवस्तु को समझ सकेंगे.

मीडिया और मनोरंजन में सरल हिंदी: मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी का अत्यधिक प्रयोग होता है. टेलीविजन, रेडियो, अखबार, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सरल और प्रभावी हिंदी का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, ताकि आम जनता को हिंदी से जुड़ाव महसूस हो. अगर शिक्षा प्रणाली में हिंदी का सरलतम रूप अपनाया जाए, तो यह विद्यार्थियों के लिए विषयों को समझने में सहायक होगी. खासकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हिंदी को सरल बनाकर विद्यार्थियों के भाषा कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है.

प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ: सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में हिंदी के सरलतम रूप के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए. इन कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को सरल हिंदी के प्रयोग और महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है. इसी अनुक्रम में भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये गए हैं.

हिंदी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशनों का विकास: डिजिटल युग में हिंदी को तकनीकी रूप से और अधिक सुलभ और व्यवहारिक बनाने के लिए हिंदी सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशनों का विकास किया जा सकता है. इससे लोग हिंदी में टाइपिंग, अनुवाद, और अन्य डिजिटल गतिविधियों को सरलता से कर सकेंगे.

सामाजिक मीडिया का प्रभावी प्रयोग: आज के दौर में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन चुका है. सरल हिंदी में सोशल मीडिया पर संवाद करके इसे जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है. इससे युवा पीढ़ी में हिंदी के प्रति जागरूकता और जुड़ाव बढ़ेगा.

हिंदी के सरलतम प्रयोग की चुनौतियाँ: हिंदी को सरल बनाने और इसके व्यापक प्रयोग को सुनिश्चित करने के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं.

राजभाषा हिंदी को सरलतम और व्यवहारिक बनाने के लिए समाज के हर वर्ग में जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है. हिंदी का सरल रूप न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इसकी पहुँच और प्रभाव को बढ़ाएगा. हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. इसे सरल और सुलभ बनाकर हम न केवल इसे व्यवहारिक बना सकते हैं, बल्कि समाज में इसकी प्रतिष्ठा और महत्ता को भी बनाए रख सकते हैं.

किरण कुमारी कुजूर
क्षे.का., धनबाद

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का हिंदी दिवस समारोह - 2024

दिनांक 05.10.2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया. इस समारोह में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ, श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधकगण, उच्च कार्यपालकगण, स्टाफ सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे. इस अवसर पर एमडी एवं सीईओ महोदया ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता, कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्यों को बधाई दी. साथ ही, उन्होंने कहा कि अपने हर दिन के काम में हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ करें. सभी के योगदान से ही हमारा बैंक राष्ट्रीय स्तर

पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा के पुरस्कारों में सबसे ऊपर रहेगा. बैंक द्वारा व्यावहारिक भाषा ज्ञान प्रशिक्षण हेतु तेलुगू, मलयालयम एवं बांग्ला में 'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष' नामक व्यावहारिक भाषा ज्ञान पुस्तकों एवं बैंकिंग विषयों पर 26 संदर्भ साहित्य का विमोचन मंचासीन कार्यपालगण द्वारा किया गया. केंद्रीय कार्यालय के पाँच विभागों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु विभाग-स्तरीय राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए. 32 व्यक्तिगत पुरस्कार, 4 कार्यपालकों को नोटिंग हेतु पुरस्कार एवं हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित 9 हिंदी प्रतियोगिताओं के कुल 48 विजेताओं को पुरस्कार सहित कुल 80 पुरस्कार प्रदान किए गए. मुख्य कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के बाद हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बावरा, डॉ. रजनीकांत मिश्रा, श्री राकेश तिवारी, श्री प्रियेश सिन्हा एवं श्री रोहित शर्मा द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं. तत्पश्चात् बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई.

नई भाषा कैसे सीखें?

नई भाषा सीखना एक महत्वपूर्ण और समृद्ध अनुभव है जो न केवल हमारे संचार कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमें विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और दृष्टिकोणों को समझने में भी सक्षम बनाता है. यह एक ऐसा कौशल है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है. नई भाषा सीखने की प्रक्रिया में धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है.

नई भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके कुछ इस प्रकार हैं, जिससे यह एक आनंददायक और सफल अनुभव बन सके.

नई भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों और रणनीतियों का विस्तार से पालन करना आवश्यक है:

1. प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण: प्रेरणा को बनाए रखना: यह समझना कि आप एक नई भाषा क्यों सीखना चाहते हैं, आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में सहायक होगा. उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य करियर में प्रगति करना है, तो उस नई भाषा के पेशेवर अवसरों की जानकारी प्राप्त करें.

लक्ष्य निर्धारित करना: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) लक्ष्यों का निर्धारण करें. उदाहरण के लिए, " मैं अगले तीन महीनों में 500 नए शब्द सीखूंगा " जैसे लक्ष्य निर्धारित करें.

2. शिक्षण विधियाँ:

स्वयं अध्ययन बनाम कक्षा अध्ययन: यदि आप स्वप्रेरित हैं, तो स्वयं अध्ययन के लिए ऐप्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं. जबकि कक्षा अध्ययन में संरचित सीखने का लाभ मिलता है.

इमर्सिव लर्निंग: नई भाषा में पूरी तरह से डूबने की कोशिश करें. नई भाषा के मूल बोलने वालों के साथ बातचीत करें, फिल्मों और टीवी शो को सबटाइटल के साथ देखें, और संबंधित समुदायों में शामिल हों.

3. संसाधनों का उपयोग: ऑनलाइन प्लेटफार्म: डुओलिंगो, रोसेट्टा स्टोन, बैबेल जैसी ऐप्स का उपयोग करें. ये ऐप्स इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम और अभ्यास प्रदान करते हैं.

वीडियो और पॉडकास्ट: यूट्यूब पर नई भाषा सीखने के चैनल और पॉडकास्ट सुनें. ये आपके सुनने और उच्चारण कौशल को सुधारने में मदद करेंगे.

पुस्तकें और फ्लैशकार्ड: नई भाषा की पुस्तकें पढ़ें और फ्लैशकार्ड का उपयोग करें, जो शब्दावली और व्याकरण को याद रखने में सहायक होते हैं.

4. सांस्कृतिक संदर्भ:

संस्कृति का अध्ययन: नई भाषा के साथ-साथ उस देश की संस्कृति, इतिहास, और सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानें. इससे नई भाषा के अर्थ और उसके प्रयोग को समझने में मदद मिलेगी.

सांस्कृतिक संवेदनशीलता: यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी नई भाषा के शब्द और वाक्यांश विभिन्न संदर्भों में कैसे प्रयोग किए जाते हैं. इससे गलतफहमियों और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता से बचा जा सकेगा.

नई भाषा सीखना एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसमें निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है.

5. दैनिक अभ्यास

दैनिक रूटीन में शामिल करना: नई भाषा को सीखने के लिए इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है.

उदाहरण के लिए घर के काम करते समय नई भाषा में सोचने की कोशिश करें. जैसे, भोजन पकाते समय रेसिपी की सामग्री को नई भाषा में बोलें.

टेक्नोलॉजी का उपयोग: अपने फोन और कंप्यूटर की भाषा सेटिंग्स को बदलें. यह आपको उस नई भाषा के साथ अधिक परिचित बनाएगा.

चार कौशलों का संतुलन:

सुनना: नई भाषा के पोडकास्ट, संगीत और फिल्मों को सुनें. यह आपको स्वाभाविक उच्चारण और लहजे को समझने में मदद करेगा.

बोलना: स्वयं से बात करें या नई भाषा एक्सचेंज पार्टनर के साथ संवाद करें. यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

पढ़ना: सरल पुस्तकों और समाचार पत्रों से शुरुआत करें. धीरे-धीरे जटिल ग्रंथों की ओर बढ़ें.

लिखना: छोटी कहानियों, डायरी या ब्लॉग्स को नई भाषा में लिखने का प्रयास करें.

6. उच्चारण और व्याकरण में सुधार

उच्चारण अभ्यास:

मूल वक्ताओं के साथ वार्तालाप उच्चारण को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है. नई भाषा आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लें.

उच्चारण सुधारने के लिए ऑनलाइन टूल्स और ऐप्स का उपयोग करें, जैसे कि फॉरवो या गूगल ट्रांस्लेट का उच्चारण फीचर.

व्याकरण:

व्याकरण पुस्तकों और ऐप्स का उपयोग करें, जैसे डुओलिंगो, बैबेल या रोसेट्टा स्टोन, जो संरचित तरीके से व्याकरण सिखाते हैं.

विशेष रूप से जटिल व्याकरणिक नियमों और अपवादों के लिए फ्लैशकार्ड बनाएं.

7. प्रगति की निगरानी

आत्ममूल्यांकन: नियमित रूप से टेस्ट लें, चाहे ऑनलाइन हो या नई भाषा पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही.

अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और सुधार की योजना बनाएं.

फीडबैक: नई भाषा शिक्षकों या मूल वक्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करें. इससे आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलेगी.

ऑनलाइन नई भाषा समुदायों में शामिल हों, जहाँ आप अपने कौशल को साझा कर सकते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं.

प्रेरणा स्रोत: ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने नई भाषा सीखकर अपने करियर में सफलता पाई है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संवाददाता या बहुभाषी अनुवादक.

उन व्यक्तियों के अनुभव से प्रेरणा लें जिन्होंने नई भाषा सीखकर व्यक्तिगत विकास किया है, जैसे नए सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनाना.

उदाहरण: एक व्यक्ति जिसने एक नई भाषा सीखकर विदेश में काम करने का अवसर प्राप्त किया हो.

एक नई भाषा विद्यार्थी जिसने नई भाषा के माध्यम से नए दोस्त बनाए और सांस्कृतिक समझ को गहरा किया.

निष्कर्ष: नई भाषा सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है. उतार-चढ़ाव को स्वीकार करें और अपने प्रयासों को जारी रखें.

अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो.

यह यात्रा आपके धैर्य, समर्पण और उत्साह की परीक्षा होगी, लेकिन अंतत: यह आपके जीवन को और अधिक समृद्ध और पूर्ण बनाएगी.

अरूण सिंह
जेडएलसी-विशाखपट्टणम

भारत का युवा

संस्कृति के संरक्षण से लेकर
तकनीक की हर विधा में,
खुद को दक्ष बनाता हूँ
हाँ, मैं भारत का युवा कहलाता हूँ।

रिश्तों की धरोहर सहेजते हुए,
हर दायित्व कर्त्तव्यनिष्ठा से निभाता हूँ,
चुनौतियों का सामना करते हुए भी
सदा मैं मुस्कुराता हूँ
हाँ, मैं भारत का युवा कहलाता हूँ।

अपनी मेहनत के दम पर
हर क्षेत्र में विश्व पटल पर,
देश का प्रतिनिधित्व कर पाता हूँ।
हाँ, मैं भारत का युवा कहलाता हूँ।

सोचने की बात यह है परंतु
बदलते परिवेश में खुद को ढलने में,
क्यों असहज हो जाता हूँ?
क्यों सन्मति की राह से
कई बार भटक जाता हूँ ?
क्यों मैं भूल जाता हूँ की मैं,
स्वामी विवेकानंद के इस देश का,
भारत का युवा कहलाता हूँ।

अभिनव जैन
जेड. एल. सी., भोपाल

अभिव्यक्ति: सहज बनाम ए.आई. समर्थित

अभिव्यक्ति, एक ऐसा शब्द है जो हमारे भावों, विचारों और आंतरिक संवेदनाओं को बाहरी रूप में प्रकट करने का माध्यम है. यह सिर्फ़ बोलने, लिखने या क्रियाओं के ज़रिए किसी विचार को साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे संपूर्ण अस्तित्व की उन सभी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है जो हमें समझने और महसूस करने में मदद करती हैं. मानव जीवन में अभिव्यक्ति का महत्व अत्यधिक है. यह हमारे अंदर की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को शब्द, चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक या किसी अन्य रचनात्मक माध्यम के जरिए प्रकट करने का तरीका है.

अभिव्यक्ति हमें एक दूसरे से जोड़ती है. यह संवाद का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके जरिए हम अपने अनुभवों, चिंताओं, खुशियों और दुखों को दूसरों के साथ साझा करते हैं. किसी विचार या भावना को सही रूप में अभिव्यक्त करना उस विचार की गहराई और उसकी सटीकता को निर्धारित करता है. गलत अभिव्यक्ति न केवल गलतफहमी का कारण बन सकती है, बल्कि यह संवेदनशील मुद्दों पर भी प्रभाव डाल सकती है. अभिव्यक्ति वह पुल है जो हमारे मन की गहराइयों और बाहरी दुनिया के बीच खड़ा होता है, जो हमें अपनी पहचान, हमारी सोच, और हमारे विचारों को साझा करने की शक्ति प्रदान करता है. जब हम सहज अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो यह स्वाभाविक, असंशोधित और मानवीय अनुभवों से भरपूर होती है. वहीं दूसरी ओर, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) समर्थित अभिव्यक्ति उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कंप्यूटर और मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म द्वारा अभिव्यक्तियों को विकसित या संवर्धित किया जाता है.

सहज अभिव्यक्ति

सहज अभिव्यक्ति वह है, जिसे हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से व्यक्त करते हैं. यह व्यक्तित्व, भावनाओं, और अनुभवों का सजीव प्रतिबिंब होती है. उदाहरण के लिए, जब एक कवि कविता लिखता है, वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं, और कल्पनाओं से प्रेरित होता है. इसमें उसकी खुद की सोच, भावनात्मक गहराई, और कल्पना की शक्ति सम्मिलित होती है.

सहज अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है. यह किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी या मशीन की सहायता के बिना उत्पन्न होती है, और इसीलिए इसे मानव अनुभव का सजीव चित्रण माना जाता है. सहज अभिव्यक्ति मानव की अनूठी और असमान्य सोच का परिणाम है, जो उसे एक कला के रूप में प्रस्तुत करती है.

एआई समर्थित अभिव्यक्ति

एआई समर्थित अभिव्यक्ति वह है जिसमें कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है. एआई का उपयोग आजकल विभिन्न रचनात्मक प्रक्रियाओं में हो रहा है, जैसे कि साहित्य, संगीत, चित्रकला, और यहां तक कि फिल्म निर्माण में भी. एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से, लेखक, कलाकार और संगीतकार अपने काम को बढ़ावा दे सकते हैं, या यूँ कहें यहां तक कि नया निर्माण कर सकते हैं.

एआई समर्थित अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्षमता और कुशलता है. एआई एल्गोरिद्म बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करते हैं, और फिर उसे नई रचनाओं में बदल देते हैं. यह बहुत जल्दी और कुशलता से काम कर सकता है, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं हो सकता. इसके अलावा, एआई को व्यक्तिवादिता से मुक्ति भी मिलती है, जो कि मानवीय अभिव्यक्ति में हमेशा होती है. एआई की मदद से बनने वाले अभिव्यक्ति के रूप को अत्यधिक परिष्कृत और तकनीकी रूप से परिपूर्ण माना जा सकता है.

सहज बनाम एआई समर्थित अभिव्यक्ति: एक तुलना

प्रामाणिकता और मूल्य

सहज अभिव्यक्ति के पक्षधर तर्क देते हैं कि यह वास्तविक और प्रामाणिक है, क्योंकि यह मानव के अनुभवों, भावनाओं, और सोच से उत्पन्न होती है. यह किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता के बिना विकसित होती है, इसलिए इसे अधिक मूल्यवान माना जाता है. वहीं दूसरी ओर, एआई समर्थित अभिव्यक्ति की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह कृत्रिम और भावनाहीन होती है, क्योंकि इसमें मशीन द्वारा निर्मित या संपादित कंटेंट होता है.

गति और कुशलता

एआई समर्थित अभिव्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह बहुत तेजी से और कुशलता से काम कर सकती है. इसके विपरीत, सहज अभिव्यक्ति धीमी और समय लेने वाली हो सकती है. एआई का उपयोग करके, एक लेखक या कलाकार बड़ी मात्रा में कंटेंट का उत्पादन कर सकता है, जबकि सहज अभिव्यक्ति के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है. हालांकि, एआई की यह गति और कुशलता, अक्सर मौलिकता और रचनात्मकता की कमी का कारण भी बन सकती है.

तकनीकी और मानविकी दृष्टिकोण

एआई समर्थित अभिव्यक्ति तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित होती है, जिसमें डेटा, एल्गोरिद्म, और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है. इसके विपरीत, सहज अभिव्यक्ति मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जिसमें अनुभव, संवेदनशीलता, और मानवीय मूल्य सम्मिलित होते हैं. तकनीकी दृष्टिकोण की वजह से एआई समर्थित अभिव्यक्ति में गणना और विश्लेषण की उत्कृष्टता होती है, जबकि मानवीय दृष्टिकोण से सहज अभिव्यक्ति में भावनात्मक गहराई और प्रामाणिकता होती है.

भविष्य की चुनौतियाँ

जैसे-जैसे एआई का विकास हो रहा है, सहज अभिव्यक्ति पर उसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं. क्या एआई भविष्य में मानव अभिव्यक्ति को पूरी तरह से बदल देगा? क्या इससे रचनात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं. एआई समर्थित अभिव्यक्ति के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, हमें यह समझना होगा कि कैसे हम अपनी सहज अभिव्यक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं और तकनीकी प्रगति का सही उपयोग कर सकते हैं.

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति का महत्व किसी भी समाज में अमूल्य है. यह हमें न केवल व्यक्त करने का मौका देती है, बल्कि एक-दूसरे को समझने और जोड़ने का भी अवसर प्रदान करती है. सहज अभिव्यक्ति और एआई समर्थित अभिव्यक्ति दोनों के अपने-अपने लाभ और चुनौतियाँ हैं. जहां सहज अभिव्यक्ति मानव की अनूठी रचनात्मकता और प्रामाणिकता को दर्शाती है, वहीं एआई समर्थित अभिव्यक्ति तकनीकी क्षमता और कुशलता को प्रदर्शित करती है.

भविष्य में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति अपने-अपने ढंग से विकसित हो सकें, और एक-दूसरे के पूरक बन सकें. एआई को केवल एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, जो सहज अभिव्यक्ति को संवारने और संवर्धित करने में सहायक हो सकता है, न कि उसके स्थान पर आने वाला कोई विकल्प.

इस प्रकार, सहज और एआई समर्थित अभिव्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित करके, हम एक नए युग की ओर बढ़ सकते हैं, जहां रचनात्मकता और तकनीक साथ-साथ चलें, और एक दूसरे को समृद्ध करें.

संजय कुमार
क्षे. का., गाजीपुर

राजभाषा सम्मेलन

अद्भुत, अद्वितीय, मनोरम
राजभाषा सम्मेलन का यह दृश्य है
कभी भाषाविद तो कभी
कवि वर के वाचन का श्रवण
इसी का असाधारण दृश्य है

मैं भारत मण्डपम के आयोजन की
अद्भुत बात बताता हूँ
यहां विराजे मंच वीरों की
और सभा वीरों की अद्भुत गाथा सुनाता हूँ

पहला दिन का पहला सत्र
मुख्य अतिथि और विद्वान जन के नाम रहा
यहां विराजे मंच विद्वानों के
सभागार वीरों के नाम रहा

दूसरा सत्र, कविवर के नाम रहा
'कोई दीवाना कहता है'
और कब तक गीत सुनाऊं राधा
के नाम रहा

दूसरे दिन का पहला सत्र
झा, कांति, बाबू, अली जी के नाम रहा
कोई भाषा के लिपि पर बोल रहा
तो कोई देवनागरी पर बोल रहा

केरल की विदुषी के वाचन
ओणम, मलयालम के नाम रहा
दूसरा सत्र, न्याय भाषा-अभिनय के नाम रहा
फिल्मों में हिंदी के भिन्न भिन्न योगदान के नाम रहा

यह दृश्य देख मैं डोल गया
मैं अपनी हिंदी पर बोल गया
गर्व मुझे मेरी हिंदी पर
अमित जय हिंद-हिंदी पुनः बोल गया

अमित कुमार झा
क्षे. का., लुधियाना

डिजिटल युग में संप्रेषण के नए साधन

डिजिटल दुनिया में संप्रेषण के कई रूप हैं, जो कि दूर-दूर के लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों का लाभ उठाते हैं. टेक्नोलॉजी में उन्नति के साथ संप्रेषण का विकास जारी है और डिजिटल परिदृश्य में संप्रेषण के कुछ प्रमुख तरीके हैं:

ईमेल : डिजिटल संप्रेषण के शुरुआती रूपों में से एक, जिसका व्यापक रूप से व्यावसायिक और व्यक्तिगत पत्राचार दोनों के लिए उपयोग किया जाता है.

इंस्टेंट मैसेजिंग (आईएम) और वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) : व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्काइप, ज़ूम और मैसेंजर जैसे ऐप वास्तविक समय में, टेक्स्ट-आधारित संप्रेषण जिसे अक्सर मल्टीमीडिया शेयरिंग (फोटो, वीडियो, वॉयस नोट्स) के साथ वर्धित किया जाता है और वॉयस संप्रेषण जो पारंपरिक फोन नेटवर्क को वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से बदल देती है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर वास्तविक समय में वीडियो और ऑडियो संप्रेषण प्रदान करते हैं, जो कि दूरस्थ कार्य, शिक्षा और सामाजिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म : फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (अब X) और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को पोस्ट, टिप्पणियों (कमेंट), डायरेक्ट मैसेज और मल्टीमीडिया कंटेंट के माध्यम से संवाद करने में सक्षम बनाते हैं.

ब्लॉग और वेबसाइट : लोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक ब्लॉग के माध्यम से विचार, कहानियां और अपडेट साझा करते हैं, जिससे कि अधिक विस्तारित, गहन संप्रेषण सक्षम होता है.

सहयोगात्मक प्लेटफार्म : स्लैक, ट्रेलो और असाना जैसे उपकरण टीम संप्रेषण और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि अक्सर संदेश, कार्य प्रबंधन और . फाइल साझाकरण को एक साथ जोड़ते हैं.

फोरम और ऑनलाइन समुदाय: रेडिट, क्वोरा और विभिन्न विशिष्ट फोरम जैसी वेबसाइटें, विषय-आधारित चर्चाओं और प्रश्नोत्तर प्रारूपों को बढ़ावा देती हैं.

क्लाउड-आधारित दस्तावेज़ साझाकरण : गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसी सेवाएँ उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीट और प्रेसेंटेशन को वास्तविक समय में या अतुल्यकालिक रूप से साझा करने और सहयोग करने की अनुमति देती हैं.

पॉडकास्टिंग और वेबिनार: अक्सर एक-से-कई प्रारूप में ऑडियो-आधारित संप्रेषण उपयोगकर्ताओं को अपनी गति से जानकारी का उपभोग करने की अनुमति देता है, जबकि वेबिनार लाइव, इंटरैक्टिव सत्र प्रदान करते हैं.

संवर्धित और आभासी वास्तविकता: यह संप्रेषण के उभरते हुए रूप हैं, जहाँ लोग इमर्सिव, आभासी वातावरण में बातचीत कर सकते हैं, जिसका उपयोग अक्सर गेमिंग, मीटिंग या सामाजिक स्थानों (जैसे, मेटावर्स) के लिए किया जाता है.

चैटबॉट और एआई सहायक: स्वचालित सिस्टम जो ग्राहक सेवा या सामान्य पूछताछ में संवादात्मक इंटरफ़ेस के माध्यम से मदद करते हैं, जैसे कि वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पाए जाते हैं.

इनमें से प्रत्येक तरीके को दूसरों के साथ जोड़कर अलग-अलग ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप एक समृद्ध, बहुमुखी संप्रेषण वातावरण बनाया जा सकता है.

डिजिटल दुनिया में हम जिस तरह से संवाद करते हैं, उसका व्यक्तियों और समाज दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. कुछ प्रमुख क्षेत्र जहाँ यह परिवर्तन स्पष्ट है, जैसे कि:

गति और सुविधा

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए दुनिया भर में वास्तविक समय में संप्रेषण को सक्षम करते हैं. लोग कभी भी, कहीं भी मैसेजिंग, ईमेल या वीडियो कॉल के ज़रिए, जुड़ सकते हैं. पर वही डिवाइस के हमेशा कनेक्ट रहने से, संप्रेषण तो निरंतर हो गया है, जो सहयोग को बेहतर बना सकता है लेकिन काम और निजी जीवन के बीच की रेखाओं को भी धुंधला कर सकता है.

वैश्वीकरण और कनेक्टिविटी

डिजिटल संप्रेषण लोगों को विशाल दूरियों के होने के बावजूद जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे की व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक संबंधों में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलता है. सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदाय ऐसे प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं जहाँ संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सकता है, दृष्टिकोणों को व्यापक बनाया जा

सकता है और एक अधिक परस्पर जुड़ी दुनिया बनाई जा सकती है.

व्यवसाय और सहयोग में दक्षता

ज़ूम, स्लैक और गूगल डॉक्स जैसे टूल ने कार्यस्थलों को बदल दिया है, दूरस्थ कार्य और वर्चुअल टीमों को सक्षम किया है, जो कोविड -19 महामारी जैसी घटनाओं के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं. त्वरित संदेश और परियोजना प्रबंधन उपकरण वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करते हैं, प्रतिक्रिया समय को कम करते हैं और व्यावसायिक वातावरण में तेज़ी से निर्णय लेने की अनुमति देते हैं.

सूचना और ज्ञान तक पहुँच

ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म (जैसे यूनियन विद्या), वेबिनार और डिजिटल संसाधनों ने शिक्षा को और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे लोग कहीं से भी सीख सकते हैं. फ़ोरम, ब्लॉग, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया सूचना के तेज़ प्रसार को सक्षम करते हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर सीखने और खोज की सुविधा मिलती है और ज्ञान साझा किया जा सकता है.

मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

सूचना एवं अधिसूचना का निरंतर प्रवाह तनाव, चिंता और बर्नआउट का कारण बन सकता है, खासकर तब जब व्यक्तिगत सीमाओं को बनाए नहीं रखा जाता है. डिजिटल संप्रेषण कनेक्शन को बढ़ावा तो देता ही है, पर यह सामाजिक अलगाव का कारण भी बन सकता है, क्योंकि आमने-सामने की बातचीत कम हो जाने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

गोपनीयता और सुरक्षा

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते उपयोग से व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर चिंताएँ बढ़ जाती हैं और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ जिसमें कंपनियों और सरकारों द्वारा जैसे कि हैकिंग, निगरानी और सूचना के दुरुपयोग का जोखिम होता है. अब हर बातचीत के साथ लोग डिजिटल निशान छोड़ते हैं और यह डिजिटल पदचिह्न के रिकॉर्ड लंबे समय तक रहते हैं जिन्हें मिटाना मुश्किल हो सकता है और संभावित रूप से भविष्य के अवसरों को प्रभावित करते हैं.

भाषा और संप्रेषण शैलियों पर प्रभाव

डिजिटल संप्रेषण के उदय ने भाषा का प्रयोग करने के तरीके को बदल दिया है, जिसमें संक्षिप्तीकरण, इमोजी और इंटरनेट स्लैंग रोज़मर्रा की बातचीत में आम हो गए हैं. मैसेजिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से तेज़ गति से संप्रेषण करने से ध्यान अवधि कम हो सकती है, जिसमें उपयोगकर्ता अक्सर गहनता से जुड़ने के बजाय विषय-वस्तु को सरसरी तौर पर देखते हैं.

राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विचारों को तेज़ी से प्रसार करने की अनुमति देते हैं, जिससे #BlackLivesMatter या #MeToo जैसे सामाजिक आंदोलनों का ध्यान वैश्विक स्तर पर आकर्षित करने और वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने में मदद मिलती है. वहीं यह प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना भी फैलाते हैं और प्रतिध्वनि कक्ष बनाते हैं, जहाँ लोग केवल उन विचारों और राय के संपर्क में आते हैं जो उनकी अपनी मान्यताओं की पुष्टि करते हैं, जिससे कभी-कभी ध्रुवीकरण हो सकता है.

आर्थिक प्रभाव

ई-कॉमर्स, ऑनलाइन विज्ञापन और उबर या फाइवर जैसे गिग प्लेटफ़ॉर्म के उभरने से आर्थिक अवसरों का विस्तार तो हुआ है, लेकिन पारंपरिक उद्योग भी बाधित हुए है और श्रमिक अधिकारों पर भी सवाल उठाए गए है. डिजिटल संप्रेषण व्यवसायों के लिए वैश्विक बाज़ारों को ही नहीं खोलता, यह समावेशिता के अवसर भी पैदा करता है.

रचनात्मकता और अभिव्यक्ति

रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए नए रास्ते: यूट्यूब, टिक-टॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने कंटेंट क्रिएशन को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे कोई भी व्यक्ति निर्माता या प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है, और उन दर्शकों तक पहुँच सकता है जो पहले दुर्गम थे. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आत्म-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देते हैं, पर वह सरकारों या निगमों द्वारा सेंसरशिप के अधीन भी हैं.

डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ने के कारण आधुनिक दुनिया में संप्रेषण में नाटकीय परिवर्तन आया है. डिजिटल संप्रेषण का प्रभाव सशक्त और चुनौतीपूर्ण दोनों है. इसने हमारे बातचीत करने, काम करने, सीखने और दूसरों से जुड़ने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जो हमें बहुत सारे अवसर प्रदान करता है लेकिन इसकी जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए नए मानदंडों और सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है. जैसे-जैसे हम इस विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में आगे बढ़ते रहेंगे, जोखिमों के साथ लाभों को संतुलित करना भी महत्वपूर्ण होगा.

अंतत: जिस तरह से हम आज संवाद करते हैं वह डिजिटल युग का प्रतिबिंब है; परस्पर जुड़ा हुआ, तत्काल और लगातार विकसित हो रहा है, जो समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों को गहन तरीकों से आकार दे रहा है.

मनप्रीत सिंह
क्षे. का., जालंधर

भारतीय लोककथाएँ

भारतीय संस्कृति की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, और इस सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोक कथाएँ हैं. लोककथाएँ हमारे देश की परंपराओं, रीति-रिवाजों, मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं का प्रतिबिंब हैं. भारतीय लोककथाएँ हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न और समृद्ध हिस्सा हैं. ये कथाएँ हमारे पूर्वजों की सामूहिक स्मृति का संकलन हैं, जो प्राचीन समय से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित और स्थानांतरित होती आई हैं. लोक कथाएँ किसी भी समाज की संस्कृति, जीवन शैली, नैतिकता और विश्वासों का प्रतिबिंब होती हैं. भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में, लोक कथाओं का एक अद्वितीय और अनमोल खजाना मौजूद है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि नैतिक और शैक्षिक संदेश भी देती हैं. भारतीय लोक कथाओं के विविध पहलु, उनके महत्व, और उनके सांस्कृतिक योगदान निम्नलिखित है:

1. भारतीय लोक कथाओं की उत्पत्ति और विकास: भारतीय लोक कथाओं की उत्पत्ति और विकास अत्यंत प्राचीन है. यह कहना मुश्किल है कि ये कथाएँ कब और कैसे शुरू हुईं, लेकिन यह निश्चित है कि इनकी जड़ें मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में हैं. जब लिखित साहित्य का विकास नहीं हुआ था, तब लोग मौखिक रूप से कहानियों को सुनाते और आगे बढ़ाते थे. ये कहानियाँ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों और शिक्षाओं का मिश्रण थीं, जिन्हें सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता था.

भारत में आर्यों, द्रविड़ों, और अन्य भाषाई समूहों के आगमन के साथ-साथ यहाँ की लोक कथाओं में विविधता और समृद्धि आई. विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के समागम ने भारतीय लोक कथाओं को और भी अधिक रंगीन और बहुआयामी बना दिया. पुराण, उपनिषद, महाभारत, और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी लोक कथाओं के रूप में कई कहानियाँ मिलती हैं, जो समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्यों को स्थापित करने का काम करती हैं. इसके अलावा, बौद्ध जातक कथाएँ, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथों ने भी भारतीय लोककथाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

2. भारतीय लोक कथाओं का वर्गीकरण: भारतीय लोक कथाओं को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उनकी विषयवस्तु, उत्पत्ति और शैली के आधार पर होती हैं. इनमें प्रमुख हैं:

(क) क्षेत्रीय लोक कथाएँ

(ख) जातीय और आदिवासी लोक कथाएँ

(ग) वीरगाथाएँ

(घ) धार्मिक और पौराणिक कथाएँ

(ङ) प्रेम कथाएँ

(च) हास्य और व्यंग्य कथाएँ, इत्यादि

3. लोक कथाओं का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: भारतीय लोक कथाओं का समाज और संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है. ये कहानियाँ समाज के नैतिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित और प्रसारित करने का कार्य करती हैं.

(क) नैतिक शिक्षा: लोक कथाएँ समाज में नैतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम रही हैं. इन कथाओं में नैतिक संदेश छिपे होते हैं, जिन्हें सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है. ये कहानियाँ बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती हैं, जैसे ईमानदारी, धैर्य, मित्रता, और साहस.

(ख) सांस्कृतिक संरक्षण: भारतीय लोककथाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण संरक्षक हैं. ये कहानियाँ समाज के विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों, और परंपराओं का वर्णन करती हैं. समाज की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं. लोक कथाओं के माध्यम से, पारंपरिक ज्ञान, रीति-रिवाज, और सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जाता है.

(ग) मनोरंजन और समाजिक संपर्क: लोक कथाएँ मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत रही हैं. प्राचीन समय में, जब आधुनिक मनोरंजन के साधन नहीं थे, तब लोग कहानियों के माध्यम से अपना समय व्यतीत करते थे. कहानियाँ सामाजिक संपर्क और एकता को बढ़ावा देती थीं.

(घ) सामजिक समस्याओं का प्रतिबिंब: भारतीय लोक कथाएँ समाज की समस्याओं और चुनौतियों का भी प्रतिबिंब होती हैं. कथाएँ सामाजिक असमानता, जाति प्रथा, स्त्री-पुरुष संबंध, और अन्य सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं. लोक कथाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने और सामाजिक सुधार का प्रयास किया जाता है.

(ङ) लोक जीवन का चित्रण: भारतीय लोक कथाएँ लोक जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं. ये कहानियाँ समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी समस्याओं, संघर्षों, और आशाओं-आकांक्षाओं का वर्णन करती हैं. लोककथाओं के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को समझ सकते हैं, और उनकी समस्याओं और संघर्षों को महसूस कर सकते हैं.

4. भारतीय लोककथाओं का साहित्यिक महत्व: भारतीय लोककथाएँ

न केवल समाज की सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. ये कहानियाँ भारतीय साहित्य की मौखिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो साहित्यिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का संकलन प्रस्तुत करती हैं.

(क) मौखिक साहित्य: भारतीय लोक कथाएँ मौखिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अंतरित होती आई हैं, और इस प्रक्रिया में समय के साथ इनमें कई बदलाव और परिवर्धन भी हुए हैं. मौखिक साहित्य की यह परंपरा भारतीय साहित्य की समृद्धि को दर्शाती है, और इसे एक अनूठा और विशिष्ट रूप प्रदान करती है.

(ख) भाषा और शैली का विकास: भारतीय लोककथाओं ने विभिन्न भाषाओं और शैलियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये कहानियाँ सरल, प्रभावी, और प्रवाहपूर्ण भाषा में प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे जनसामान्य इन्हें आसानी से समझ और स्वीकार कर सके. लोककथाओं की भाषा और शैली ने भारतीय साहित्य को नया आयाम दिया है, और इसे समृद्ध और विविध बनाया है.

(ग) साहित्यिक रचनाओं पर प्रभाव: भारतीय लोककथाओं का प्रभाव साहित्यिक रचनाओं पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, और जातक कथाएँ जैसी रचनाओं का आधार लोक कथाएँ ही हैं, जो समय के साथ लिखित रूप में विकसित हुईं. ये रचनाएँ न केवल भारतीय साहित्य की धरोहर हैं, बल्कि विश्व साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है.

4. भारतीय लोककथाओं का वैश्विक प्रभाव: भारतीय लोक कथाओं का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है. भारतीय लोककथाएँ विभिन्न रूपों में अन्य देशों की लोककथाओं और साहित्य में प्रकट हुई हैं.

(क) पौराणिक कहानियों का प्रसार: भारतीय पौराणिक कथाएँ, विशेषकर रामायण और महाभारत, का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, और श्रीलंका में व्यापक रूप से देखा जा सकता है. इन देशों में रामायण और महाभारत की कहानियाँ नाट्य कला, मूर्तिकला, और अन्य सांस्कृतिक रूपों में प्रकट होती हैं.

(ख) आधुनिक साहित्य और सिनेमा पर प्रभाव: भारतीय लोक कथाओं ने आधुनिक साहित्य और सिनेमा पर भी गहरा प्रभाव डाला है. कई भारतीय उपन्यासकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक कथाओं के तत्वों का उपयोग किया है. इसके अलावा, भारतीय सिनेमा में भी लोक कथाओं पर आधारित कई फिल्में और धारावाहिक बनाए गए हैं, जो इन कहानियों को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाते हैं.

(ग) अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोक कथाएँ: भारतीय लोक कथाओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया गया है. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलनों, फिल्म महोत्सवों, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों में भारतीयलोक कथाओं का प्रदर्शन किया गया है. इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ है, बल्कि अन्य देशों की संस्कृतियों के साथ भी एक गहरा संवाद स्थापित हुआ है.

5. लोक कथाओं का संरक्षण और संवर्धन: भारतीय लोक कथाओं की समृद्ध परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करना अत्यंत आवश्यक है. आधुनिकता, शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव में, कई लोककथाएँ और परंपराएँ विलुप्ति की कगार पर हैं. युवा पीढ़ी के बीच इन कथाओं का प्रचलन कम हो रहा है, जिससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर के इस महत्वपूर्ण हिस्से के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. लोककथाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.

(क) शैक्षिक पाठ्यक्रम में समावेश: लोककथाओं का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लोक साहित्य को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है, जिससे छात्र-छात्राओं में इनकी महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों में सरल और रोचक लोक कथाओं को शामिल किया जा सकता है, जिससे उनकी रुचि बचपन से ही इन कहानियों में विकसित हो सके. यह न केवल लोककथाओं को जीवित रखने में मदद करेगा, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान की भावना भी उत्पन्न करेगा.

(ख) डिजिटल प्लेटफार्म्स का उपयोग: आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग लोककथाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए किया जा सकता है. विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध लोककथाओं को डिजिटल रूप में संग्रहीत और साझा किया जा सकता है. इसके अलावा, एनिमेशन, फिल्में, और वेब सीरीज के माध्यम से लोककथाओं को मनोरंजक और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे युवा वर्ग भी इनसे जुड़ सके.

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले: सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेले, और उत्सवों के माध्यम से लोक कथाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है. लोककथाओं पर आधारित नाटकों, कठपुतली शो, और संगीत प्रस्तुतियों का आयोजन करके इन्हें जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. ये कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करते हैं.

(घ) शोध और दस्तावेजीकरण: लोक कथाओं का दस्तावेजीकरण और उन पर शोध करना भी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में लोक साहित्य पर शोध किया जा सकता है. इसके अलावा, लोककथाओं को लिपिबद्ध करना, उनके अनुवाद करना, और उन्हें प्रिंट और डिजिटल रूप में संरक्षित करना आवश्यक है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोककथाओं की यह अमूल्य धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप में पहुंच सके.

(ङ) सामुदायिक सहभागिता: लोककथाओं का संरक्षण सामुदायिक सहभागिता के बिना अधूरा है. स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही इन कथाओं का सही मायने में संरक्षण किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कथाकारों, बुजुर्गों और कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी लोक कथाओं को बच्चों और युवा पीढ़ी के साथ साझा करें. यह प्रक्रिया न केवल इन कहानियों को जीवित रखेगी, बल्कि युवा पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ देगी.

(च) सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास: लोककथाओं के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है. वे विभिन्न परियोजनाओं, कार्यशालाओं, और प्रकाशनों के माध्यम से लोककथाओं को संरक्षित कर सकते हैं.

भारतीय लोककथाएँ हमारे सांस्कृतिक धरोहर की अनमोल संपत्ति हैं, जिन्हें संरक्षित और संवर्धित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है. ये कहानियाँ न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती हैं, बल्कि वे हमें नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं. लोककथाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और सामुदायिक स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धरोहर का आनंद उठा सकें और इसे आगे बढ़ा सकें. इस प्रकार, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं और इसे समृद्ध बना सकते हैं.

मयंक गुप्ता
एमएलपी, सूरत

पर्यावरण

मानव रे! तू जरा गौर कर
विकास की अंधी दौड़ में,
जनसंख्या के बढ़ते कहर में,

आकर्षण के अंधियारे में
पेड़ों को तूने रुखसत किया है,
आधुनिकता के चक्कर में,
वन्य जीवों को तू निगल गया है.

देश में अनेक कारखाने खुलवाए
पर नदियों में गंदा जल बहाए,
देख प्रकृति कैसे असंतुलित हो गई
सारे मौसम बदल गए है.

अपने स्वार्थ में पर्यावरण को
नष्ट तूने कर डाला.

मत तू अपने जीवन से खेल,
तेरे जीवन की डोर,
पर्यावरण ने ही बांधी है,
ये है तो तू रहेगा,
नहीं तो अंत तेरा ही होगा,
इन बातों पर जरा तू अमल कर.

पर्यावरण को बचाना तेरा ध्येय हो,
इसके लिए तेरे पास समय हो,

थोड़ा सा इससे दिल लगा,
इसकी शोभा और बढ़ा.

पेड़ न काटो तुम, न कर पाए ज्यादा तो
बस एक प्यारा सा पेड़ लगाओ तुम.

पेड़ लगाओ तुम.

सुमित कालेर
जीटीबी शाखा,
क्षे. का., जालंधर

साहित्य और समाज का परस्पर संबंध

"हितेन सह इति सष्टिमूह तस्याभाव: साहित्यम्."

उपरोक्त वाक्य संस्कृत का एक प्रसिद्ध सूत्र-वाक्य है जिसका अर्थ होता है "साहित्य का मूल तत्त्व सबका हितसाधन है". मानव अपने मन में उठने वाले भावों को जब लेखनीबद्ध कर भाषा के माध्यम से प्रकट करने लगता है तो वह रचनात्मकता ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य कहलाता है. जीवन और साहित्य की प्रेरणाएँ समान होती हैं. समाज और साहित्य में अन्योन्याश्रित संबंध होता है. साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में सहायक होती है जो खामियों को उजागर करने के साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है. समाज के यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण और समाज के प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति द्वारा साहित्य समाज के नवनिर्माण का कार्य करता है.

हम जिस समाज में रहते हैं; साहित्य का आविर्भाव भी उसी समाज से होता है. साहित्य वह सशक्त माध्यम है, जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है. यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है. लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है और जहाँ एक ओर यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, वहीं असत्य का दुखद अंत कर सीख व शिक्षा भी प्रदान करता है. अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है. यही कारण है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है. इससे समाज को दिशा-बोध होता है और साथ ही उसका नवनिर्माण भी होता है. साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ-साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों, विद्रूपताओं एवं विरोधाभासों को रेखांकित कर समाज को संदेश प्रेषित करता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है. साहित्य समाज की पीठिका पर टिका है और समाज वह संगठन या इकाई है जिसकी स्थापना और स्वरूप के विषय में कई मत, विचार और अर्थ हैं. सहज भाषा में कहें तो मनुष्य जिस गली-मुहल्लों में अपने परिवार-जनों, मित्रों एवं संबंधियों के साथ रहता है, वही उसका समाज कहलाता है .

वास्तव में समाज अपनी संपूर्ण परंपराओं, संस्थाओं एवं संगठनों को सहेजे हुए भी सामाजिक जीवन की एक परिवर्तनशील और प्रगतिशील व्यवस्था है. यह व्यवस्था ऐसी है जिसमें मनुष्य जन्म लेता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस व्यवस्था और आवश्यकताओं को संजो कर रखता है क्योंकि समाज में अनेकों प्रकार की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अस्तित्व होता है और साहित्य इन्हीं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को सहेजता है. अत: साहित्य समाज के बगैर अधूरा है तथा समाज साहित्य के बिना. इसीलिए विद्वान साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहते हैं. एक साहित्यकार का निर्माण उसके व्यक्तिगत परिवेश और सामाजिक परिवेश के द्वंद्व से होता है. कृति के द्वारा वह समाज में घटित आम जनमानस के सुख-दुख को उद्घाटित करता है. साहित्य का मूल उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि लोकमंगल का विधान करना होता है, इसलिए जिस साहित्य में 'बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय' की भावना और वास्तविकता होती है, वही कालजयी होता है.

साहित्य में मूलत: तीन विशेषताएँ होती हैं जो इसके महत्त्व को रेखांकित करती हैं. साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करने का कार्य करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है. हालाँकि जहाँ दर्पण मानवीय बाह्य विकृतियों और विशेषताओं का दर्शन कराता है वहीं साहित्य मानव की आंतरिक विकृतियों और खूबियों को चिह्नित करता है. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों के निवारण हेतु अपेक्षित परिवर्तनों को भी साहित्य में स्थान देता है.

साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखता है. इस संदर्भ में अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर, जायसी, रहीम, प्रेमचंद, भारतेन्दु, निराला, नागार्जुन तक की शृंखला के रचनाकारों ने समाज के नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है. व्यक्तिगत हानि उठाकर भी उन्होंने शासकीय मान्यताओं के खिलाफ जाकर समाज के निर्माण हेतु कदम उठाए. कभी-कभी लेखक समाज के शोषित वर्ग के इतना करीब होता है कि उसके कष्टों को वह स्वयं भी अनुभव करने लगता है. तुलसी, कबीर, रैदास आदि ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का समाजीकरण किया था जिसने आगे चलकर अविकसित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में समाज में स्थान पाया. मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा एक कथन जो इस परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता हैं वह इस प्रकार हैं ''जो दलित है, पीड़ित है, संत्रस्त है, उसकी साहित्य के माध्यम से हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है.'' प्रेमचंद का किसान-मज़दूर चित्रण उस पीड़ा व संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे आज भी अविकसित एवं शोषित वर्ग गुज़र रहा है. साहित्य में समाज की विविधता, जीवन-दृष्टि और लोककलाओं का संरक्षण

होता है. साहित्य समाज को स्वस्थ, कलात्मक, ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रदान करता है जिससे सामाजिक संस्कारों का परिष्कार होता है. रचनाएँ समाज की धार्मिक भावना, भक्ति, समाजसेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुसंधान करती हैं. यही दृष्टिकोण साहित्य को मनुष्य जीवन के लिये उपयोगी सिद्ध करते हैं. आज आवश्यकता है कि सभी वर्ग यह समझें कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है और उसके मूल तत्त्वों को संरक्षित करना जरूरी है क्योंकि "साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है".

साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है. साहित्य वास्तव में समाज, उसके अच्छे मूल्यों और उसकी बुराइयों को दर्शाता है. अपने सुधारात्मक कार्य में, साहित्य समाज की बुराइयों को दर्शाता है ताकि समाज को अपनी गलतियों का एहसास हो और वे सुधार करें. यह समाज में मौजूद सद्गुणों या अच्छे मूल्यों को भी लोगों के सामने रखता है ताकि वे उनका अनुकरण कर सकें. साहित्य, मानवीय क्रियाकलापों की नकल के रूप में, अक्सर समाज में लोगों के सोचने, कहने और करने की एक तस्वीर पेश करता है. साहित्य में, हम कुछ पात्रों के माध्यम से मानव जीवन और क्रिया को चित्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई कहानियाँ पाते हैं, जो अपने शब्दों, क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के उद्देश्य से कुछ संदेश देते हैं. इस प्रकार, साहित्य न केवल समाज का प्रतिबिंब है, बल्कि एक सुधारात्मक दर्पण के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें समाज के सदस्य खुद को देख सकते हैं और सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता को पहचान सकते हैं. साहित्य वास्तव में समाज को कैसे दर्शाता है, यह समझने के लिए साहित्य की कुछ कृतियों पर बारीकी से नज़र डालना आवश्यक है.

हमारे इतिहास में तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, कबीर की कुछ ऐसी ही महान् कृतियां हैं जो दायरे में सीमित नहीं रहती, वे समय और ऐतिहासिक, भौगोलिक सीमाओं को लांघकर संपूर्ण विश्व की शक्ति बन जाती हैं. तुलसीदास हिन्दी साहित्य के जगमगाते नक्षत्र हैं, उन्होंने अपने युग की वास्तविक परिस्थितियों का संपूर्णता से अध्ययन, मनन, और चिन्तन किया था. रामचरितमानस के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए है. तुलसी ने एक आदर्श समाज एवं आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है. पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए सम्पूर्ण विश्व के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है. शासक के कर्तव्यों का विवेचन करते हुए भी उन्होंने लोककल्याण की भावना को ही प्रधानता दी है.

कबीर ने गूढ दार्शनिक विवेचना में फँसने का यत्न नहीं किया. उन्होंने देखा कि मूलरूप में सब धर्म मनुष्यता, दया, परोपकार, दानशीलता, ईश्वर भक्ति, मानवीय प्रेम एवं सहयोग, शांति में विश्वास करते है, लेकिन धर्म के बाहाचरण एवं पूजा-आराधना के प्रकारों को लेकर ही सारा विवाद एवं वैमनस्य है, अतः उन्होंने हिन्दुओं एवं मुसलमानों के उन सभी बाहरी दिखावे की निन्दा की जो मनुष्यता के विरुद्ध जान पड़ते हैं.

जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो जीवन जीने की कला सिखाती है. कामायनी का प्रेरक तत्व जीवन के अर्थ की खोज है जो इस महाकाव्य का प्रतिपाध विषय है शाश्वत सत्य, सत्-असत् वस्तुओं के संघर्ष में सौन्दर्य की झलक, लोकहित और लोकानुरंजन के समन्वित रूप की प्रस्तुति और सौन्दर्योन्मुखी वृति सम्पूर्ण विश्व के लिए यह आज भी प्रासंगिक और उपादेय है.

राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही है. आजादी के समय से लेकर आज तक समाज व राष्ट्र के नव निर्माण में नारी ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय योगदान दिया है. सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपने समय को अभिव्यक्ति दी है, स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में मुक्ति के स्तर उभरे हैं, वह नारी जिसे पुरुषों ने या तो सती सावित्री का रूप दे रखा था या उसके स्वप्नलोक की भावनाहीन सुंदरी उस नारी ने अपनी पारंपरिक छवि को तोडा. नारी ने ही नारी की पीड़ा को शब्द दिए उसके जीवन की व्यथा कथा को समझा और शब्दों में अभिव्यक्त किया. दाम्पत्य जीवन के बदलते संबंध, पारिवारिक मूल्यों व मान्यताओं में बदलाव, परिवेश के प्रति सजगता, अन्याय का प्रतिरोध नीति अनिति, घर और बाहर के दोहरे बोझ से संघर्ष इन सब तत्वों ने साहित्य के नए यथार्थ को देखा. आज उपर्युक्त स्थितियों में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पारंपरिक मूल्यों के साथ साहित्य में भारतीय संस्कृति नैतिकता, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा के साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी पूर्ण रूप से देखा जा सकता है यही वर्तमान साहित्य में नव निर्माण की भूमिका है.

साहित्य और समाज का गहरा सम्बन्ध है. वे एक दूसरे पर निर्भर हैं. साहित्य का समाज के बिना कोई महत्व नहीं है और समाज का साहित्य के बिना. साहित्यकार समाज के बाह्य और आन्तरिक दोनों घटकों को उद्घाटित करता है. इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है. इसी कारण साहित्यकार समाज में घटित आम जनता के सुख-दुःख को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते है. मूलतः साहित्य का उद्देश्य लोक

कल्याण से सम्बन्धित विचारों को प्रकट करना है. जिस साहित्य में 'बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय' की वास्तविकता होती है वही साहित्य समाज के साथ अपना सम्बन्ध मजबूत कर पाता है और समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है- 'साहित्य का उद्देश्य ही समाज का कल्याण होना चाहिए. अर्थात साहित्य में समाज का मंगलभाव और समाज को परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए. वह समाज की भावनाओं के साथ चलता और साहित्य समाज में घटित विकृत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है. साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज का चित्रण करता है. यदि हमारा साहित्य उन्नत है, समृद्विशील है तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा. राष्ट्र के जीवित रहने में साहित्य की अहम भूमिका है. मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है.

साहित्य और समाज का गहरा सम्बन्ध है. आत्मा और शरीर का जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध साहित्य और समाज का होता है. समाज की भावनाएँ, अपेक्षाएँ ही साहित्यिक विचार धारा के रूप में समाज में साहित्यकारों को जन्म देती है. साहित्यकार समाज से ही अपने साहित्य की विषय वस्तु ग्रहण करता है. समाज की प्रत्येक स्थिति से साहित्यकार व साहित्य प्रभावित होता है. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारा साहित्य वैदिककाल से लेकर अद्यावधि तक परिवर्तित होता आया है जिस-जिस काल में लोगों की भावनाएं जिस प्रकार की रहीं उसी प्रकार का साहित्य जन्म लेता चला गया. एक काल के साहित्य में समाज की जो बाते गुण थी वही बातें आगे के काल में जाकर अवगुण बन गई थी. साहित्य वास्तव में समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक व भाषाई विकार और प्रगतिशीलता को प्रदर्शित करता है. किसी समाज की किस क्षेत्र में कितनी उन्नति अथवा अवनति हुई है इस बात की जानकारी हमें उस देश के साहित्य का अध्ययन करके प्राप्त होती है. आज के वर्तमान भौतिकवादी युग में संस्कृति का जो गहरा संकट और विश्व में भौतिक वैज्ञानिक चिंतन, धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं. साहित्य उन्हें पहचानता है और निष्पक्ष रूप से उसकी परख कर उसकी विसंगतियों को भी, प्रकट करता है. अत: साहित्य और समाज का अभिन्न संबंध है. जिस प्रकार मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होकर अपनी आकृति नाक-नक्श को देख लेता है ठीक उसी प्रकार किसी समाज के साहित्यरूपी आईने में उसके समाज के रूप का अर्थात उसकी सभ्यता व संस्कृति का पता लगाया जा सकता है. साहित्यकार साहित्य के माध्यम से अपने अन्तर्जगत में विद्यमान भावों का प्रकटीकरण करता है. साहित्यकार समाज में जीता है अत: उससे अलग वह नहीं रह सकता. जाने-अनजाने में समाज उसे प्रभावित करता है.

उपरोक्त अध्ययन, मनन, विवेचन, विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते है कि साहित्यकार समाज का अभिन्न अंग होता है और वह साहित्य की रचना भी समाज के माध्यम से ही करता है और इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं. साहित्य समाज का मंगल विधान एवं मानव के कल्याण की कामना भी करता है. इसलिए यह पूर्णत: सिद्ध होता है कि साहित्य व समाज एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित रहते हैं.

शशि भूषण कुमार
क्षे.का., पटना

केंद्रीय कार्यालय की 179वीं राभाकास बैठक में सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा समिति के अन्य कार्यपालकों द्वारा "साइबर मायाजाल-.apk फाइलों के खतरों से सावधान" कार्टून पुस्तिका एवं "यूनियन भाषा सौहार्द इन्द्रधनुष" के तहत स्टाफ सदस्यों के लिए तमिल भाषा में संवाद प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन किया गया.

मराठी के प्रमुख साहित्यकार

मराठी भाषा का निर्माण प्रमुखतया, महाराष्ट्री प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होने के कारण संस्कृत की अतुलनीय भाषा संपत्ति का उत्तराधिकार भी इसे मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है. प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को आत्मसात् कर मराठी ने 12 वीं शती से अपना अलग अस्तित्व स्थापित करना शुरू किया. इसकी लिपि देवनागरी है.

ऐतिहासिक अनुसंधान करने वाले अनेक विद्वानों ने यह मान लिया है कि मुकुंदराज मराठी साहित्य के आदि कवि हैं. इनका समय 1128 से 1200 तक माना जाता है. मुकुंदराज के दो आध्यात्मिक ग्रंथ 'विवेकसिंधु' और 'परमामृत' हैं.

संत ज्ञानेश्वर तथा संत नामदेव: मराठी भाषा के अद्वितीय साहित्य भंडार का निर्माण करने वाले संत ज्ञानेश्वर को ही मराठी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है. 15 वर्ष की अवस्था में लिखी गई उनकी रचना "ज्ञानेश्वरी" अत्यंत प्रसिद्ध है. उनके ग्रंथ अमृतानुभव तथा चांगदेव पासष्टी, वेदांत चर्चा से ओतप्रोत हैं. संत ज्ञानेश्वर की श्रेष्ठता उनके अलौकिक ग्रंथ निर्माण के समान ही उनकी भक्तिपंथ की प्रेरणा में भी विद्यमान है. इस कार्य में उन्हें अपने समकालीन संत नामदेव की अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है. इनके भक्तिप्रधान साहित्य को अभंग कहते हैं. चोखा मेला, गोरा कुम्हार, नरहरि सोनार इत्यादि संत इसी परंपरा के हैं.

संत एकनाथ: संत एकनाथ के ग्रंथ विशद तथा साहित्यिक गुणों से संपन्न है. इनमें वेदांत ग्रंथ, आख्यान, कविता, स्फुट प्रकरण, लोकगीत, रामायण कथा इत्यादि नाना प्रकार के साहित्य का समावेश है. एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, रुक्मिणी स्वयंवर, भारुड आदि ग्रंथ मराठी में सर्वमान्य हैं.

संत तुकाराम तथा संत रामदास: संत तुकाराम के अभंग प्रसिद्ध हैं. संत रामदास के दासबोध, मनाचे श्लोक, करुणाष्टक आदि ग्रंथ परमार्थ के विचार से परिपूर्ण हैं.

पेशवाओं के समय का साहित्य : इनके समय में 'शाहिरी' (राजाश्रित) कवियों ने मराठी काव्य को अलग ही रूप रंग प्रदान किया. रामजोशी, प्रभाकर होनाजी बाला इत्यादि कवियों ने संत कवियों के अनुसार परमार्थ पर काव्य रचना न करते हुए समकालीन इतिहास सामग्री ग्रहण कर वीररसपूर्ण काव्य का निर्माण किया. इन कवियों द्वारा रचित 'पोवाडा' (पँवाडा, कीर्तिकाव्य) साहित्य महाराष्ट्र के इतिहास का ओजस्वी अंग है. इन्हीं राजकवियों के लावणी साहित्य में स्त्री पुरुषों के शृंगार का भव्य वर्णन है. यद्यपि इनमें से कितनों ने ही वैराग्य पर भी 'लावणी' साहित्य का निर्माण किया है, फिर भी इनका वैशिष्ट्य पोवाड़े तथा शृंगारिक लावणियों में ही व्यक्त हुआ है.

बखर साहित्य: प्राचीन मराठी साहित्य प्रधानत: पद्यमय होने के कारण उसमें गद्य का भाग बहुत छोटा होना स्वाभाविक है. इसमें बखर साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतया साधार न होने पर भी उपेक्षणीय नहीं हैं. कृष्णाजी शामराव की लिखी भाऊ साहेब की बखर, कृष्णाजी अनंत सभासद लिखित शिव छत्रपति की बखर, सोवनी द्वारा लिखी पेशवाओं की बखर इत्यादि बखरें प्राचीन मराठी गद्य के उत्कृष्ट नमूने हैं.

नए युग का आरंभ: मुद्रणकला का प्रचार होने से साहित्य पढ़ने वाले वर्ग की सर्वत्र वृद्धि होने लगी, अत: उनकी संतुष्टि के लिए साहित्यकार भी नवीन साहित्य क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे. 1857 में बाबा पदमजी ने 'यमुनापर्यटन' नामक प्रथम उपन्यास लिखकर इस नवीन साहित्य प्रकार का शुभारंभ किया.

आधुनिक काल:

1855 में तृतीय रत्न नाटक महात्मा फूले ने लिखा था. श्री अण्णा साहेब किर्लोस्कर ने 1880 में शाकुंतल नाटक लिखकर आधुनिक मराठी रंगभूमि की नींव डाली. 1885 से केशवसुत नामक कवि ने काव्यक्षेत्र में नए युग की स्थापना की. इनके बाद तिलक, गोविंदाग्रज, बालकवि चंद्रशेखर, तांबे इत्यादि कवियों ने मराठी कविताओं का सौंदर्य अधिक बढ़ाया. सावरकर तथा गोविंद ने राष्ट्रीय भावनाओं का उद्दीपन करने वाली कविताएँ लिखीं. इतिहासाचार्य राजवाडे ने मराठी इतिहास के संशोधन की परंपरा का निर्माण किया. खरेशास्त्री, साने, पारनीस आदि

इतिहासज्ञों ने इतिहास लेखन के साधनों की महत्वपूर्ण खोज करने का प्रयत्न किया. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओजस्वी विचारधारा के आधार पर खाडिलकर ने उत्कृष्ट पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों का निर्माण किया. इसी समय रामगणेश गडकरी ने अपनी लोकोत्तर प्रतिभा से करुण एवं हास्य रस का उत्तम चित्रण किया. श्रीकृष्ण कोल्हाटकर ने अपने हास्यपूर्ण लेखों द्वारा सामाजिक आचार विचार में दिखाई पड़ने वाली त्रुटियों को सर्वमान्य जनता के सामने ला रखा. महात्मा फूले, लोकमान्य तिलक, आगरकर, परांजपे, नरसिंह, चिंतामणि केलकर आदि प्रसिद्ध लेखक इसी समय देश में वैचारिक जागृति का महान कार्य कर रहे थे. रविकिरण मंडल के कवियों ने, विशेषत: माध्व ज्यूलियन और यशवंत ने वैयक्तिक दु:खों का वर्णन करने वाले काव्यों की रचना की. इसके बाद के कालखंड में अनिल, बोरकर, कुसुमाग्रज, आदि कवि सामने आए.

श्री ना सी फड़के की प्रमुख कृतियां हैं. बासरी, बहार, राहिले ते गंगाजळ, जखम, स्वप्नांचे सेतू, अमृताने पैजासि जिंके, चांदणी, तू कशी! ती कशी!, आपलेच दांत! आपलेच ओठ!, भोवरा, ही कल्पद्रुमाचीं फळें, त्रिवेणी, काळे ढग! रुपेरी कडा, धोका, ऋतुसंहार, कुहू!कुहू!, कठपुतळी, निर्माल्य, एक होता युवराज, मन शुद्ध तुझं, तरंग, चाहूल, उजाडलं!पण सूर्य कुठें आहे?, कुणि कोडं माझं उकलिल कां?, पाप असो! पुण्य असो!, पुरुषजन्मा ही तुझी कहाणी!, किती जवळ किती दूर.

श्री प्रल्हाद केशव अत्रे (आचार्य अत्रे) की रचनाओं में अशी बायको हवी, उद्याचा संसार, एकच प्याला-विडंबन, कवडीचुंबक, गुरुदक्षिणा, घराबाहेर, जग काय म्हणेल?, डॉक्टर लागू, तो मी नव्हेच, पराचा कावळा, पाणिग्रहण, प्रल्हाद, प्रीतिसंगम, बुवा तेथे बाया, ब्रम्हचारी, भ्रमाचा भोपळा, मी उभा आहे, मी मंत्री झालो, मोरूची मावशी, लग्नाची बेडी, वंदे भारतम, वीरवचन, शिवसमर्थ, सम्राट सिंह, साष्टांग नमस्कार, काव्य, गीतगंगा, झेंडूची फुले, कथासंग्रह, अशा गोष्टी अशा गंमती, कशी आहे गम्मत, कावळ्यांची शाळा, फुले आणि मुले, बत्ताशी आणि इतर कथा, आत्मचरित्र, कहेचे पाणी शामिल हैं.

तर्कतीर्थ श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी की चयनित कृतियाँ शुद्धिसर्वस्वम, आनंद मीमांसा, हिन्दू धर्माची समीक्षा, जडवाद, वैदिक संस्कृतीचा इतिहास, साहित्यची समीक्षा हैं. 1955 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार "वैदिक संस्कृतीचा विकास" नामक उनके सांस्कृतिक इतिहास पर आधारीत कृति के लिए दिया गया.

श्री बा. सी. मर्ढेकर - इनके द्वारा सौन्दर्यशास्त्र के अध्ययन पर रचित एक किताब 'सौन्दर्य आणि साहित्य' के लिए उन्हें सन् 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के मराठी-भाषा श्रेणी में मरणोपरांत सम्मानित किया गया. मर्ढेकर की कविताओं पर लिखी आलोचना मर्ढेकरांची कविता : स्वरूप आणि संदर्भ के लिए विजया राजाध्यक्ष को 1993 में मराठी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है.

श्री विष्णु सखाराम खांडेकर - 'विष्णु सखाराम खांडेकर' मराठी साहित्यकार हैं. इन्हें 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इनके द्वारा रचित उपन्यास "ययाति" के लिए उन्हें सन् 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार (मराठी) से सम्मानित किया गया. खांडेकर ने ययाति सहित 16 उपन्यास लिखे. इनमें हृदयाची हाक, कांचनमृग, उल्का, पहिले प्रेम, अमृतवेल, अश्रु, सोनेरी स्वप्ने भंगलेली शामिल हैं.

श्री रणजित देसाई - श्री देसाई को माधवराव पेशवा के जीवन पर केंद्रित उनके आरंभिक उपन्यास 'स्वामी' से ही साहित्य जगत में काफी प्रसिद्धि मिल गयी थी. 'स्वामी' के बाद छत्रपति शिवाजी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गये लगभग 1000 पृष्ठों के विशालकाय ऐतिहासिक उपन्यास श्रीमान योगी ने उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में परम प्रतिष्ठा प्रदान की. उनके कई उपन्यास जैसे बारी, माझा गांव, स्वामी (हिंदी अनुवाद- भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली), श्रीमान योगी (हिंदी अनुवाद- राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली), राधेय, लक्ष्यवेध, समिधा, पावन खिंड,राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है.

श्री पु. ल. देशपांडे - पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाण्डे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार एवं गायक थे. उन्हें "महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तित्त्व" (महाराष्ट्र का लाड़ला व्यक्तित्व) कहा जाता है. महाराष्ट्र में उन्हें प्रेम से पु. ल. कहा जाता है. उनकी रचनाएं : अघळ पघळ,

अपूर्वाई, असा मी असामी, आपुलकी, उरलं सुरलं, एक शून्य मी, एका कोळीयाने, कान्होजी आंग्रे, कोट्याधीश पु. लं., खिल्ली, खोगीरभरती, गणगोत, गाठोडं, गुण गाईन आवडी, गोळाबेरीज, चार शब्द, जावे त्याच्या देशा, दाद, द्विदल, नस्ती उठाठेव, निवडक पु.लं., पुरचुंडी, पु.लं. ची भाषणे, पु.लं.चे काही किस्से, पूर्वरंग, बटाट्याची चाळ, भाग्यवान, भावगंध, मराठी वाङ्मयाचा (गाळीव) इतिहास, मैत्र, वंगचित्रे, व्यक्ती आणि वल्ली, हसवणूक, अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा, वंगचित्रे, आपुलकी, गणगोत, गुण गाईन आवडी, मैत्र, व्यक्ती आणि वल्ली, बटाट्याची चाळ, आम्ही लटिके ना बोलू, मोठे मासे आणि छोटे मासे, विठ्ठल तो आला आला, एक झुंज म्यायाशी, तीन पैशाचा तमाशा, ती फुलराणी, तुका म्हणे आता, तुझे आहे तुजपाशी, नवे गोकुळ, पहिला राजा/आधे अधुरे, पुढारी पाहिजे, भाग्यवान, वटवट वटवट, सुंदर मी होणार, पुढारी पाहिजे, म्यावरची वरात शामिल हैं.

श्री विष्णु वामन शिरवाडकर (कवि कुसुमाग्रज) - इनके प्रकाशित साहित्य में जीवनलहरी, विशाखा, किनारा, मराठी माती, स्वागत, हिमरेशा, वादलवेल और नटसम्राट शामिल हैं.

श्री गो. नि. दांडेकर - इनके साहित्य में आम्ही भगीरथाचे, पुत्र, कृष्णवेध, जैत रे जैत, पद्मा, पवनाकाठचा धोंडी, पूर्णामायची लेकरं, मोगरा फुलला, मृण्मयी, शितू, रानभुली, स्मरणगाथा शामिल है. इनके द्वारा रचित एक आत्मकथात्मक उपन्यास स्मरणगाथा के लिए उन्हें सन् 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

श्री मंगेश पाडगांवकर - इनके द्वारा रचित एक कविता - संग्रह "सलाम" के लिए उन्हें सन् 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. धारानृत्य, जिप्सी, छोरी, शर्मिष्ठा, उत्सव, वात्रटिका, भोलानाथ, सलाम, गझल, भटके पक्षी, तुझे गीत गाण्यासाठी, बोलगाणी, चांदोमामा, सुट्टी एक्के सुट्टी, कोकरू, उदासबोध, त्रिवेणी, बीर (कबीराच्या दोह्यांचा अनुवाद), मोरू, सूरदास, कविता माणसाच्या माणसासाठी, राधा, आनंदऋतू, सूर आनंदघन, मुखवटे, काव्यदर्शन, तृणपर्णे, गिरकी, वादळ, ज्युलिअस सीझर

श्री लक्ष्मण माने - इनके द्वारा रचित एक जीवनी "उपरा" के लिए उन्हें सन् 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उपरा को मराठी दलित साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है.

श्री व्यंकटेश माडगुळकर -

इनके साहित्य में- अशी माणसं अशी साहसं, उंबरठा, ओझं, करुणाष्टक, काळी आई, कुनाचा कुनाला मेळ नाही, कोवळे दिवस, गावाकडच्या गोष्टी, गोष्टी घराकडील, चरित्ररंग, चित्रकथी, चित्रे आणि चरित्रे, जंगलातील दिवस, जनावनातली रेखाटणें, जांभळाचे दिवस, डोहातील सावल्या, तू वेडा कुंभार, नागझिरा, पति गेले गं काठेवाडी, परवचा, पांढरी मेंढरे, हिरवी कुरणे, पांढ्यावर काळे, पारितोषिक, पुढचं पाऊल, प्रवास एक लेखकाचा, माणदेशी माणसे, मी आणि माझा बाप, बनगरवाडी, बाजार, बिकट वाट वहिवाट, बिनबियांचे झाड, रानमेवा, वाघाच्या मागावर, वाटा, वारी, वावटळ, वाळूचा किल्ला, सती, सत्तांतर, सरवा, सीताराम एकनाथ, सुमीता, हस्ताचा पाऊस शामिल है.

कवयित्रि इंदिरा संत - इनके साहित्य में गर्भरेशीम, निराकार, बाहुल्या, मरवा, मृगजळमेंदी, रंगबावरी, वंशकुसूम, शेला, कदली, चैतू, श्यामली शामिल है.

श्री लक्ष्मण गायकवाड - इनके द्वारा रचित आत्मकथा "उचल्या" के लिए उन्हें सन् 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार (मराठी) से सम्मानित किया गया.

श्री आनंद यादव - इनके द्वारा रचित एक उपन्यास झोंबी के लिए उन्हें सन् 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इन्होंने आत्मकथात्मक झोंबी के तीन सीक्वल लिखे, नांगरनी, घरभिंती और काचवेल लिखे.

श्री भालचंद्र नेमाडे - इनके साहित्य में मेलडी, देखणी, कोसला, बिढार, हूल, जरीला, झूल, टीका स्वयंवर, तुकाराम शामिल है. सन 1991 में उनकी टीकास्वयंवर की इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

श्री विश्वास पाटिल - इनके साहित्य में पानीपत, पांगिरा, झाडाझडती, महानायक, रणांगन, चंद्रमुखी, सम्भाजी शामिल है. इनके द्वारा रचित उपन्यास झाडाझडती के लिए उन्हें सन् 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार (मराठी) से सम्मानित किया गया.

विकास विश्वनाथ महांगरे
जेड. एल. सी. - भोपाल

दिनांक 16.07.2024 को श्री धर्मबीर, उप निदेशक (राजभाषा) वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंगलूरु के निरीक्षण के दौरान श्रीमती रेणु के. नायर, अं. प्र., द्वारा सौभाग्य पौधा प्रदान कर कार्यालय में स्वागत किया गया.

दिनांक 14.08.2024 को श्री अजय कुमार चौधरी, सहायक निदेशक (का.), क्षे. का. का., (उत्तर-1) द्वारा क्षे. का., आगरा की कासगंज शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 13.08.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास उप निदेशक(का), क्षे. का. का., (दक्षिण) द्वारा क्षे. का., करीमनगर का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 23.08.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का., (दक्षिण) द्वारा क्षे. का., कोट्टायम का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 05.09.2024 को श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक (का), क्षे. का. का., (मध्य) द्वारा क्षे. का., रायपुर की भिलाई सुपेला शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 16.07.2024 को श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राभा), कें. का., द्वारा क्षे. का., मंगलूरु का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 24.07.2024 को श्री निर्मल दूबे, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (पूर्व) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर की फोर्ड कंपनी चौक, पूर्णिया शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

दिनांक 23.09.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का.,(दक्षिण) द्वारा क्षे. का., तिरुचिरापल्ली की तिरुवारूर शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया.

ऊर्जा एवं चेतना के कवि– पं. सोहन लाल द्विवेदी

पं. सोहन लाल द्विवेदी हिंदी साहित्य का वह ध्रुवतारा हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों में ओज का प्रवाह किया, नागरिकों को जागृत किया तथा स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऊर्जा एवं चेतना के कवि सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी सन् 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिन्दकी ग्राम सिजौली में हुआ था. इनके पिता स्व. पं. बिंदा प्रसाद द्विवेदी बहुत ही कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे.

पं. द्विवेदी अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे. सन् 1930 में काशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गांधी जी पधारे तो युवा कवि सोहन लाल द्विवेदी ने खादी गीत से उनका अभिनंदन किया उनके गीत की इन पंक्तियों से उपस्थित जनसमूह रोमांचित हो उठा-

खादी के धागे-धागे में अपनेपन का अभिमान भरा.
माता का इनमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा.
खादी के रेशे-रेशे में, अपने भाई का प्यार भरा.
माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा.
खादी में कितने दलितों के दग्ध की दाह छिपी.
कितनों की कसक कराह छिपी, कितनों की आहत आह छिपी.

यह खादी गीत जनता में इतना लोकप्रिय हुआ कि कुछ ही दिनों के देश भर में इसकी धूम मच गई. द्विवेदी जी गांधीजी को अपनी प्रेरक-विभूति मानते थे. सन् 1944 में गांधी जी को हीरक जयंती के अवसर पर उनके अभिनंदन हेतु जो गौरव ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, उसके सम्पादन का श्रेय भी सोहन लाल द्विवेदी जी को ही प्राप्त है. यह उनकी एक चरम उपलब्धि थी. द्विवेदी जी ने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार 'युगावतार गांधी' जी की समग्र भावना से वंदना की है.

वे हिंदी काव्य जगत के अमूल्य निधि हैं. गांधी जी के दर्शन से प्रभावित, द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएँ भी लिखीं. 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था. राष्ट्रीयता से संबन्धित कविताएँ लिखने वालों में इनका स्थान मूर्धन्य है. गांधी जी पर इन्होंने कई भाव पूर्ण रचनाएँ लिखी हैं, जो हिन्दी जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हुई हैं. इन्होंने गांधीवाद के भावतत्व को वाणी देने का सार्थक प्रयास किया है तथा अहिंसात्मक क्रान्ति के विद्रोह व सुधारवाद को अत्यन्त सरल सबल और सफल ढंग से काव्य बनाकर 'जन साहित्य' बनाने के लिए उसे मर्मस्पर्शी और मनोरम बना दिया है. पं. सोहन लाल द्विवेदी की रचनाओं की प्रखरता तथा राष्ट्रवादी विचारोन्मुख विषयों पर लेखन इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया.

द्विवेदी जी पर लिखे गए एक लेख में अच्युतानंद मिश्र ने लिखा है-

"मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय नवजागरण के उत्प्रेरक ऐसे कवियों के नाम हैं, जिन्होंने अपने संकल्प और चिन्तन, त्याग और बलिदान के सहारे राष्ट्रीयता की अलख जगाकर, अपने पूरे युग को आन्दोलित किया था, गांधी जी के पीछे देश की तरुणाई को खड़ा कर दिया था. सोहनलालजी उस शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी थे.

डॉ. हरिवंशराय 'बच्चन' ने एक बार लिखा था-

जहाँ तक मेरी स्मृति है, जिस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया, वे सोहन लाल द्विवेदी थे. गांधीजी पर केन्द्रित उनका गीत 'युगावतार' या उनकी चर्चित कृति 'भैरवी' की पंक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे अधिक प्रेरणा गीत रहा था.

'वन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो'

अच्युतानंद जी ने डांडी यात्रा का उल्लेख करते हुए लिखा है-

"गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 76 सत्याग्रही कार्यकर्त्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर दांडी मार्च किया था. भारत में पदयात्रा, जनसंपर्क और जनजागरण की ऋषि परम्परा मानी जाती है. उस यात्रा पर अंग्रेजी सत्ता को ललकारते हुए सोहनलाल जी ने कहा था."

"या तो भारत होगा स्वतंत्र,
कुछ दिवस रात के प्रहरों पर
या शव बनकर लहरेगा शरीर,
मेरा समुद्र की लहरों पर,

हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोहनलाल जी के सहपाठी थे, उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी जी पर एक लेख लिखा था-

"विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज में उनकी कविताओं का बड़ा गहरा प्रभाव पडता था. उन्हें गुरुकुल महामना मदनमोहन मालवीय का आशीर्वाद प्राप्त था. अपने साथ स्वतंत्रता संग्राम में जूझने के लिए नवयुवकों की टोली बनाने में वे सदा सफल रहे. भाई सोहन लाल जी ने ठोंकपीट कर मुझे भी कवि बनाने की कोशिश की थी, छात्र कवियों की संस्था 'सुकवि समाज' के वे मंत्री थे और मैं संयुक्त मंत्री, बहुत जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि यह क्षेत्र मेरा नहीं है, फिर भी उनके प्रेरणादायक पत्र मिलते रहते थे. यह बात शायद वे भी नहीं जानते थे कि हिन्दी साहित्य की भूमिका 'मैने उन्हीं के उत्साहप्रद पत्रों के कारण लिखी थी."

सन् 1941 में देश प्रेम से लबरेज भैरवी, उनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी. उनकी महत्वपूर्ण शैली में पूजागीत, युगाधार, विषपान, वासन्ती, चित्रा जैसी अनेक काव्यकृतियाँ सामने आई थी. उनकी बहुमुखी प्रतिभा तो उसी समय सामने आई थी जब 1937 में लखनऊ से उन्होंने दैनिक पत्र 'अधिकार' का सम्पादन शूरू किया था. चार वर्ष बाद उन्होंने अवैतनिक सम्पादक के रूप में "बालसखा का सम्पादन भी किया था. देश में बाल साहित्य के वे महान आचार्य थे.

उनकी 'भैरवी' काव्य-संग्रह की प्रथम कविता बहुत लोकप्रिय हुई-

वन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो.
वंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो?
अर्चना के रत्नकण में एक कण मेरा मिला लो.
जब हृदय का तार बोले, शृंखला के बंद खोले?
हों जहाँ बलि शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो.

महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्राता संग्राम के अहिंसात्मक आन्दोलन का सफल और कुशल नेतृत्व किया था. अत: उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित करना स्वाधीनता संघर्ष का वन्दन एवं अभिनन्दन माना गया. अपनी अनेक कविताओं के माध्यम से पं. सोहन लाल द्विवेदी ने गांधीजी के प्रति अपने श्रद्धापूर्ण उद्गार अभिव्यक्त किये हैं. 'भैरवी' में संग्रहित 'युगावतार गांधी' की निम्नलिखित पंक्तियां उदाहरण स्वरूप उल्लेखनीय हैं:

चल पड़े जिधर दो डग मग में,
चल पड़े कोटि पग उसी ओर.
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि,
गड़ गये कोटि हग उसी ओर.
जिसके सिर पर निज धरा हाथ,
उसके सिर-रक्षक कोटि हाथ.
जिस पर निज मस्तक झुका दिया,
झुक गये उसी पर कोटि माथ.
हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु,
हे कोटि रूप, हे कोटिनाम.
तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि,
हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम.

वीर महाराणा प्रताप के सम्बन्ध में रचित उनकी ओजस्वी कविता भी 'भैरवी' में संग्रहित है. यह देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत वीर रस की रचना है. विशेष रूप से निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं-

वैभव से विह्वल महलों को
कांटों की कटु झोपड़ियों पर.
मधु से मतवाली बेलायें
भूखी बिलखाती घड़ियों पर.
रानी, कुमार-सी निधियों को
मां के आंसू की लड़ियों पर.
तुमने अपने को लुटा दिया
आजादी की फुलझड़ियों पर.

द्विवेदी जी ने अनेक अभियान गीतों और प्रयाण गीतों का भी सृजन किया. जनता के उद्बोधन में इन प्रयाण गीतों ने महती भूमिका निभाई. कुछ अभियान गीतों की झांकी दृष्टव्य है:

उठो, बढ़ो आगे,
स्वतंत्रता का स्वागत-सम्मान करो.
वीर सिपाही बन करके
बलिवेदी पर प्रस्थान करो.
हम मातृभूमि के सैनिक हैं,
आजादी के मतवाले हैं.
बलिवेदी पर हँस-हँस करके,
निज शीश चढ़ाने वाले हैं.
सन्तान शूरवीरों की हैं,
हम दास नहीं कहलायेंगे.
या तो स्वतन्त्र हो जायेंगे,
या रण में मर मिट जायेंगे.
हम अमर शहीदों की टोली में,
नाम लिखाने वाले हैं.
हम मातृभूमि के सैनिक हैं,
आजादी के मतवाले हैं.
तैयार रहो मेरे वीरो,
फिर टोली सजने वाली है.
तैयार रहो मेरे शूरो,
रणभेरी बजने वाली है?
इस बार बढ़ो समरांगण में,
लेकर वह मिटने की ज्वाला.
सागर-तट से आ स्वतन्त्रता,
पहना दे तुझको जयमाला.

भले ही उन्होंने कई कालजयी रचनाएं लिखी तथा देशवासियों के सामने एक मिसाल कायम किया परंतु काल ने उन्हें भी नहीं बख्शा. दिनांक 01 मार्च 1988 को राष्ट्रकवि पं. सोहन लाल द्विवेदी चिर निद्रा में लीन हो गए परंतु उनकी रचनाएं हमें आज भी उन्हें याद करने को विवश कर देती है. उनकी कविताएं किसी भी सोए हुए व्यक्ति को झकझोर देने में कोई भी कसर नहीं छोडती है. भले ही पं. सोहन लाल द्विवेदी आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके लेख, कविताएं चिरंचीवी बनकर हमारे सामने व्याप्त है.

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
एन.पी.सी., पटना

मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आयोजित हिंदी सेवी सम्मान समारोह-2024 में मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु श्री बिरजा प्रसाद दास, अंचल प्रमुख, एवं श्री अरविंद कुमार सुसरला, उप अंचल प्रमुख, भोपाल, को सम्मानित किया गया.

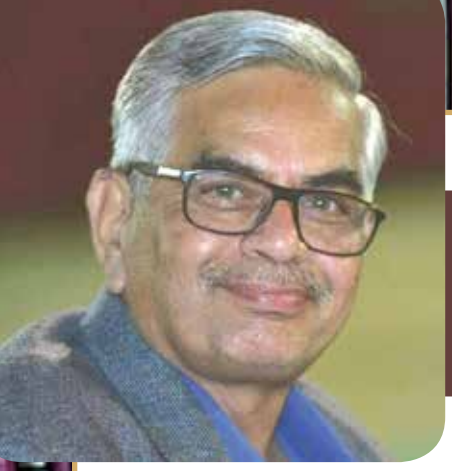

श्री ब्रजेश कानूनगो

प्रोत्साहन और सीखने के अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए

श्री ब्रजेश कानूनगो का जन्म 25 सितंबर, 1957 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुआ था. उनके पिता श्री यतीश कानूनगो की गहरी रुचि साहित्य, चित्रकला में होने से उन्हें बचपन से ही ऐसा वातावरण प्राप्त हुआ जो किसी संवेदनशील व्यक्ति को सृजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है. परिवार द्वारा लिखने पढ़ने के बीज बाल्यावस्था में ही उनके भीतर बो दिए गए थे. उन्होंनें स्नोतकोत्तर की शिक्षा हिंदी और रसायन शास्त्र में प्राप्त की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेवारत रहते हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी कई रचनाएँ यथा, उपन्यास - डेबिट क्रेडिट, कहानी संग्रह- रिंगटोन, कविता संग्रह- धूल और धुंएँ के पर्दे में, व्यंग्य संग्रह- पुन: पधारें, यात्रा संस्मरण- रात नौ बजे का इंद्रधनुष आदि रचनाएँ प्रकाशित हुईं. उनकी लेखनी ने कई सम्मान प्राप्त किए हैं. यथा, साहित्य एवं व्यंग्य संस्थान रायपुर, छत्तीसगढ के हरिशंकर परसाई व्यंग्य सम्मान (2023), युवा श्रेष्ठ लेखन के लिए रमाकांत चौधरी स्मृति सम्मान, इंदौर जिला ग्रंथपाल संघ से कृति कुसुम सम्मान, पत्र लेखक मंच से व्यंग्य लेखन के लिए गक्खड रत्न सम्मान, भारतीय स्टेट बैंक के भोपाल सर्किल से साहित्यिक योगदान के लिए स्पंदन सम्मान 2021, लघुकथा के प्रमुख मंच क्षितिज संस्था इंदौर से साहित्यरत्न सम्मान 2022 देवास की जरुरत संस्था से अभिव्यक्ति सम्मान. मुंबई विश्व विद्यालय के बी ए के पाठ्यक्रम में व्यंग्य रचना ऐनक के बहाने वर्ष 2020-21 से शामिल की गई. उनकी रचनाओं का प्रसारण इंदौर, आकाशवाणी से भी किया गया. साथ ही, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की गृह पत्रिका इंदौर बैंक परिवार तथा प्रगति पथ एवं साहित्यिक संगठन के बुलेटिन प्राची के सम्पादन की जिम्मेदारी भी अत्यंत निपुणता से निभाई. श्री ब्रजेश कानूनगो के साथ हमारी संवाददाता श्रीमती उपासना सिरसैया का संवाद हमारे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है...

प्रश्न : लेखन की प्रेरणा आपको कब और किस तरह मिली? कृपया बताएं.

उत्तर : यह मेरा सौभाग्य रहा कि जो वातावरण किसी संवेदनशील व्यक्ति को सृजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है वह मुझे अपने बचपन में ही मिल सका. घर में पढ़ने लिखने का वातावरण था. काका श्री यतीश कानूनगो विज्ञान, गणित के शिक्षक थे लेकिन साहित्य,चित्रकला आदि में उनकी गहरी रुचि थी. मैं उनका शिष्य भी था तो उनसे खूब सीखने-समझने को मिला. उस जमाने में स्कूलों में लेखन की प्रतियोगिताएं बहुत हुआ करती थीं. भरपूर प्रोत्साहन मिलता, खूब भाग लेता. विजेता रहा तो हौसला बढ़ता गया. इसी पारिवारिक प्रोत्साहन से लिखने पढ़ने के संस्कारों के बीज शायद मेरे भीतर तभी से अंकुरित होने लगे थे.

प्रश्न : आप अखबारों सहित पत्र पत्रिकाओं में खूब छपते हैं. इसके पीछे कोई ख़ास बात है, विशेष रूचि है ?

उत्तर: प्रारम्भ में छोटी-छोटी बाल कविताएँ, कहानियां अपने आसपास की घटनाओं को देख-देख कर लिखता और उन्हें नईदुनिया अखबार के ख़ास पन्ने 'बच्चों की दुनिया' में भेज देता. वे छपने लगीं तो और अधिक उत्साह से लिखने लगा. थोड़ा विचार संपन्न हुआ तो पढ़ी हुई सामग्री और समाज में होने वाली घटनाओं, कठिनाइयों पर अपनी प्रतिक्रिया लिख डालता और 'संपादक के नाम पत्र' स्तम्भ में भेजने लगा. लगभग प्रति सप्ताह ही कोई न कोई पत्र प्रकाशित हो ही जाता था. उन दिनों अखबारों में सम्पादक के नाम लिखे पाठकों के पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था. विशेषकर नईदुनिया में छपे पत्रों का बड़ा वैचारिक और बौद्धिक महत्व होता था. पत्रों पर भी प्रतिक्रियात्मक पत्र छपते. कई लम्बी-लम्बी बहसें हुआ करती थीं. मेरा कुछ छप जाता तो मुहल्ले, स्कूल और कस्बें में बहुत प्यार और सम्मान मिलता.

प्रश्न : विभिन्न विधाओं में आप साधिकार खूब लिख पाते हैं, आपने कविता में भी काफी अच्छा लिखा है, कुछ संग्रह भी आए हैं. यह किस तरह हुआ? लोग कविता से गद्य की ओर जाते हैं, आप गद्य से कविता की ओर चले गए...?

उत्तर : नौकरी के दौरान 'इंदौर बैंक' (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में सहकर्मी के रूप में कुमार अम्बुज जैसे कवि दोस्त मिल गए तो अपनी बातें कविता में कहने लग गया. वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता श्री आलोक खरे का सानिध्य मिला तो प्रतिबद्धता और समाज सेवा में रचनाकार की भूमिका के सही अर्थ समझ में आये. रचना शिविरों में सर्वश्री भगवत रावत, चंद्रकांत देवताले जी और कमला प्रसाद जी का मार्ग दर्शन रचना शिविरों में मिला तो कविताओं को संवारने लग गया. समकालीन कविताओं का खूब अध्ययन किया. दो संग्रह भी आये. 2014 में "इस गणराज्य में" और 'कोहरे में सुबह' 2018 में लेकिन व्यंग्य

लेखन भी साथ-साथ चलता रहा. 'मेथी की भाजी और लोकतंत्र' (2017) व्यंग्य संग्रह के बाद ही 2018 में एक उपन्यास 'डेबिट क्रेडिट' आया है जो सामाजिक, रचनात्मक और बैंकिंग जीवन की कुछ ख़ास घटनाओं, स्मृतियों और प्रसंगों पर आधारित है. संस्मरणों की एक किताब 'फ्लैशबैक' (2021) और कनाडा यात्रा पर एक यात्रा वृतांत 'रात नौ बजे का इंद्रधनुष' (2019) आई है.

प्रश्न : व्यंग्य लेखन की ओर किस तरह रुझान हुआ आपका? लेखन की प्रेरणा आपको किनसे मिलती रही? आपके आदर्श लेखक ?

उत्तर: मेरे लिखे प्रतिक्रियात्मक पत्रों में कभी-कभी थोड़ा हास्य और कटाक्ष का भाव रहा करता था. उन दिनों नईदुनिया में विख्यात पत्रकार श्री राजेन्द्र माथुर सम्पादक हुआ करते थे. नईदुनिया के पत्र स्तम्भ में अक्सर मेरे व्यंग्यात्मक लघु पत्र भी प्रकाशित होते रहते थे. मुझे एक दिन यह देखकर बहुत आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि मेरे एक लघु व्यंग्य पत्र को उन्होंने 'अंतिम-पत्र' उपशीर्षक देते हुए ख्यात कार्टूनिस्ट श्री देवेन्द्र शर्मा के बनाए कार्टून के साथ बॉक्स में प्रकाशित कर नई शुरुआत कर दी. इसके बाद एक बार फिर चकित होने का मौक़ा उन्होंने मुझे दिया. उन्होंने मेरे एक पत्र को लौटाते हुए टिप्पणी लिखी कि इसे आप थोड़ा विस्तार दें. मैंने उनके निर्देश के अनुसार अपने पत्र को विस्तार दिया. और उस रचना को उन्होंने नईदुनिया में पत्र से अलग स्वतन्त्र व्यंग्य लेख के रूप में प्रकाशित किया. यहाँ मैं इतना अवश्य बता देना चाहता हूँ कि श्री राजेन्द्र माथुर जी से मेरी कभी कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी. इस बीच मेरी रचनाएँ धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सन्डे मेल, रविवार, वामा आदि में भी प्रकाशित होने लगी थीं.

पहला व्यंग्य संग्रह वरिष्ठ कथाकार, व्यंग्यकार श्री सूर्यकांत नागर जी के प्रोत्साहन से दिशा प्रकाशन दिल्ली से 'पुन: पधारें' शीर्षक से सन 1995 में आया. यह संग्रह मैंने स्व. शरद जोशी और स्व राजेन्द्र माथुर जी को समर्पित किया है. नईदुनिया में श्री सूर्यकांत नागर जी जब व्यंग्य के साप्ताहिक कॉलम 'खुला खाता' का सम्पादन किया करते थे तब उनकी प्रेरणा से लम्बे कथात्मक व्यंग्य लेख लिखने में बहुत संतुष्टि का अहसास होने लगा था. मेरे लेखकीय विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है. हर विधा में बहुत से महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके लेखन से प्रेरणा मिलती है. खासतौर से व्यंग्य में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी मेरे आदर्श हैं. कविता में बहुत सारे प्रिय कवि हैं लेकिन मित्र कुमार अंबुज आत्मीय हैं और उनका गद्य और कविता दोनों बहुत प्रेरित करते हैं.

प्रश्न: आपकी रचनाएं समाज की समस्याओं की ओर इंगित करती हैं. इस तरफ लिखने का विचार क्यों आया? व्यंग्य लेखन में आप क्या चुनौतियां देखते हैं?

उत्तर: सच्चा और ईमानदार व्यंग्य लेखन सदैव समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को रेखांकित और उजागर करने का काम करता है. एक तरह से व्यंग्य हर तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सत्ता के विपक्ष की भूमिका में होता है. इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है.

वैसे तो प्रत्येक विधा में लिखते हुए रचनाकार के सामने हमेशा बहुत सी चुनौतियां होती हैं लेकिन जब व्यंग्य लेखन की बात हो तो मेरा मानना है कि आज के समय में इस विधा में ठीक-ठाक लिखना भी बहुत कठिन है. प्रश्न यहाँ किसी रचनात्मक कौशल में निपुणता का नहीं है बल्कि रचनाकार के अपने मानस के द्वन्द्व और उसकी अभिव्यक्ति की कठिनाइयों का है.

दरअसल आज व्यंग्यकार की कठिनाई यह है कि जिन बातों और मूल्यहीनता को रचनाकार विसंगति मानता रहा है, वही समाज की नई संस्कृति और नए मूल्य बन चुके हैं. ऐसे में जो विरोधाभास व्यंग्य के लिए आवश्यक होता है, वह वहाँ आसानी से उपस्थित करना बहुत कठिन हो जाता है.

झूठ, फरेब, छल, दगाबाजी, दोमुहापन, रिश्वत, दलाली, भ्रष्टाचार आदि कभी सामाजिक शर्म की बातें हुआ करती थीं लेकिन उपभोक्तावादी और अर्थ आधारित

समकालीन समाज में इन्हे जरूरी और व्यावहारिक आचरण मान लिया गया है. वस्तुओं से लेकर शरीर और आत्मा तक ऐसा कुछ नहीं रहा जो बेचा ना जा सके. निजी स्वार्थों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जायज और नाजायज का कोई फर्क अब नहीं रह गया है. स्थितियाँ तो ऐसी होती जा रही हैं कि कल के अनैतिक मानदंडों और आचरणों को विधिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, सार्वजनिक स्वीकार का कोई प्रतिरोध भी दिखाई नहीं देता. ऐसे में मेरा मानना है कि विसंगतियों की ओर इशारा करना ही लेखक का प्राथमिक दायित्व है.

प्रश्नः अपनी रचनाओं में किन बातों का आप विशेष ख़याल रखते हैं?

उत्तरः जो बातें मैं अपने लिखने में हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता हूँ उनमें जीवन में नैतिक मूल्य, जनकल्याणकारी विचारधारा और मनुष्य के प्रति प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अपने आग्रह. इसी लेखकीय दृष्टि से मैं अपनी दुनिया और समाज को अभिव्यक्त करने की कोशिश में लिखता रहता हूँ. लिखते हुए जिन ख़ास बातों का मैं विशेष ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ उसमें से एक यह भी है कि लेख की पठनीयता को किसी तरह जरूर बनाए रखा जाए.

प्रश्नः साहित्य में विचारधारा को आप किस तरह आंकते हैं?

उत्तरः साहित्य की प्रत्येक विधा का अपना मुहावरा और सौंदर्य शास्त्र होता है, जिसके अंदर उस विधा की रचनाएं ख़ूबसूरत और प्रभावी बन पाती हैं. ये अलग बात है कि देश काल के हिसाब से इनकी प्रकृति में कुछ बदलाव अवश्य होते रहते हैं. यह भी महत्वपूर्ण बात है कि चीजों को, घटनाओं को रचनाकार किस भिन्न दृष्टि से देखता है. दृष्टि का यही अंतर एक समान प्रसंगों, दृश्यों, सन्दर्भों को अलग-अलग ढंग से अभिव्यक्त करने का अलग-अलग रास्ता निर्धारित कर देता है. यहीं से साहित्य में विचार धारा का सवाल सामने आता है और उस सन्दर्भ में उसकी अपनी पक्षधरता भी दिखाई देती है.

बच्चे का चित्र

अपने में ही डूबा नन्हा बच्चा बना रहा है
एक चित्र इतना तल्लीन है कि
स्पीकरों पर चीख रही चौपाइयाँ
बाधा नहीं डाल रही उसके काम में

उसे कोई मतलब नहीं है इससे कि
कितने मारे गए तीर्थ स्थल की भगदड में
और कितनों को घोंप दिया गया है छुरा
उसे पता नहीं है
कब अपना समर्थन वापिस ले लेंगे सांसद
और कब गिर जाएगी सरकार

घटनाओं और दुर्घटनाओं से बेखबर बच्चा
बना रहा है कोई नदी,
झील भी हो सकती है शायद
एक नाव - जिसे खै रहा है कोई धीरे-धीरे
किनारे पर बनाई है एक झोपड़ी
जिसकी खपरैल से निकल रहा धुँआ
महसूस की जा सकती है हवा में
सिके हुए अन्न की खुशबू

खजूर का एक पेड़ उगा है चित्र में
उड़ रहे हैं कुछ पक्षी स्वच्छंद
अटक गए हैं शायद आधा सूरज पहाड़ियों के बीच

देखिए जरा इधर तो
निकल पड़े हैं कुछ लोग कुदाली फावड़ा लिए
निकाल लाएँगे अब शायद सूरज को बाहर
पहाड़ियों को खोदते हुए
चढ़ जाएँगे खजूर के पेड़ के ऊपर
और बिखेर देंगे धरती पर मिठास के दाने

नन्हा बच्चा बना रहा है चित्र जैसे बनती है
जीवन की तस्वीर दुनिया के कागज पर

- ब्रजेश कानूनगो

प्रश्नः समकालीनता और सार्वकालिकता को रचनाओं में कितना महत्त्व मिलना चाहिए?

उत्तरः नए समय के नए सवालों का सामना करते हुए व्यंग्य का हस्तक्षेप केवल व्यंग्य में ही विचारणीय नहीं है, बल्कि हरेक विधा में विमर्श के योग्य बिंदु है. सार्थक लेखन की तो यह अनिवार्यता ही होना चाहिए कि वह अपने समय के सवालों, चुनौतियों के सन्दर्भों को साथ लेकर चले. व्यंग्य में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.जिस दौर में टेक्नोलॉजी का विकास हो गया हो, स्त्रियों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया हो. कोई व्यंग्यकार पत्नी द्वारा बेलन से पति की खोपडिया तोड़ डालने जैसे विषयों पर कलम घिस रहा हो, उसे कैसे मान्यता दी जानी चाहिए. यह एक मात्र उदाहरण है, ऐसे कई प्रसंग और विषय दिख जाते हैं जो व्यंग्य को बहुत पीछे ढकेल देने का काम करते हैं.

प्रश्नः साहित्य में सृजनात्मकता को लेकर आपकी आगे क्या योजनाएं हैं?

उत्तरः कोई ख़ास विचारित योजना नहीं है. परन्तु रचना शिविरों में जो सीखा वह कार्यशालाओं में खुद सिखाने लग गया. इसलिए लिखते हुए सीखा, सिखाते हुए.. सीखता रहा... अब भी सीख रहा हूँ. एक संग्रह कविताओं और एक व्यंग्य का भी इस वर्ष आना संभव है. सोशल मीडिया के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर साहित्य, संस्कृति और समाज को लेकर अपना रचा साझा करता रहता हूं.

प्रश्न : नई पीढ़ी के लेखकों को क्या संदेश देंगे ?

उत्तर : वही पुरानी समय सिद्ध बात कि एक पृष्ठ लिखने के लिए पहले दस पृष्ठ श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें. हर विधा की रचनाएं पढ़ें. हर विषय को पढ़ें. प्रोत्साहन और सीखने के अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए.

यह अवश्य समझ लें कि जब आप अपना श्रेष्ठ लिख रहे होते हैं तो लक्ष्य और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है.

उपासना सिरसैया
क्षे.का., बड़ौदा

नराकास, रांची द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अं. का., रांची को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 23.07.2024 को श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक (का.) क्षे. का. का, (पूर्व) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बैजनाथ सिंह - अं. प्र., रांची.

नराकास, पुणे द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अं. का., पुणे को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 19.07.2024 को डॉ. सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (का.) क्षे. का. का, (पश्चिम) तथा श्री अमित कुमार शर्मा-अध्यक्ष बैंक नराकास पुणे से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नवीन जैन- अं. प्र., पुणे. तथा श्रीमती पूजा वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, कोट्टायम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., कोट्टायम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 23.08.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.) क्षे. का. का., (दक्षिण) तथा श्री एम वंसतगेशन, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती रंजीता, क्षे. प्र., कोट्टायम.

नराकास, सूरत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., सूरत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनाकं 21.08.2024 को डॉ. सुस्मिता भट्टाचार्या, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का. (पश्चिम) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुश्री श्वेता सावे, क्षे. प्र., सूरत.

नराकास, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., पटना को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 12.08.2024 को श्री विचित्र सेन गुप्ता, उप निदेशक(का.) क्षे. का. का. (पूर्व) एवं श्री सुजीत कुमार अरविंद, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रणजीत सिंह, क्षे. प्र., पटना.

नराकास, अमरावती द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे.का., अमरावती को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 29.08.2024 को श्री श्याम सुंदर नेमा, अध्यक्ष, नराकास, से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आकाश श्रीवास्तव, उप क्षे. प्र., अमरावती.

नराकास, तिरुवनंतपुरम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का. तिरुवनंतपुरम को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 30.07.2024 को श्री प्रदीप एस, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुजित एस तारीवाळ, क्षे. प्र., तिरुवनंतपुरम

नराकास, मैसूर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का. मैसूर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 28.08.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.) क्षे. का. का., (दक्षिण) तथा श्री अरुण कुमार पाणीग्राही, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुनिल वी पाटिल, क्षे. प्र., मैसूर

नराकास जालंधर, द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का. जालंधर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 16.08.2024 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का.) क्षे. का. का. (उत्तर-1) तथा श्री देवराज बंसवाल, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री गुरदीप सिंह, क्षे. प्र., जालंधर.

नराकास, तिरुपति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., तिरुपति को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 29-07-2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.) क्षे. का. का., (दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रामप्रसाद, क्षे. प्र., तिरुपति

नराकास, रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., रायपुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 22.08.2024 को श्री हरीश सिंह चौहान, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का. (मध्य), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री प्रेम सागर सिंह, उप क्षे. प्र. तथा श्री नितिन वासनिक, स. प्र. (रा.भा.).

नराकास, अहमदाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., अहमदाबाद को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 25.07.2024 को श्री अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सौरभ बोरसे, उप क्षे.प्र., अहमदाबाद तथा श्री शाहिद खाद मसूरी, प्र. (रा.भा.).

नराकास, चंडीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का, चंडीगढ़ को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 10.07.2024 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का), क्षे. का. का. (उत्तर-1), नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सच्चिदा नन्द राय, उप क्षे. प्र., चंडीगढ़.

नराकास, श्रीकाकुलम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., श्रीकाकुलम को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 22.07.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का., (दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री एम. वेंकट तिलक, क्षे. प्र., श्रीकाकुलम.

नराकास, सीतापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 क्षे. का., बरेली को मुख्य शाखा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 20.08.2024 को श्री अजय कुमार चौधरी, सहायक निदेशक (का.), क्षे. का. का., (उत्तर-2) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अखिलेश कुमार, सहायक प्रबंधक एवं श्री राधा रमन शर्मा, प्रबंधक (राभा).

नराकास, पलवल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., गुरुग्राम की मुख्य शाखा पलवल आगरा चौक को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 19.09.2024 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक(का.), क्षे. का. का., (उत्तर-1), तथा श्री ओम प्रकाश अंडले, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रवीन्द्र प्रताप, शाखा प्रमुख.

नराकास, राजन्ना सिरसिल्ला द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., करीमनगर की सिरसिल्ला शाखा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 10.09.2024 को श्री मल्लिकार्जुन राव अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री डी प्रेम कुमार, शाखा प्रमुख.

नराकास, गुरुग्राम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., गुरुग्राम की मुख्य शाखा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 11.07.2024 को श्री नरेंद्र कुमार मेहरा, सहायक निदेशक (का.), क्षे. का. का.,(उत्तर-2), गाज़ियाबाद से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रवि कुमार, शाखा प्रमुख.

नराकास, फिरोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., लुधियाना की मुख्य शाखा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 31.07.2024 को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक(का.), क्षे. का. का., (उत्तर -2), गाज़ियाबाद तथा सुश्री गीता, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अमित कुमार झा, स. प्र. (राभा)

नराकास, मोगा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., लुधियाना की मुख्य शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 24.07.2024 को श्री चिरंजीव सिंह, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अमित कुमार झा, (राभा).

नराकास, फतेहगढ़ साहिब द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., लुधियाना की मुख्य शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 29.07.2024 को श्री मुकेश सैनी, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अमित कुमार झा, स.प्र. (राभा)

नराकास, फिरोज़ाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., आगरा की फिरोज़ाबाद, मुख्य शाखा को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 23.07.2024 को श्री निमिष कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संतोष कुमार, शाखा प्रमुख.

नराकास, फ़रीदाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., गुरुग्राम की मुख्य शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 30.07.2024 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का. (उत्तर-1), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नवीन कुमार, शाखा प्रमुख.

नराकास, अकोला द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., अमरावती की मुख्य शाखा, अकोला को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 16.07.2024 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री एस. डी. मिश्रा, शाखा प्रमुख.

नराकास, बर्द्धमान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., दुर्गापुर की बर्द्धमान मुख्य शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 21.08.2024 को श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक (का.), क्षे. का. का. (पूर्व) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुनिल साव, सहायक प्रबंधक (राभा).

नराकास, मडिकेरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का., हासन की मुख्य शाखा, मडिकेरी को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 05.07.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे. का. का. (दक्षिण), से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री शैलेंद्र शर्मा, उप क्षेत्र प्रमुख.

नराकास, तिरुवारूर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु में क्षे. का., तिरुचिरापल्ली की तिरुवारूर, मुख्य शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया. दिनांक 23.09.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का, (दक्षिण) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री शान्तकुमार सी, शा. प्र., तिरुवारूर.

यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु

अंचल कार्यालय, बेंगलूरु

क्षे. का., बेंगलूरु (पूर्व)

क्षे. का., बेंगलूरु (दक्षिण)

क्षे. का., बेंगलूरु (उत्तर)

दिनांक 31.07.2024 को आयोजित नराकास बेंगलूरु की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु को 'प्रथम पुरस्कार', अंचल कार्यालय, बेंगलूरु को 'प्रथम पुरस्कार', क्षे. का., बेंगलूरु (पूर्व) को 'प्रथम पुरस्कार', क्षे. का., बेंगलूरु (दक्षिण) को 'द्वितीय पुस्कार', क्षे. का., बेंगलूरु (उत्तर) को 'तृतीय पुरस्कार' प्रदान किया गया. डॉ. एच. टी. वासप्पा, प्राचार्य, यूबीकेसी, श्रीमती वी माधवी, उप अं. प्र., बेंगलूरु, श्री. राजेंद्र कुमार, क्षे प्र., बेंगलुरु(उत्तर), श्री. टी. गुरुप्रसाद, उप क्षे. प्र., बेंगलुरु(दक्षिण) ने श्री के. सत्यनारायण राजू, एमडी एवं सीईओ, केनरा बैंक एवं अध्यक्ष, नराकास, सुश्री सोनाली सेन गुप्ता, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का), क्षे.का.का.(दक्षिण), से अपने कार्यालय का पुरस्कार प्राप्त किया. साथ हैं श्री जॉन ए अब्राहम, मु. प्र., (रा.भा.), श्री मनोरंजन कुमार सिंह, व. प्र., (रा.भा.), सुश्री रेणुका एस., सहा. प्र.,(रा.भा.)

दिनांक 13.08.2024 को श्री सी एच वेंकटेश, एलडीएम तथा अध्यक्ष, नराकास की अध्यक्षता में नराकास, पेद्दपल्ली की अर्ध वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया.

दिनांक 14.08.2024 को नराकास, महासमुंद की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता श्री सुनिल कुमार वर्मा, क्षे. प्र एवं अध्यक्ष, नराकास द्वारा की गई.

दिनांक 14.08.2024 को क्षे. का., महबूबनगर द्वारा नराकास, महबूबनगर की अर्धवार्षिक बैठक श्री आर. सत्यनारायणा, क्षे. प्र., की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 22.07.2024 को क्षे. का., श्रीकाकुलम द्वारा नराकास, श्रीकाकूलम की अर्धवार्षिक बैठक श्री एम. वेंकट तिलक, क्षे. प्र., श्रीकाकुलम की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 13.08.2024 क्षे. का., समस्तीपुर द्वारा नराकास, समस्तीपुर की अर्धवार्षिक बैठक श्री राजेश कुमार, क्षे. प्र., समस्तीपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 10.07.2024 को क्षे. का., बड़ौदा द्वारा नराकास, बड़ौदा के तत्वावधान में आयोजित तकनीकी टूल्स-संगोष्ठी का उद्घाटन श्री जुगल किशोर रस्तोगी, उप क्षे. प्र., बड़ौदा द्वारा किया गया.

दिनांक 12.09.2024 को क्षे. का., बड़ौदा द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री अंकुर सर्राफ, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 27.08.2024 को क्षे. का., बेंगलूरु(उत्तर) में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री राजेंद्र कुमार, क्षे. प्र. बेंगलूरु(उत्तर) द्वारा किया गया.

दिनांक 08.08.2024 को क्षे. का., एर्णाकुलम द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. मंचासीन हैं श्री ए बालसुब्रमणियन, उप क्षे. प्र.; श्री टी एस श्याम सुंदर, क्षे. प्र. तथा श्री महालिंग देवाडिग, उप क्षे. प्र., एर्णाकुलम.

दिनांक 06.09.2024 को क्षे. का., हासन में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री अरुण कुलकर्णी, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 21.08.2024 को क्षे. का., जालंधर द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुदीप कुमार दास, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 19.08.2024 को क्षे. का., कड़पा में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती ए लक्ष्मी तुलसी, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 05.09.2024 को क्षे. का., कानपुर में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री प्रशांत देसाई उप क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 10.09.2024 को क्षे. का., खम्मम में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए हन्मंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 24.07.2024 को क्षे. का., कोल्लम में आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री वाई सत्यनारायण रेड्डी, उप क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 09.09.2024 को क्षे. का., लुधियाना द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री राकेश कुमार मित्तल, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 22.08.2024 को क्षे. का., मैसूरु द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर शिवकुमार, उप क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 05.08.2024 को क्षे. का., नागपुर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 09.09.2024, क्षे. का., पटना में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री रणजीत सिंह, क्षे. प्र., पटना द्वारा किया गया.

दिनांक 03.08.2024 को क्षे. का.,रायगड़ा में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री छोटराय सराक, उप क्षे. प्र., रायगड़ा द्वारा किया गया.

दिनांक 17.08.2024 को क्षे. का., रायपुर में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन क्षे. प्र., श्री अनुज कुमार सिंह द्वारा किया गया.

दिनांक 11.09.2024 को क्षे. का., राजमंड्री द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 08.07.2024 को क्षे. का., सिकंदराबाद द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री बी भास्कर राव, क्षे. प्र., सिकंदराबाद द्वारा किया गया.

दिनांक 18.09.2024 को क्षे. का., श्रीकाकुलम द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम वेंकट तिलक, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 13.08.2024 को क्षे. का., तिरुवनंतपुरम में हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुजित एस तारीवाळस, क्षे. प्र. द्वारा किया गया.

दिनांक 06.09.2024 को क्षे. का., उडुपि में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री नरेश कुमार वाई., क्षे. प्र., उडुपि द्वारा किया गया.

दिनांक 04.09.2024 को क्षे. का., संबलपुर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री पवन कुमार कोल्लू, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

आपकी तिमाही पत्रिका यूनियन सृजन प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता हुई. इस पत्रिका की सामग्री न केवल समसामयिक और ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह बैंक के विभिन्न आयामों को भी प्रभावशाली रुप से प्रस्तुत करती है. लेखों और फीचर्स की विविधता ने इसे और भी रोचक और उपयोगी बना दिया है. आपके संपादकीय दृष्टिकोण और पूरी टीम के प्रयासों के लिए हम अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हैं.

देव राज बंसवाल
क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा,
जालंधर क्षेत्र एवं अध्यक्ष,
नराकास (बैंक) जालंधर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिंदी गृह पत्रिका यूनियन सृजन से यह मेरी पहली भेंट थी और मुझे इससे पहली नजर वाला प्यार हो गया. इसमें बिखरे साहित्य के रंगों ने तो मन को ओर भी अभिभूत कर लिया. आवसरण पृष्ठ आदि की साज सज्जा से लेकर ज्ञानवर्धक एवं रोचज रचनाओं से भरपूर मन को छूने वाली इस पत्रिका के सभी रचनाकारों, संपादक मंडल आदि को मैं बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ.

विभा रानी
प्राचार्या, केंद्रीय विद्यालय, खानपुर (रूपनगर)

आपकी तिमाही हिंदी गृह पत्रिका यूनियन सृजन अंक जनवरी-मार्च 2024 प्राप्त हुआ. सर्वप्रथम पत्रिका के नव अंक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई स्वीकार करें. पत्रिका के पहले पृष्ठ से लेकर आखरी पन्ने तक शामिल समस्त सामग्री काफी अर्थपूर्ण है. पत्रिका के आवसरण पृष्ठ की कलात्मक बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है. पत्रिका में विषयों का चयन बहुत की कुशलता से करते हुऐ कई महत्वपूर्ण जानकारियों समाहित की गई हैं. आशा है कि सभी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे.

यह अंक गुणवत्ता से भरपूर है. हमें यह आशा है कि आपकी पत्रिका लोकप्रियता का शिखर देखे. राजभाषा हिंदी को एक नई दिशा देने की आपकी सतत कोशिशों के लिए आपको अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ.

दिवाकर सिंह
मुख्य प्रबंधक, राजभाषा, इण्डियन ओवरसीज बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना

यूनियन सृजन अप्रैल-जून 2024 की डिजिटल प्रति प्राप्त हुई. सर्वप्रथम पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल को बधाई. सिर्फ राजभाषा प्रचार के कार्यों के उल्लेख हेतु विशेष पत्रिका का प्रकाशन, यूनियन बैंक की बहुत ही सराहनीय पहल है.

आद्योपान्त अवलोकन के पश्चात विदित होता है कि पत्रिका अपने आपमें बैंक के समग्र राजभाषा प्रयास को एक बार में ही उद्घाटित करने का प्रयत्न करती है और अंत में सफल हो जाती है. पत्रिका का कवर पेज भावुकता से भरा हुआ है. हिंदी कार्यशालाओं की झलकियाँ देखकर इत्तिला हुई कि यूनियन बैंक में हिंदी प्रचार-प्रसार का कार्य कितनी गंभीरता से अदा किया जा रहा है. हमारे दक्षिण भारत की संस्कृति को उद्घाटित करने वाला तृश्शूर पूरम नामक लेख बडे ही लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया है. मुझे एक बार इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है. लेख को पढ़कर पूरानी स्मृतियाँ जीवन्त हो उठी. अखिल भारतीय वार्षिक राजभाषा आयोजना सह समीक्षा के छायाचित्रों को देखकर पता चला कि किस तरह यूनियन बैंक का उच्च प्रबंधन, राजभाषा हिंदी के प्रति चिंतित है. स्थानांतरण नामक कविता, एक बैंकर के जज्बातों को बखूबी बयाँ करती है. पत्रिका को पढकर पाठक को विभिन्न रसों की अनुभूति होगी. कुल मिलाकर सृजन ज्ञान संचरण और सूचना संचरण की जिम्मेदारी को निभाती हुई आगे बढती जाती है. आगामी अंको हेतु संपादक मंडल को अग्रिम शुभकामनांए.

सैयद इफ्तेखार हुसैन रिजवी
भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही गृह पत्रिका यूनियन सूजन का जनवरी-मार्च 2024 अंक हमें प्राप्त हुआ. सुंदर एवं आकर्षक पत्रिका हेतु संपादक मंडल को बहुत-बहुत बधाई. पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं अंदरूनी साज-सज्जा बेहद आकर्षक है. पत्रिका में दी गई विषय वस्तु एवं लेख बहुत ही उपयोगी एवं समयानुकूल हैं. पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ.

राजीव शर्मा
मंडल कार्यालय, मोगा, पंजाब नैशनल बैंक

यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधननुष

क्षेत्रीय भाषा व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 16.08.2024 को क्षे.का., तिरुवनंतपुरम द्वारा केरल हिन्दी प्रचार सभा के साथ संयुक्त तत्वावधान में मलयालमतर भाषियों के लिए 30 घंटे का मलयालम भाषा व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसका उद्घाटन श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किया गया. श्री गिरीश चन्द्र जोशी, महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय ने विशेष संबोधन दिया. श्रीमती रेणू नायर, अं. प्र., मंगलुरू ने ऑनलाइन के माध्यम से स्टाफ को संबोधित किया.

दिनांक 19.09.2024 को अं. का., विशाखपट्टणम में अधिकारी स्टाफ सदस्यों के लिए तेलुगु भाषा व्यावहारिक प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया. श्री शंकर हेंब्रम, उप अं. प्र., विशाखपट्टणम द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई.

अं. का., मंगलूरु में "कन्नड़ा भाषा व्यावहारिक शिक्षण योजना" के अंतर्गत दिनांक 02.09.2024 को श्रीमती रेणू के. नायर, अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक की उपस्थिति में 30 स्टाफ सदस्यों के साथ कन्नड़ा भाषा व्यावहारिक शिक्षण आरंभ हुआ.

RNI No. MAH HIN/2016/68433

नि:शुल्क वितरण हेतु

जैसलमेर, राजस्थान
आनंद कुमार
क्षे. का. ग्वालियर